

**THE BOOK WAS
DRENCHED**

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_178197

UNIVERSAL
LIBRARY

OUP—552—7-7-66—10,000

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. **H 923.254** Accession No. **P. G. H 48.**
G 19 S

Author **गार्ड्यी, M.K.**

Title **सत्याग्रह आक्षेप का इतिहास . 1948**

This book should be returned on or before the date last marked below.

सत्याग्रह आश्रमका अतिहास

लेखक

मोहनदास करमचंद गांधी

अनुवादक

रामनारायण चौधरी



नवजीवन प्रकाशन मन्दिर
अहमदाबाद

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणजी डाह्याभाजी देसायी
नवजीवन मुद्रणालय, कालुपुर, अहमदाबाद

सवा रुपया

जुलायी, १९४८

अग्निसंभव

जब जब पू० बापूजी जेल जाते, तभी हम उनसे कुछ न कुछ लिखनेकी माँग किया करते थे। अेक बार मैंने उनसे अेक धार्मिक पाठमालाकी माँग की। उसके बजाय पू० बापूजीने कोअी तेरह पाठोंकी बालपोथी तैयार कर बी। मगर अिसके पीछे जो कल्पना थी, अुसे समझाकर अुन्होंने कहा कि यह कल्पना मंजूर हो, तभी बालपोथी छपावाअी जाय।

बापूजीकी कल्पना अितनी ज़्यादा क्रान्तिकारी थी कि हम कोअी अुसे मंजूर न कर सके और यह बालपोथी अभी तक बगैर छपी ही रही है।

और अेकबार अुनसे मैंने कहा—“आपने ‘आत्मकथा’ लिखी है। ‘दक्षिण अफ्रीकाका अितिहास’ भी लिखा है। अब हमें सत्याग्रह आश्रमका अितिहास दीजिये। आप कअी बार कहते हैं कि सफ़र करते करते जब श्रद्धाका संबल खत्म हो जाता है, तब आप फिरसे नअी प्रेरणा लेनेके लिये आश्रममें आते हैं। हममें तो अैसी कोअी बात नहीं है कि हम आश्रमवासियोंसे आपको कुछ खुराक मिले। अुलटे, हम अपने छोटेपनके कारण आपको अकसर परेशान करते हैं, और आपके आश्रम आनेकी राह देखते हैं। आश्रमका आदर्श और अिस प्रयोगके पीछे रहनेवाली श्रद्धा आपको सचमुच नयी नयी प्रेरणा देती होगी। अिसलिये यह सब हमें तफ़सीलवार लिखकर दीजिये। आश्रमको चलाते हुअे हमारे कारण आपको जो तकलीफ़ होती है, हमारे दोषोंके सबबसे आश्रमके विकासमें जो रुकावट आती है, वह सब

बिना संकोचके आप लिखियेगा । हमपर दया न करें । सत्याग्रह आश्रम वर्तमान भारतका अक अद्भुत् धार्मिक-सामाजिक प्रयोग है । यह राजनीति और अर्थनीति दोनोंमें क्रान्ति करनेवाला है । इसका सच्चा और मुफास्सल बयान दुनियाके सामने आना ही चाहिये । आप ही ने तो 'आत्मकथा' में लिखा है कि, 'भले ही मेरे जैसे कभी फना हो जायँ, मगर सत्यकी जीत हो । अल्पात्माको नापनेके लिअे सत्यका गज कभी छोटा न बने ।' यही न्याय हमपर लागू करके आश्रमका अितिहास आनेवाली सन्तानोंके लिअे लिख दीजिये ।"

अुन्होंने जो जबाब दिया, अुसका सार था :

" हो सका तो जरूर लिखूँगा । मगर सच पूछा जाय तो यह काम आप सबका है । यह प्रयोग आप लोगोंके जरिये हो रहा है । आपको ही इसका अितिहास लिखना चाहिये ।"

जब वे जेलसे बाहर आये, तब टुकड़े टुकड़े लिखा हुआ और बिलकुल अधूरा अितिहास लेकर आये । अुनका लिखना अेकसा नहीं था । अुन्होंने कहा — "यह काम पूरा नहीं कर सका । कुबारा जाँच लेनेकी जरूरत तो है ही । यह भी नहीं जानता कि अधूरा लिखा हुआ पूरा कर सकूँगा या नहीं । जैसा है वैसा छापने लायक हालतमें नहीं है । सुधार करनेके बाद ही दूँगा ।" मैंने कहा — "भले ही, मगर जो अभी है, अुसकी नकल करा लूँगा ।"

मैंने हाथका लिखा तुरन्त ही ले लिया । और श्री मगनभाभी देसाजीसे अुसकी तीन चार नकलें करा लीं । अेक नकल पूनेमें प्रो० जयशंकरभाभी त्रिवेदीके पास रख दी । दूसरी श्री मगनभाभीने विद्यापीठमें रख ली । तीसरी मैंने 'नवजीवन' को दी होगी । यह तलाश करना है कि मूल रचना अब कहाँ है, किसके पास है ? अिस रचनापर अुनका हाथ फिरे सो बात तो

अब रही नहीं। पूरी तो हो ही कहाँसे ! जिसलिअे अुसे जैसी है वैसी ही अेक बार जनताके सामने रख देनेका निश्चय क्रिया गया है ।

आश्रमकी प्रवृत्तियाँ कैसे बढ़ती गयीं, जिसका अच्छा खासा अितिहास अिन प्रकरणोंमें मिलता है । आश्रमकी प्रार्थना, हमारा सम्मिलित रसोअीघर, पाखानेकी सफ़ाअी, खादीका काम, खेती, गोशाला, रातको आनेवाले चोर और अुनके लिअे पहरा, आश्रममें होनेवाली शादी-गमी. वगैरा अनेक प्रकरण जितने दिलचस्प हैं, अुतने ही हिन्दुस्तानके नवनिर्माणके खयालसे महत्त्वके हैं ।

सन् १९१५ में सत्याग्रह आश्रमकी स्थापना करनेसे पहले गांधीजीने आश्रमकी कल्पना लिख डाली और अुसके दो तीन नाम सुझाकर अेक गदती चिट्ठी हिन्दुस्तानके कअी विचारकों, सेवकों और नेताओंके नाम भेज दी थी । अुसके साथ आश्रमके व्रतोंका विवेचन भी भेजा था । अिन ग्यारह व्रतोंमें सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह — ये पाँच व्रत योगमार्गमें यमोंके नामसे एकतरे जाते हैं । वैदिक ही नहीं, बौद्ध, जैन वगैरा सभी परम्परा-अामें अिन यमोंका महत्त्व बताया गया है । राजनीतिक स्वराज्य लेनेके लिअे और सामाजिक सुधारके जरिये कअी धर्मोवाली भारतीय जनताके अुद्धारके लिअे चलाये जानेवाले आश्रममें यमोंका यह सुधरा हुआ संस्करण फिरसे प्रगट हुआ देखकर पुराने और नये सभी विचारके लोगोंको आश्रमके बारेमें कुतूहल और आदरकी भावना पैदा हुअी ।

आश्रमके अिन व्रतोंका विवेचन या भाष्य गांधीजीने सन् १९३० में यरवड़ा जेलसे हर मंगलवारको सुबह लिख लिखकर भेजा था । यह 'मंगल प्रभात' के नामसे मशहूर है ।

मगर यह सारा विवेचन तात्विक था । अिन व्रतोंके पालनमें आनेवाली मुश्किलें और अुनसे विकास पानेवाली विचाधारा आश्रमके अिस अितिहासमें ही मिल सकती है । सत्यका व्रत पालने और पलवानेमें आनेवाली कठिनाअियोंके कारण जो सवाल पैदा हुअे, अुनका हाल अिस अितिहासके 'प्रायश्चित्त' और 'अुनवास'— अिन दो प्रकरणोंमें जितना विस्तारसे आया है, अुतना गांधीजीकी रचनाओंमें और कहीं नहीं आया ।

अछूतपन मिटानेके लिअे आत्मशुद्धिका वातावरण जमानेमें गांधीजीको आश्रममें ही कितनी मुश्किल हुअी, अुसका जो दर्दभरा और अँचे दर्जेका चित्र 'आत्मकथा' में है, अुससे कहीं ज्यादा अच्छे ढंगसे यहाँ आया है । यह सारा प्रकरण निहायत संयमके साथ लिखा हुआ होनेसे अिसकी तेजस्विता हमारा ध्यान ज्यादा खींचती है ।

स्वदेशी व्रतका विकास कैसे होता गया, अिसका छोटासा अितिहास यहीं सिलसिलेवार मिलता है ।

आश्रमकी स्थापनाके साथ, आश्रमके अन्दर ही, मगर अेक स्वतंत्र संस्थाके तौरपर, बापूजीने शिक्षाका अेक प्रयोग किया । अिस प्रयोगके करनेवालोंने आश्रमका वातावरण अपनाया था । मगर आश्रमके व्रत और नियम कड़ाअीके साथ पालना अुनके लिअे लाजिमी नहीं था । अेक ही वातावरणवाली और अेक ही बापूजीकी प्रेरणासे चलनेवाली दो संस्थाओंका जीवन अलग हो नहीं सकता था और अेक दूसरेको निबाह लेनेकी कलाका हम विकास नहीं कर सके थे । नतीजा यह हुआ कि हम दोनों तरफवालोंने पू० बापूजीको जितना क्लेश पहुँचाया, अुतना शायद ही और किसीने पहुँचाया होगा । अुद्धव और अकूरके झगड़ेसे जो हालत

श्रीकृष्णकी हुआ और जो अन्होंने खुद नारदके सामने बयान की है, वही हालत पू० बापूजीकी हुआ थी । असका अिशारा भी अस अितिहासमें मिलता है । और अुसीके साथ शिक्षाके बारेमें अुनके जो विचार सन् १९३२ में बने थे, वे भी अुन्होंने यहाँ दिये हैं । अिन विचारोंमें बुनियादी तालीमका प्रारम्भिक स्वरूप हमें देखनेको मिलता है । यह अेक बड़ा लाभ है ।

मुझे कहना चाहिये कि ये सारे विचार पाठशालाके शिक्षकोंको पूरी तरह मंजूर थे । अस बारेमें जरूर मतमेद था कि कुछ सिद्धान्तोंपर कितना जोर दिया जाय और दो तीन तत्त्वोंमें समन्वय कैसे किया जाय । मगर खास मुश्किल, दोनों संस्थाओंको चलाते हुअे व्यवस्थाके सिलसिलेमें थी । अुम वक्तके अस शिक्षा सम्बन्धी या, जैसा पू० बापूजी कहा करते थे, आध्यात्मिक झगड़ेसे ही वर्धा-योजनाका स्वरूप तय हुआ और बापूजी अस फ़ैसलेपर पहुँचे कि राष्ट्रीय महत्त्वके ग्राम-अुयोगोंके विकासका काम शिक्षाकारके हाथोंमें सौंपना चाहिये और वह शिक्षाके तौरपर होना चाहिये ।

सत्याग्रह आश्रमके अलौकिक प्रतिभाशाली संस्थापकके हाथों लिखा हुआ यह अितिहास थोड़ासा शुरू होकर रुक गया, यह दुःखनी बात है । सत्याग्रह आश्रम समेटकर, साबरमती छोड़कर, वे जब वर्धा रहने आये, तब हम दो तीन आश्रमवासियोंको अुन्होंने कहा था कि सत्याग्रह आश्रममें हमने जिस मामुहिक आध्यात्मिक जीवनका विकास किया था, अुसके सिलसिलेमें समय समयपर बनाये, बदले और सुधारे हुअे नियमोंका संग्रह किये और तफ़सीलवार लिख डालिये । यह आश्रमकी यादगारके रूपमें काम आयेगा । असके लिये मैंने कोअी पचास शीर्षक तैयार करके बापूजीको बताये थे । अुन्होंने कहा कि असमें सब कुछ आ जायगा । लेकिन

मैं अभी तक प्रार्थनाके अेक प्रकरणके सिवा ज़्यादा न लिख सका । औरोंने भी जिस दिशामें अभी तक कोअी शुरूआत नहीं की । श्री जुगतराम भाअीने 'आत्मरचना या आश्रमी शिक्षा' के नामसे अेक विस्तृत पुस्तक लिखी हैं, मगर असका अुद्देश्य दूसरा है ।

आश्रमके कामसे मुक्त करके बापूजीने जब मुझे गूजरात विद्यापीठ चलानेके लिये वहाँ भेजा, तबसे (सन् १९२७) आश्रमकी प्रवृत्तियोंसे मेरा सम्बन्ध कम हो गया । फिर तो यह कल्पना करके कि सुबह-शामकी प्रार्थना और साबरमतीके किनारेकी असकी जगह ही सत्याग्रह आश्रम है, आश्रमकी तमाम प्रवृत्तियोंको अुद्योग-मन्दिरका नाम दे दिया गया । और सन् १९३३ की लड़ाअीके अन्तमें किसानोंको परेशान करनेवाली सरकारी नीतिके विरोधमें बापूजीने आश्रमका सदाके लिये विसर्जन कर दिया, और जिस वीरान आश्रमपर सरकारको कब्जा करते न देखकर, अठारह साल तक चले हुअे आश्रमकी तमाम स्थावर सम्पत्ति हरिजनसेवाके काममें अर्पण कर दी । आज जिस आश्रमकी भूमिपर हरिजन लड़कियोंका अेक छात्रालय चल रहा है और हरिजन लड़कोंको अच्छीसे अच्छी बुनियादी तालीम दी जा रही है ।

सत्याग्रह आश्रमके विसर्जनके बाद स्व० जमनालालजीकी प्रेरणासे स्थापित गांधी सेवासंघका खास तौरपर विकास हुआ । जिस संस्थाका अुद्देश्य गांधीजीके सिद्धान्तोंको माननेवाले हिन्दुस्तान भरके तमाम सेवकोंके कामकाजका संगठन करना और अुन्हें जरूरी मदद पहुँचाना था । यह काम पाँच सात साल तक जोरशोरसे चला । कअी राजनीतिक और भीतरी कारणोंसे सन् १९४० के शुरूमें जिस संघका विसर्जन करना पड़ा ।

हिन्दुस्तानके आजाद होनेके बाद और उसके साथ ही हिन्दुस्तानके टुकड़े हो जानेके बाद देशकी सारी स्थिति बदल गयी है । गांधीजीके असूल और उनके चलाये हुअे रचनात्मक काम दोनोंको हिन्द सरकारने अेक हद तक अपनाया है और अिन्हीं असूलों और जीवनक्रमको अपने जीवनमें थोड़ा बहुत अपनानेवाले लोगोंकी बड़ी संख्या सारे देशमें फैली हुअी है । सत्याग्रह आश्रम या गांधी सेवासंघसे वह बहुत विशाल हो गयी है । अब उसे रास्ता बतानेके लिये फूँ बापूजी नहीं हैं, अिसलिये अिन लोगोंने हाल ही में सेवाग्राममें जमा होकर अेक अहिंस-परायण सर्वोदय समाज कायम किया है । बापूजीके तमाम रचनात्मक कामोंका भी अेक सर्वसेवा-संघ जैसे ही किसी नामका अेक सार्वभौम संगठन तैयार हो रहा है । अिस तरह, दक्षिण अफ्रीकामें कायम हुअे छोटेसे फ्रिनिक्स आश्रमका धीरे धीरे विकास होता जा रहा है । सर्वोदय समाजका अभी तो हिन्दुस्तानमें ही विकास दिखायी देगा । मगर यह माननेका कारण नहीं है कि अिसका विकास यहीं रुक जायगा ।

पू० गांधीजीकी आश्रमजीवनकी कल्पना अेक युगप्रवृत्ति है । जब तक मूल कल्पना सिद्ध नहीं होती तब तक अैसी युगप्रवृत्तिका विस्तार बढ़ता ही जायगा । विशाल जीवनव्यापी अेक सार्वभौम कल्पनाके पूरे होनेके लिये अेक कल्प लग जाय, तो अिसमें कुछ भी अनोखी बात नहीं ।

फ्रिनिक्स पश्चिमी देशोंके पुराणोंमें बयान किया हुआ अेक काल्पनिक पक्षी है । अिसकी अुत्पत्ति मामूली पक्षियोंकी तरह अंडेसे नहीं होती । फ्रिनिक्स अपनी पैदा की हुअी आगमें खुद जूल मरता है, और उसके अिस चिता-भस्ममेंसे नया

फ्रिनिक्स जन्म लेता है । दक्षिण अफ्रीकामें गांधीजीके कायम किये हुअे 'फ्रिनिक्स सेटलमेण्ट'के बाद साबरमतीके किनारे कायम हुआ सत्याग्रह आश्रम, उसके विसर्जनके साथ विकास पानेवाला गांधी सेवासंघ, उसके बिखरनेके बाद और पू० बापूजीके बलिदानके बाद हिन्दकी आजादीके साथ जन्म लेनेवाला सर्वोदय समाज : यह परम्परा भी जिस पौराणिक पक्षीके अग्निसंभव जैसी ही है । जिस हर अेक जन्मका अलग अलग सविस्तर अितिहास हमें मिलना ही चाहिये ।

(२)

मौजूदा जमानेमें जब शारीरिक रोगोंकी तरह ही मानसिक रोग भी बढ़ गये हैं, तब अुनका अिलाज करनेवाले दोनों तरहके समर्थ डॉक्टर भी तैयार हो गये हैं । मानसिक रोगोंका अध्ययन और पृथक्करण करके अुनके अिलाज आजमानेवाले डॉक्टर कहते हैं कि मनुष्यजातिका मौजूदा मानस बहुत ही पेचीदा होता जा रहा है; अुसकी पेचीदगियाँ घटनेके बजाय बढ़ती ही जा रही हैं । वे अब यह भी कहने लगे हैं कि जिस जटिलताको दूर करके मनुष्यके मनको नीरोगी और मजबूत बनानेकी शक्ति सिर्फ धर्ममें ही है । जिसलिअे लोगोंमें धर्मके प्रति श्रद्धा फिरसे स्थापित करनी चाहिये ।

दूसरी तरफ़, अितिहासका गहरा अध्ययन करनेवाले और अपने अपने देशोंको रास्ता बतानेवाले आजकलके नेता कहते हैं कि अिन्सानके मनको संकुचित करनेवाला और अुलटे रास्ते ले जाकर पागल बनानेवाला यदि कोअी भयंकर तत्व है तो वह धर्म ही है और धर्मके नामपर किये गये अत्याचारोंके लिअे मनुष्यको

पछतावा भी नहीं होता । जिसलिअे मनुष्य जातिको बचाना हो, तो धर्मका काँटा निकालनेमें ही खैर है !

रूसी क्रान्तिके प्रणेताओंने इतिहासका गहरा अध्ययन करके धर्मके बारेमें तीसरी ही राय बतायी है । वे कहते हैं कि मनुष्यकी विचार शक्तिको बाँझ बनाकर उसे चाहे जैसी हीन दशामें भी सन्तोष माननेकी शिक्षा देनेवाला धर्म अफ्रीमसे भी खराब चीज है । अफ्रीमका शिकार किसी वक्रत बुद्धिकी जाग्रति बता सकता है, मगर धर्मका शिकार तो अपने पामर जीवनके लिअे अेक फिलसुफी बना लेता है और उसीमें खुश रहता है । जिसलिअे मनुष्य जातिकी स्वतंत्रता और अुमका गौरव कायम रखना हो तो धर्ममात्रका सफ़ाया कर देना चाहिये ।

हरअेक आदमी धर्मका अर्थ अलग अलग करना है । सच पूछा जाय तो धर्ममें अुसकर अेक धर्मको अनेक बनानेवाली रुढ़ियाँ, मान्यतायें, विधियाँ और वहम मनुष्य जातिको छिन्न भिन्न और जड़-मृड़ बनाती हैं । अैसे 'धर्म' का अमिमान करके मनुष्य भयंकर बनता है । लेकिन अिन धर्मोंको अनुप्राणित करनेवाला परम मंगलमय जो प्रधान धर्मतत्त्व है — जिसे अिस किताबमें गांधीजीने परम धर्म कहा है — अुमके अभावमें आज दुनिया अँधेरेमें तड़प रही है । अिस परमधर्म तत्त्वको खानगी जीवनकी तरह सामाजिक सम्बन्धोंमें भी दाखिल करनेकी शरअसे गांधीजीने आश्रमकी स्थापना की थी । हिन्दुस्तानके राजनीतिक लोगोंको गांधीजीकी स्वराज्य साधना तो आकर्षित कर सकी, लेकिन अुनके कायम किये हुअे आश्रमका धर्मजीवन पुराने जमानेके अेक फ़ालतू अंग जैसा मालूम हुआ । भले भलोंने समय समयपर अुसकी निन्दा कर डाली । अब जब कि अधिकारकी भूखसे प्रेरित हुअे लोगोंमें स्वराज्य मिलते ही

या उसके पहले ही छीना झपटी होती दिखायी दी, तब लोगोंको लगता है कि राजनीतिक स्पर्धासे दूर रहनेवाले, रचनात्मक कार्यक्रममें लगे रहनेवाले, और देशमें दंगा-फ़साद होनेपर शान्ति-सेनाका काम देनेवाले समूहकी हमारे पास सुविधा होती तो अच्छा होता ।

अक तरफ़से देखते हैं तो आश्रममें रहनेवाले लोग गांधीजीके आदर्श तक झूपर न झुठ सके । और दूसरी तरफ़, राष्ट्रकी तेजस्विता और नैतिक पूँजीको बढ़ानेवाले अिस प्रयोगका रहस्य बाहरके लोग पहचान न सके और गांधीजीकी यह कोशिश पूरी आजमाअिशके बग़ैर ही रुक गयी ।

और फिर भी अठारह सालके अिस प्रयोगसे आजके ज़मानेके लिये सीखनेको बहुत कुछ मिल सकता है ।

जिस मनुष्य जातिकी बुद्धिका लगानार दो युद्धोंके कारण दिवाला निकल चुका है, वह तीसरे महायुद्धके स्रयालसे काँप रही है । मगर वह युद्धको टालनेके बजाय उसे बुलावा ही देती जा रही है । अिस युद्धसे बचनेके लिये हम अहिंसक समाजकी स्थापना करनेका संकल्प कर चुके हैं, मगर हमें रास्ता नहीं मिल रहा है । अैसे समयपर पन्द्रह सालके आश्रम-जीवनके अनुभवके बाद गांधीजीका लिखा हुआ आश्रमका यह अितिहास हमारे लिये कर्मी तरहसे प्रेरक साबित हो सकता है । गांधीजीने जैसे नियम बनाये और जैसे तज़ुर्बे किये, हूबहू वैसे ही फिरसे करने चाहियें, अैसा तो कोअी नहीं कहेगा । लेकिन सत्य और अहिंसाकी बुनियादपर समाजकी रचना करनी हो, तो संयम, अपरिग्रह और तपस्याकी साधनाको अपनाये बग़ैर ख़ैर नहीं । सिर्फ़ अहिंसाकी दुहाअी देनेसे काम नहीं चलेगा । अहिंसाको सिद्ध करनेके लिये संयम और अपरिग्रहका

विकास करना ही चाहिये । अिसके बगैर शुद्ध और निःस्वार्थ सेवा हो ही नहीं सकती ।

हिंसाको माननेवाले समाजकी युद्ध-सेना शान्तिके दिनोंमें जिस क्रिस्मकी पहल्लेसे तैयारी करती है, वैसी तैयारी अहिंसक समाजकी शान्ति-सेनाको पहल्लेसे नहीं करनी पड़ती । लेकिन अपने परायेका खयाल छोड़कर तमाम जनताकी जीवन-व्यापी सेवा दिन रात और बारहों महीने करते रहनेसे ही दंगोंमें लगी हुआ जनताको काबूमें लानेकी शक्ति अिस सेनामें आ सकती है । हिंसक सेना जब विरोधी पक्षसे खूब द्वेष करती हो, तभी पूरी बहादुरीसे लड़ सकती है । स्टालिनग्रेड जीतनेसे पहल्ले रूसी सर्वाधिकारी स्टैलिनने अपनी फौजके जवानोंसे जोर देकर कहा था कि जर्मन लोगोंसे दिलोजानसे द्वेष करना न सीखोगे, तो तुम जीत नहीं सकोगे । अहिंसक सेनाकी बात अिससे ठीक जुलटी है । जो हमारे घरबार जला चुके हैं, हमारे स्त्री-बच्चोंको जुड़ा ले जा रहे हैं, उन लोगोंका भी बुरा न चाहनेवाले सैनिक ही अहिंसक प्रतिकारमें विजय प्राप्त कर सकते हैं । अिसके लिअे अपनेपर भरोसा होना चाहिये कि जैसे द्वेष पैदा किया जा सकता है वैसे ही जुपेक्षा और करुणासे शुरू करके मैत्री और मुदिता तककी ' आर्य भावनाओं ' भी पैदा की जा सकती हैं । कठोर जीवन तो दोनोंमें ही चाहिये, मगर अहिंसक सेनामें जीवन-शुद्धिकी विशेषता जरूरी है । (शिवाजी, कॉमवेल, क्रिचनर और हिटलर तक हिंसक युद्धके सेनापति भी मानते आये हैं कि हथियारोंकी लड़ाईमें भी जीवन-शुद्धिसे बड़ी मदद मिलती है । अिस्लामके पैगम्बर मोहम्मद साहबने अपनी फौजसे लड़ाईके पहल्ले दिन जुपवास और प्रार्थन कराआ थी !)

अगर सचमुच अहिंसक समाजकी स्थापना करनी हो, तो शान्ति-सेनाका संगठन किये बिना काम नहीं चलेगा; और अगर शान्ति-सेनाका दरअसल संगठन करना है, तो जैसा अिस किताबमें गांधीजी कहते हैं उस तरहसे तप और संयम साधे बिना काम नहीं चल सकता । “जहाँ समाजकी रचना अहिंसापर होती है, वहाँ गोला बारूदकी जगह तप और संयम लेते हैं । और अुन्हें काममें लेनेवाले सिपाही समाजकी रक्षा करते हैं । दुनियाने अभी तक अैसा धर्म अपनाया नहीं है । हिन्दुस्तानमें थोड़ा-बहुत अपनाया गया है, मगर व्यापक रूपमें अपनाया नहीं कहा जा सकता । अैसी अहिंसा व्यापक होनी चाहिये और हो सकती है । आश्रममें यह मान्यता रही है कि उस पर समाजकी रचना हो सकती है और अिस मान्यताके आधार पर प्रयोग हो रहे हैं । अैसा कहा जायगा कि सफलता अभी तक तो थोड़ी ही मिली है ।”

धर्मकी शाब्दिक चर्चा बारीकीसे करनेवालोंका सिलसिला हमारे देशमें अभी तक टूटा नहीं है । मगर प्रयोग करके अेक अेक सिद्धान्तको आजमाकर आगे बढ़ानेवाले गिनतीके ही लोग हैं । यह अेक तरहसे अच्छा ही था कि गांधीजीका शास्त्रग्रन्थोंका ज्ञान नहींके बराबर था; क्योंकि सुनी हुअी सभी बातें अुन्होंने शुरूमें मामूली श्रद्धासे और आस्तिक बुद्धिसे मान ली थीं, बादमें अुन्होंने अपना सारा जीवन अुंडेलकर अिन सब बातोंकी जाँच कर ली । अनुभवके अखीरमें जो बातें छोड़ने लायक मालूम हुआं, अुन्हें हिम्मतके साथ निकाल देनेके लिअे अुन्होंने कमर कस ली और जो अिष्ट और कल्याणकारी जान पड़ीं, अुनके बारेमें अपना अनुभव और आग्रह दुनियाके सामने रखकर लोगोंको भी वैसा करनेके लिअे

तैयार किया और जिस तरह पुरानेमें जितना जीवित था उसकी रक्षा करके उसे नया रूप दिया और धर्मको जिन्दा बनाया ।

अब अगर अहिंसाके मार्गसे सीधी सादी कोशिशके बल मिली हुअी आजादी खो न बैठना हो, बल्कि जिस आजादीकी जड़ें मजबूत करके दुनियाकी सेवा करनेकी ताकत अपने देशमें लानी हो, तो गांधीजीका आश्रम-प्रवृत्तिका प्रयोग सारे देशको फिरसे हाथमें लेना चाहिये । जैसे आश्रम ग्राम अयोगोंसे तो गूँजते ही होने चाहियें, जिससे भी ज्यादा शिक्षाके वातावरणसे सुगंधित होने चाहियें ।

जिस पुस्तकको भूतकालके अेक बोधप्रद प्रयोगके बयानकी हैसियतसे नहीं देखना चाहिये । मगर राष्ट्रपिताके द्वारा आनेवाले पाँच सौ वर्षोंकी राष्ट्रीय साधनाके लिये किये गये अेक स्फूर्तिदायक प्रयोगके रूपमें उसका अध्ययन करके उसमेंसे संकल्पबल प्राप्त करनेके लिये जिस इतिहासका अध्ययन होना चाहिये । सन् १९३३ में जो प्रयोग टूट गया था, वह कभी रूपोंमें, जगह जगह सारे देशमें फिरसे शुरू होना चाहिये । तभी हिन्दुस्तानका भी नया अग्निसंभव होगा ।

काका कालेलकर

विषय-सूची

अग्निसंभव	काका कालेकर	३-१५
१. प्रारम्भिक	३
२. सत्य	११
३. प्रार्थना	१९
४. प्रार्थनामें क्या होता है ?	२२
५. प्रार्थनाका अर्थ क्या है ?	३०
६. अहिंसा	३२
७. ब्रह्मचर्य	४०
८. अस्तेय और अपरिग्रह	४६
९. शारीरिक श्रम	४८
१०. स्वदेशी	५४
११. अछूतपन	६१
१२. खेती	७४
१३. गोसेवा	७६
१४. शिक्षा	८०
१५. सत्याग्रह	८९
परिशिष्ट	९०
टिप्पणी	९५

सत्याग्रह आश्रमका इतिहास

आश्रमका अर्थ यहाँ सामुदायिक धार्मिक जीवन है । आजकी दृष्टिसे पिछली बातोंको देखते हुअे मुझे अँसा लगता है कि अिस तरहका आश्रम मेरे स्वभावमें ही था ।

५-४-३२ जबसे मैंने अलग घर बसाया, तभीसे मेरा घर अूपरकी व्याख्याकी दो शर्तोंके मुवाफिक आश्रम-जैसा बन गया था । क्योंकि यह कहा जा सकता है कि गृहस्थाश्रम भोगके लिअे नहीं, बल्कि धर्मके लिअे बना है । फिर अुसमें कुटुम्बियोंके सिवा कोअी न कोअी मित्र तो होता ही था । और वह या तो धार्मिक सम्बन्धके कारण आया होता था, या अुसके आनेके बाद अुस सम्बन्धको मैं धार्मिक-बनानेकी कोशिश करता था । अिस तरह सन् १९०४ तक अनजाने ही चलता रहा । १९०४ में मैंने रस्किनका 'सर्वोदय' पढ़ा और अुसका असर बिजलीका-सा हुआ । 'अिण्डियन ओपिनियन'का कारखाना जंगलमें ले जाकर वहाँ मजदूरोंके साथ अिकट्टा या कुटुम्बका-सा जीवन बितानेका मैंने निश्चय किया । सौ बीघा जमीन लेकर आश्रम बसाया । अुस वक्त हमारी अिस संस्थाको मैंने भीतर या बाहर आश्रमके रूपमें पहचानना नहीं सीखा था । धर्म अिसका अंग जरूर था, लेकिन जाहिरा मक़सद भीतरी और बाहरी सफ़ार्जी और आर्थिक बराबरी वगैरा हासिल करना था । अिस वक्त ब्रह्मचर्यकी जरूरत न मानी गअी थी, न समझी ही । अितना ही नहीं बल्कि अिसके

विपरीत यह मान्यता रही थी कि सब साथी गृहस्थीका जीवन बितायेंगे और प्रजाकी वृद्धि होगी। फ़िनिक्स^२का थोड़ासा इतिहास 'दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रहका इतिहास'में आ जाता है।

अिसे हम पहला कदम समझें।

यह कहा जा सकता है कि दूसरा कदम सन् १९०६में झुठाय़ा गया। अैसा कह सकते हैं कि सेवाका जीवन बितानेके लिअे ब्रह्मचर्यकी जरूरत अनुभवसे साबित हुअी। और तबसे फ़िनिक्सको में जानबूझकर धार्मिक संस्थाके रूपमें मानने लगा और मेरे मनमें झुसका धार्मिक ढाँचा बनने लगा। राजनीतिक सत्याग्रहकी शुरुआत अिसी सालमें हुअी। झुसकी जड़में तो धर्म ही था। झुसका आधार सत्यरूप परमात्मापर अविचल श्रद्धा थी। यहाँ धर्मका कोअी संकीर्ण अर्थ न लिया जाय। 'धर्म'का अर्थ है अलग अलग नामोंसे पहचाने जानेवाले सब धर्मोंका अेक साथ संकलन करनेवाला और अुन्हें अेकरूप देखनेवाला परम धर्म।

१९११ तक अिस तरह चलता रहा। अितने बरसोंमें फ़िनिक्स संस्थाकी, झुसे आश्रमके रूपमें जाने बिना, आश्रमके तौरपर प्रगति हो रही थी, अैसा मैं मानता हूँ।

१९११ में तीसरा क़दम झुठाय़ा गया। आज तक फ़िनिक्समें जो लोग स्थायी रूपसे रह सकते थे, वे वही थे जो छापाखानेके काममें आ सकते थे। मगर अब सत्याग्रहके कामके लिअे अेक अैसे आश्रमकी जरूरत जान पड़ी, जहाँ सत्याग्रही कुटुम्ब रह सकें, धार्मिक जीवन बिता सकें। अिस वक्त मैं जर्मन मित्र कॅलनबॅक^३के संपर्कमें आ चुका था। हम दोनों अेक तरहका आश्रम जीवन बिताते थे। मैं वकालत

करता था और कॅलनबॅक अपना स्थापत्यका धन्धा करते थे । फिर भी हम अेक दूर और बिखरी हुआ बस्तीमें ऐसा जीवन बिताते थे जिसे मात्रामें बहुत सादा कहा जा सकता था, और यथाशक्ति हमारा मन धर्ममें लगा रहता था । अनजानमें भूलें बहुत हुआ होगी, मगर हम हर कामकी जड़ धर्ममें ढूँढनेकी कोशिश करते थे । बादमें जब सत्याग्रही कुटुम्बोंकी भीड़ हुआ, तब सबको अेक साथ रखनेकी जरूरत जान पड़ी । अिसलिये कॅलनबॅकने ग्यारह सौ बीघा चौरस जमीन ली और वहाँ सत्याग्रही कुटुम्ब बसे । यहाँ पग पगपर धार्मिक सवाल खड़े हुआे और सारी संस्था धार्मिक दृष्टिसे चली । अिसमें हिन्दू, मुसलमान, अीसाअी और पारसी रहते थे । अिस कारणसे किसी भी दिन क्लेश या झगड़ा हुआ हो, ऐसा मुझे बिलकुल याद नहीं । अिसी तरह यह बात भी न थी कि वहाँ रहनेवाले अपने धर्मके बारेमें ढीलेढाले थे । हममें अेक दूसरेके धर्मके प्रति आदर था और हम अेक दूसरेको अपने अपने धर्मके अनुसार चलने और आत्मविकास करनेकी प्रेरणा देते थे ।

लेकिन अिस संस्थाको हम सत्याग्रह आश्रमके रूपमें नहीं पहचानते थे । अिसका नाम 'टॉल्स्टॉय फार्म' रखा था । कॅलनबॅक और मैं टॉल्स्टॉयके पुजारी थे, और खुनके बहुतसे विचारोंपर अमल करनेकी खूब कोशिश करते थे । सन् १९१२ में यह संस्था सत्याग्रही-निवासके बतौर बन्द हो गयी और जिन जिन लोगोंको साथ साथ रहना था, वे सब फ्रिनिक्स चले गये । टॉल्स्टॉय फार्मका अितिहास भी जिन्हें जानना हो, वे 'दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रहका अितिहास' देख सकते हैं ।

फ़िनिक्स अब सिर्फ 'अिण्डियन ओपिनियन' के सिलसिलेमें कायम हुअी संस्था न रही, बल्कि सत्याग्रहकी संस्था ६-४-'३२ बनने लगी । यह स्वाभाविक ही था, क्योंकि 'अिण्डियन ओपिनियन'की हस्ती के लिअे भी वही जिम्मेदार थी । परन्तु यह फेरबदल अैसा वैसा नहीं था । फ़िनिक्स वासियोंका जीवन ड़ावाडोल बन गया और अिस ड़ावाडोल हालतमें सत्याग्रहियोंकी तरह अुन्हें भी स्थिरता खोजनेकी नौबत आयी । अिससे वे हारे नहीं । यहाँ भी मैंने टॉल्स्टॉय फ़ार्मकी तरह मिलेजुले रसोअीघरकी जरूरत महसूस की । कुछ अुसमें शरीक हुअे, कुछ नहीं हुअे । शामकी सामाजिक प्रार्थनाको दिनदिन ज्यादा स्थान मिलता गया और सत्याग्रहकी आखिरी लड़ाअीकी शुरुआत फ़िनिक्सवासियोंके हाथों हुअी । यह घटना १९१३में हुअी । १९१४में लड़ाअी पूरी हुअी और मैंने जुलाअीके महीनेमें दक्षिण अफ्रीका छोड़ा । हिन्दुस्तान जानेकी जिन जिन लोगोंकी अिच्छा थी, लगभग अुन सभीका हिन्दुस्तान जाना तय हुअा । मुझे विलायत होकर गोखलेसे मिलकर जाना था । हिन्दुस्तानमें अलग संस्था कायम करके सबको साथ रखना था और दक्षिण अफ्रीकामें मैंने जिस सामाजिक जीवनकी शुरुआत की थी, अुसे जारी रखना था । अिसलिअे आश्रमके नामके बिना आश्रम कायम करनेका निश्चय करके मैं १९१४ के अन्तमें हिन्दुस्तान पहुँचा ।

हिन्दुस्तानमें अेक बरस तक तो खूब घूमा; कितनी ही संस्थाअें देखीं और अुनसे बहुत कुछ सीखनेको मिला । कितनी ही जगहोंसे वहाँ आश्रम स्थापित करनेके निमंत्रण मिले और कअी तरहकी मदद देनेके वचन मिले । अन्तमें अहमदाबादमें आश्रम खोलनेका निश्चय किया । अिसे मैं चौथा और आखिरी कदम मानता हूँ ।

यह आखिरी रहेगा या नहीं, यह तो भविष्यकी बात है । जिस संस्थाको क्या नाम दिया जाय, उसके नियम क्या हों, जिस बारेमें मैंने मित्रोंके साथ अच्छी तरह चर्चा की, पत्रव्यवहार किया, नियमोंका मसविदा मित्रोंको भेजा और अन्तमें संस्थाका नाम 'सत्याग्रह आश्रम' रखा गया । सुदेश्यको ध्यानमें रखनेसे ऐसा लगता है कि यह नाम ठीक ही था । मेरा जीवन सत्यकी खोजमें अर्पण किया हुआ है । सुसीकी खोजके लिये जीनेका और जरूरत हो तो मरनेका आग्रह है । जिस खोजमें जितने साथी मिलें, सुतनोको साथ लेनेकी भी अच्छा है ।

२२ मई १९१५ को कोचरबमें किरायेके मकानमें यह आश्रम खुला । उसके खर्चका बन्दोबस्त करनेका ७-४-'३२ जिम्मा अहमदाबादके कुछ नागरिकोंने लिया । जब आश्रम खुला, तब लगभग बीस आदमी थे और उनमेंसे ज्यादातर दक्षिण अफ्रीकासे आये हुये थे । उस वक्त अधिकांश दक्षिणकी तरफके यानी तामिल या तेलगु बोलनेवाले हिन्दुस्तानी थे । उन दिनों आश्रममें छोटेबड़े सभीके लिये खास काम भाषाओं सीखनेका यानी संस्कृत, हिन्दी और तामिल पढ़नेका था । बच्चोंके लिये दूसरी साधारण पढ़ाई थी । हाथ बुनाई मुख्य सुद्योग था और सुसीके साथ पढ़ाईका काम होता था । नौकर न रखनेका आग्रह था । जिसलिये खाना बनाने, सफाई करने, पानी भरने वगैराका सारा काम आश्रमवासी ही करते थे । सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्वाद, अस्तेय, अपरिग्रह वगैरा व्रत सारे आश्रमवालोंके लिये लाजिमी थे । जातपाँतका भेद बिल्कुल नहीं रखा गया था । अछूतपनके लिये आश्रममें बिल्कुल गुँजायश नहीं थी । अतना ही नहीं, बल्कि हिन्दू जातिमेंसे अछूतपन दूर

करनेकी कोशिशको आश्रमके काममें महत्त्वका स्थान दिया गया था । और अब्दुतपनकी तरह ही हिन्दू जातिमेंसे स्त्रियोंके कितने ही बन्धन तोड़नेके बारेमें भी आश्रममें शुरूसे आप्रह रखा गया था । जिस-लिसे आश्रममें स्त्रियोंको पूरी आजादी रही है । साथ ही, हिन्दू, मुसलमान वगैरा अलग अलग धर्मके लोगोंमें जितना भाभीचारा आपसमें हो सकता है, खुतना ही आश्रममें भी रखनेका नियम हो गया ।

लेकिन अेक चीजके लिसे मैं ही जिम्मेदार हूँ । और जिसके लिसे मैं पश्चिमका आभारी हूँ । ये हैं मेरे भोजन सम्बन्धी प्रयोग । अिन प्रयोगोंकी शुरूआत हुआ १८८८ में, जब मैं विलायत गया था । अपने प्रयोगोंमें मैं सदा अपने कुटुम्बियों और दूसरे साथियोंको घसीटता रहा हूँ । जिसकी जड़में तीन कारण मुख्य थे : (१) स्वादेन्द्रिय यानी जीभपर और खुसीके जरिये दूसरी अिन्द्रियोंपर काबू करना; (२) सादीसे. सादी और सस्तीसे सस्ती खुराक हूँद निकालना, ताकि अिस बारेमें गरीबोंके साथ होइ की जा सके; (३) खुराकके साथ तन्दुरुस्तीका गहरा सम्बन्ध है, अिस विचारके आधारपर कौनसी खुराक पूरी तन्दुरुस्ती हासिल करनेके लिसे ठीक है, यह खोज निकालना ।

कहनेका मतलब यह नहीं कि अिन तीन कारणोंकी वजहसे मैं खुराकके प्रयोग करनेके लिसे ललचाया । अगर मैं निरामिष भोजन करनेकी प्रतिज्ञा लेकर विलायत न गया होता, तो शायद खुराकके प्रयोग करनेकी बात मुझे सूझी ही न होती । लेकिन जब मुझे ये प्रयोग करने पड़े, तो ये तीन कारण मुझे बहुत गहरे पानीमें ले गये और मुझे कभी तरहके तजरबे करनेकी प्रेरणा हुआ । अिस तरह आश्रम भी मेरे खुराकके प्रयोगोंमें शामिल हुआ । मगर ये प्रयोग आश्रमके अंग नहीं हैं ।

जिससे मालूम हो सकता है कि आश्रमने देश और समाज सम्बन्धी जिन जिन दोषोंको माना, खुन्हें ८-४-३२ आश्रमसे दूर करनेकी अभिच्छा थी। जिनमें धार्मिक, आर्थिक या राजनीतिक सभी खराबियाँ शामिल हैं। जैसे-जैसे अनुभव बढ़ता गया और प्रसंग आता गया, वैसे वैसे नये नये काम शुरू होते गये। यह नहीं कहा जा सकता कि आज यह लिखाते वक्त भी मेरे मनमें जितने काम हैं, उन सबको आश्रममें दाखिल किया जा सका है। शुरूसे ही अेक दो निश्चयोंके अनुसार आश्रमका कामकाज चला है : (१) चादर देखकर पैर पसारना, यानी आश्रमको सहज ही मित्रोंसे जितनी आर्थिक मदद मिलती रहे, खुसी पर गुजर करना; (२) किसी भी प्रवृत्तिके पीछे न दौड़ना; परन्तु जो योग्य काम अपने आप आ पड़े खुसे बिना संकोच और, जरूरत हो तो, हर जोखम खुठाकर भी हाथमें लेना।

मैं मानता हूँ कि जिन दोनों निश्चयोंके पीछे सिर्फ धार्मिक वृत्ति है। धार्मिक वृत्तिका अर्थ है अीश्वरपर श्रद्धा,— जिसलिअे सब कुछ खुसके आधारपर और खुसकी प्रेरणासे करना। जिस तरह चलनेवाला आदमी अीश्वरके मेजे हुअे धन (साधनों) के जरिये खुसीका बताया हुआ काम करता है। अीश्वर खुद कुछ करता है, अैसा तो वह हमें देखने या जानने देता नहीं। वह मनुष्यको प्रेरणा देकर खुसीके जरिये अपना काम कराता है। और जब हमने खयाल भी न किया हो अैसी जगहसे मदद आ जाय या बिना माँगे ही हमें मित्रोंसे सहायता मिल जाय, तब तो मेरी श्रद्धा यह मानेगी कि वह अीश्वरकी तरफसे मेजी गयी है। और जिसी तरह जो काम आ पड़े और जिसे

हाथमें न लेनेमें डरपोकपन, आलस्य या असा ही कोअी दूषित कारण मालूम हो, खुस कामको मेरी श्रद्धा अीश्वरका भेजा हुआ ही मानेगी ।

और जो बात रुपये-पैसे और कामके बारेमें सच है, वही साथियोंके बारेमें है । रुपया हो, काम भी आ जाय, परन्तु साथीरूपी साधन न हो, तो भी वह काम हाथमें नहीं लिया जा सकता । यह साधन भी सहज ही मिलना चाहिये । जहाँ यह कल्पना ही नहीं बल्कि विश्वास है, समर्पण बुद्धि है कि आश्रम अीश्वरका है, वहाँ अीश्वर जिस जिस कामकी खातिर आश्रमको साधन बनाना चाहता है, खुसके लिये सारा सामान भी वही भेज देता है । पिछले सोलह सालसे ही नहीं, बल्कि जबसे फिनिक्सकी स्थापना हुआ तभीसे जाने अनजाने, थोड़े या बहुत प्रमाणमें, जिन्हीं नियमोंके अनुसार संस्था चलती रही है । जो नियम शुरूमें नरम थे, वे बादमें कड़े होते गये हैं, और मेरी रायमें अब भी होते जा रहे हैं ।

थोड़े ही दिनोंमें आश्रमकी आबादी दुगुनी हो गयी । और कोचरबके बंगलेकी रचना तो आश्रमके अनुकूल हो ही नहीं सकती थी । बंगला तो बंगला ही ठहरा । खुसमें अेक धनिक परिवार पश्चिम और पूर्वके रहनसहनको मिलाकर रह सकता था । अैसी जगहमें स्त्री, पुरुष और बच्चे कुल मिलकर साठ आदमी, कअी प्रवृत्तियाँ चलाते हुअे और ब्रह्मचर्य वगैरा व्रतोंको पालते हुअे, मुश्किलसे ही रह सकते थे । लेकिन जो मकान मिला, खुसीमें गुजर करना था । फिर भी थोड़े ही समयमें कअी कारणोंसे वहाँ रहना लगभग असम्भव हो गया । अिसलिये, मानो अीश्वरने हमें वहाँसे निकाल दिया हो, अिस तरह हमें अचानक नयी

जमीनकी तलाश करनी पड़ी और बंगला खाली करना पड़ा । जिन घटनाओंका वर्णन 'आत्मकथा'में आ जाता है, * यहाँ दुहराता नहीं हूँ । कोचरबमें अेक कमी पहलेसे मालूम होती थी । वह साबरमती आनेपर दूर हुअी । फलोंके पेड़, खेती और पशुओंके बिना आश्रम अधूरा ही कहा जा सकता है । साबरमतीमें खेती करने जितनी जमीन है, इसलिअे वहाँ खेती तुरत शुरू हो सकी ।

यहाँ तक आश्रमके अितिहासपर अेक नजर डाली । अब व्रतों और कामोंके बारेमें जो जो प्रयत्न हुअे, उनमेंसे जो मुझे याद हैं उनका जिक्र करनेका विचार है । मेरा रोजनामचा मेरे पास नहीं । और उसमें भी आश्रमवासियोंके जीवनकी नाजुक घटनाओंका हमेशा सुल्लेख नहीं किया गया है । इसलिअे सिर्फ याददातपर भरोसा करके यह अितिहास लिखा जा रहा है । मेरे लिअे यह प्रयोग नया नहीं है । 'दक्षिण अफ्रीकाके सत्याग्रहका अितिहास' जिस तरह लिखा गया, 'सत्यके प्रयोग' भी इसी तरह लिखे गये । जिस अितिहासमें भी यह दोष पढ़नेवालेको ध्यानमें रखना चाहिये ।

सत्य

जब जब आश्रममें झूठ बोला गया, तब तब उसे महारोग समझकर दूर करनेके कड़े सुपाय किये गये । आश्रममें दोष करनेवालेको सजा देनेकी नीति बिलकुल नहीं रखी गयी, — यहाँ तक कि दोष करनेवालेको आश्रममेंसे अलग कर देनेमें भी संकोच रहता था । दोष न होने देनेके लिअे तीन सुपाय किये जाते थे और किये जाते हैं । पहला तो मुख्य कार्यकर्ताओंकी शुद्धि । इसके पीछे यह मान्यता रही है कि अगर कार्यकर्तामें कहीं भी दोष न हो, तो आसपासका वायुमण्डल शुद्ध ही रहेगा । जैसे सूर्यके सामने अंधेरा नहीं टिकता, वैसे ही सत्यके सामने असत्य नहीं टिकता ।

दूसरा अुपाय बुराईको जाहिर करना था । कोअी असत्य आचरण करता पाया जाता, तो अुसे समाजके सामने प्रगट कर दिया जाता । अिस अुपायको विवेकके साथ काममें लाया जाय, तो अुसका नतीजा बहुत अच्छा होता है । अिसमें दो सावधानियाँ रखनेकी जरूरत रहती है । अेक तो भूल करनेवालेके खुले आम दोष मंजूर करनेमें जबरदस्तीकी गंध भी न होनी चाहिये । दूसरे, दोष जाहिर करनेका असर दोष करनेवाले पर अैसा न होना चाहिये कि फिर अुसे शर्म ही न महसूस हो । दोष प्रगट हुआ कि पाप धुल गया, अैसा खयाल पैदा हो जाय, तो फिर दोषमें रहनेवाली शर्म नहींके बराबर हो जाती है । जरासा असत्य भी महारोग है, अिस बातका भान सदा ही रहना चाहिये ।

तीसरा अुपाय मुख्य कार्यकर्ताका और असत्य आचरण करनेवालेका प्रायश्चित्तके रूपमें अुपवास करना है । असत्य आचरण करनेवाला अुपवास करे या न करे, यह अुसकी अपनी अिच्छा पर है । मुख्य कार्यकर्ता तो जाने अनजाने अपनी संस्थामें होनेवाले दोषके लिये जिम्मेदार है ही । असत्य जहरीली हवासे भी ज्यादा जहरीला और ज्यादा सूक्ष्म है । जहाँ मुखियाकी आध्यात्मिक दृष्टि है, जहाँ वह जाग्रत है, वहाँ यह सूक्ष्म जहर घुस नहीं सकता । अिसलिये अगर वह घुसता नजर आये, तो वह मुखियाके

लिये चेतावनी रूप है । अुसे समझना चाहिये कि २५-४-३२ अिस जहरके घुसनेमें कहीं न कहीं अुसका अपना भी हाथ है । मेरा खयाल है कि जितना साफ असर भौतिक शास्त्रमें अमुक मिश्रणोंका या क्रियाओंका हम देखते हैं, अुतना ही बल्कि अुससे भी ज्यादा साफ असर रूहानी क्रियाओंका होता है । बात अितनी ही है कि हमारे पास असे नापनेके

यंत्र नहीं हैं। जिसलिअे अैसे असरोंके बारेमें हमें जल्दी विश्वास नहीं होता, या होता है तो वह पक्का नहीं होता। फिर, बहुधा हम अपने साथ बहुत खुदारतासे काम लेते हैं। जिसका फल यह होता है कि हमारे प्रयोगोंमें कामयाबी नहीं होती और हम कोल्हूके बैलकी तरह अेक ही दायरेमें घूमा करते हैं। जिस तरह असत्यकी गाड़ी चलती रहती है और अन्तमें हम अैसे निर्णयपर आते हैं कि असत्य अनिवार्य है। जो अनिवार्य माना जाता है, वह सहज ही जरूरी हो जाता है। जिस तरह सत्यके बदले असत्यकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है।

जिसलिअे जब जब आश्रममें असत्य देखनेमें आया है, तब तब खुसमें मैने अपना दोष तो स्वीकार किया ही है। यानी मैं अपनी व्याख्याके सत्य तक नहीं पहुँच पाया हूँ। भले ही अज्ञानसे ही सही, पर मैने सत्यको पूरी तरह समझा नहीं और जिसलिअे सोचा नहीं, कहा नहीं; तो फिर आचरण कहाँसे करता? मगर जिस तरह दोष स्वीकार करनेके बाद क्या भाग जायँ, गुफामें जा बसँ, या मौन ले लें? जिसे मैं कायरता मानता हूँ। गुफामें बैठकर सत्यकी खोज नहीं होती। जहाँ बोलना जरूरी हो वहाँ चुप कैसी? गुफाके लिअे खास हालातमें स्थान है। मगर मामूली जिन्सानकी कसौटी तो समाजमें ही हो सकती है।

तो फिर मैं असत्यको निकालनेके क्या खुपाय करूँ? यह सोचने पर मुझे देहदमनके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं सूझा। देहदमनका अर्थ है खुपवास वगैरा। देहदमनके तीन असर होते हैं: अेक अपनेपर, दूसरा असत्य आचरण करनेवालेपर और तीसरा समाजपर। देहदमनसे मनुष्य खुद ज्यादा सावधान होता है, दिलकी गहराअीमें खुतरकर आत्मनिरीक्षण करता है और अपनी कमजोरी

पहचान ले, तो उसे दूर करनेके उपाय करता है। असत्य आचरण करनेवालेमें दयाभाव हो, तो उसे अपने दोषका भान होता है, वह खुद शर्माता है, और दुबारा दोष न करनेका निश्चय करता है। आसपासका समाज अपनी कमियों और ज्यादातियोंकी जाँच करने लग जाता है।

मगर देहदमन सिर्फ अेक साधन है, साध्य नहीं। उसमें मनुष्यको सुधारनेकी शक्ति बिलकुल नहीं है। उसके पीछे जो विचार रहता है, वह हो तभी उससे लाभ उठाया जा सकता है। वह विचार यह है: मनुष्य शरीरका दास होकर रहता है, शरीरके भोगके लिये कभी धन्धोंमें पड़ता है, और अनेक पाप करता है। इसलिये जब जब पाप हो, तब तब देहको दण्ड दिया जाय। देहके भोगोंमें पड़े हुअे अिन्सान मूर्छामें होते हैं। भोजनरूपी भोगका थोड़ा बहुत त्याग भी मूर्छाको हलकी करनेमें मददगार हो सकता है। उपवासके अिस असरको ध्यानमें रखते हुअे उसकी व्याख्याको विस्तृत करनेकी जरूरत है। उपवासका अर्थ है अपनी या दूसरेकी आत्माकी शुद्धिके लिये किया हुआ सभी अिन्द्रियोंका दमन। अकंला भोजन छोड़ना उपवास नहीं माना जाता, और बीमारीके अिलाजके लिये किया हुआ आहारत्याग तो उपवासमें गिना ही नहीं जा सकता।

मैंने यह भी अनुभव किया है कि चलते फिरते उपवास हो, तो उसका असर कम पड़ेगा। अिसका कारण यह मालूम होता है कि बार बार होनेवाले उपवास यांत्रिक क्रिया-जैसे हो जाते हैं। अुनके पीछे वह विचार नहीं होता। अिसलिये हर उपवासके पीछे चारों तरफ जाग्रतिकी जरूरत रहती है।

मैंने खुद अपने लिये अेक खास परिणाम भी अनुभव किया है । मैंने बहुत बार अुपवास किये हैं, अिससे साथी घबराये हुअे रहते हैं । अुन्हें यह डर रहता है कि अिनसे मेरा शरीर जोखममें पड़ता है । अिसलिये साथियोंमें कितने ही अिस डरके मारे संयमनियम पालते दिख्वाअी देते हैं । मैं अिसे अुपवासका अुलटा नतीजा मानता हूँ । फिर भी मैं यह नहीं मानता कि अैसे डरसे पाला हुआ संयम हानिकारक है । यह डर प्रेमका डर है । अैसे डरके मारे भी मनुष्य अनीति करते रुक जाय, तो वह अच्छा ही है । समझ और स्वेच्छासे हुआ सुधार अुत्तम है । मगर बड़ोंकी शर्मके कारण या अुन्हें दुःख होनेके डरसे पाप करनेसे रुक जाना अुपेक्षा करने लायक नहीं । अिसमें पाशवीक बलात्कार नहीं है । शुरू शुरूमें सिर्फ अपने प्रिय जनोंको खुश करनेके लिये किये हुअे सुधार बादमें स्थायी हो गये, अैसी कअी मिसालें मिलती हैं ।

यह ध्यानमें रखना चाहिये कि अुपवास वगैरासे अेक दुखदायी परिणाम भी होता है । अुपवास वगैराके डरसे पाप करनेसे रुकनेके बदले अुसके असरमें आये हुअे लोग पाप छिपानेकी कोशिश करते पाये जाते हैं ।

गुणदोषका विचार करनेके बाद मेरी यह राय बनी है कि कुछ हालातमें अुपवास वगैरा प्रायश्चित्त जरूरी २५-४-३२ हैं । मैं मानता हूँ कि अिससे कुल मिलाकर आश्रमको लाभ ही हुआ है । मगर अितना याद रखनेकी जरूरत है कि अुपवास वगैरा प्रायश्चित्तके लिये अधिकारकी जरूरत है । हर किसीको हर किसी वज्रत प्रायश्चित्तके तौरपर अुपवास करनेका अधिकार है ही नहीं । अवसर और पात्र देखकर

अस अधिकारका फैसला हो सकता है । आम तौरपर अधिकार निर्णयकी ये शर्तें पायी गयी हैं :

(१) दोष करनेवालेके मनमें प्रायश्चित्त करनेवालेके लिये प्रेम होना चाहिये । प्रायश्चित्त करनेवालेके मनमें ३१-५-३२ दोषीके लिये प्रेम हो, पर दोषी अस प्रेमको न पहचाने या खुद दुश्मन बनकर फिरता हो, तो उसके लिये प्रायश्चित्त नहीं हो सकता । जो अपनेको दुश्मन मानता है, वह प्रायश्चित्त करनेवालेके लिये तिरस्कार भाव रखता है । असलिये उसपर प्रायश्चित्तका झुलटा असर पड़ सकता है, या सुपवास उसपर पाशविक बलात्कारका रूप धारण कर सकता है और वह दुराग्रह माना जा सकता है । असके सिवा, जिसके साथ विशेष और प्रेम सम्बन्ध न हो, और उसके दोषके लिये प्रायश्चित्तका अधिकार समीको हो, तो मनुष्यको प्रायश्चित्तसे फुरसत ही न मिले । सारी दुनियाके लिये प्रायश्चित्ततो किसी महात्माको ही भले शोभा दे । यहाँ तो हम साधारण मनुष्योंका ही विचार करते हैं ।

(२) दोष प्रायश्चित्त करनेवालेके प्रति भी होना चाहिये । यहाँ कहनेका मतलब यह है कि दोषीके साथ जिसका कोयी सम्बन्ध नहीं, वह दोषीके लिये प्रायश्चित्त न करे । जैसे, 'अ' की 'ब' के साथ दोस्ती है । पर 'ब' आश्रमवासी है, 'अ' का आश्रमके साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं । 'ब' का दोष आश्रमके प्रति है । यहाँ 'अ' का न तो प्रायश्चित्त करनेका धर्म है और न अधिकार ही । अगर 'अ' बीचमें पड़ने जाय, तो आश्रमकी विषम स्थिति हो जाय और 'ब' की भी हो सकती है । 'अ' के पास 'ब' के दोषका निर्णय करनेका साधन भी नहीं हो

सकता । ' ब ' का आश्रममें रहना सहन करके ' ब ' की नीतिके लिये और प्रायश्चित्तके लिये अपनी जिम्मेदारी ' अ ' ने आश्रमको सौंप दी ।

(३) प्रायश्चित्त करनेवाला खुद जैसे दोषसे मुक्त होना चाहिये । ' छलनी छाजको क्या हँसे ' वाली कहावत यहाँ लागू होती है ।

(४) प्रायश्चित्त करनेवाला और तरहसे भी शुद्ध होना चाहिये, जिससे दोषीके दिलमें उसकी अिजज्त हो । प्रायश्चित्तके गर्भमें ही पवित्रता समायी हुयी है । और दोषीके मनमें प्रायश्चित्त करनेवालेके लिये आदर न हो, तो उसपर अपवासका बुरा असर पडना स्वाभाविक हो जाता है ।

(५) प्रायश्चित्त करनेवालेका निजी स्वार्थ न होना चाहिये । जैसे, ' अ ' ने ' ब ' को दस रुपये देनेका वादा किया ३-६-'३२ है । अिसे पूरा न करना दोष है, मगर ' अ ' पूरा न करे तो अिसके लिये ' ब ' प्रायश्चित्त न करे ।

(६) प्रायश्चित्त करनेवाला रोषके वश न होना चाहिये । लडकेने कोअी दोष किया हो और अिससे बाप गुस्सेमें आकर अपवास कर बैठे, तो वह प्रायश्चित्त नहीं । प्रायश्चित्तमें सिर्फ दया होनी चाहिये, क्योंकि उसका हेतु खुद शुद्ध होना और दोष करनेवालेको शुद्ध करना है ।

(७) दोष प्रत्यक्ष, सर्वमान्य और आत्माका हनन करनेवाला होना चाहिये और उसका दोष करनेवालेको भान होना चाहिये । अन्दाजसे किसीको कसूरवार मानकर प्रायश्चित्त नहीं किया जा सकता । अैसा करनेसे कअी बार खतरनाक नतीजे होते हैं । दोषके बारेमें शंका न होनी चाहिये । साथ ही, अपना माना हुआ दोष

प्रायश्चित्तका कारण न होना चाहिये । ऐसा हो सकता है कि जिन्सान जिसे आज दोष भरा मानता हो, कल उसे वही बिना दोषका लगे । जिसलिअे जो चीज दोष रूप मानी जाय, वह ऐसी होनी चाहिये, जिसे समाज दोषरूप मानता हो । खादी न पहनना मेरे खयालसे बड़ा भारी दोष भले हो, मगर मेरे साथीको जिसमें कोअी बुराअी न लगती हो या उसे महत्त्व न देकर वह यह समझे कि पहनो या न पहनो, और चलता रहे । अगर जैसे बर्तावको दोष मानकर मैं झुपवास कर बैठूँ, तो वह प्रायश्चित्त नहीं, बल्कि बेजा दबाव माना जायगा । फिर, दोषीको दोष करनेका भान न हो, तो झुसके लिअे प्रायश्चित्त करना ठीक नहीं ।

जिसे ऐसी संस्था चलानी है जिसमें दण्ड वगैराकी गुंजायश नहीं और जहाँ हर काम धर्मके सहारे करनेकी कोशिश की जाती है, वहाँ यह चर्चा जरूरी है, क्योंकि संचालकोंका प्रायश्चित्त वहाँ सजा वगैराकी जगह ले लेता है । और किसी तरह संस्थाको सुगंधमयी रखना असम्भव है । सजासे भले ही बाहरी दिखावा कायम रखा जा सकता हो, बाहरी व्यवस्था रह सकती हो, संस्थाका काम बढ़ता दीखे । लेकिन सजा जिससे आगे नहीं जा सकती । प्रायश्चित्तसे भीतर और बाहर दोनोंकी रक्षा होती है और संस्था रोज मजबूत होती जाती है । जिसलिअे ऊपर बताये हुअे कुछ जैसे ही नियमोंकी जरूरत है ।

झुपवास वगैरा प्रायश्चित्त होनेपर भी आदर्श सत्यसे आश्रम अलग ही है और जिसलिअे, जैसा हम आगे
 ४-६-३२ देखेंगे, उसे अभी तो हम अुद्योगमन्दिरके नामसे ही पहचानते हैं । अितना जरूर कहा जा सकता है कि संचालक सावधान हैं । अपनी खामियोंका अुन्हें खयाल

है और खुनकी यह कोशिश रहती है कि कहीं असत्य न घुस जाय । लेकिन जहाँ समय समयपर नये आदमी भरती, होते रहें, जहाँ बहुतोंको विश्वासपर ही दाखिल किया जाता हो, जहाँ सब प्रान्तों और सब देशोंसे मनुष्योंका आनाजाना होता रहता हो, वहाँ सत्यका सभीमें बना रहना आसान बात नहीं । वहाँ तो मानो सत्यकी परीक्षा ही होती है ! लेकिन संचालक सच्चे होंगे, तो परीक्षा कितनी ही कठिन होनेपर भी आश्रम खुसमें पास हो जायगा । सत्यकी, शक्तिका कोअी माप नहीं, सत्यार्थीकी शक्तिका माप भले ही हो । लेकिन यदि वह जागरूक साधक हो, तो खुसकी शक्तिका भी अन्त नहीं ।

प्रार्थना

अगर सत्यका आप्रद आश्रमकी जड़में ही है, तो प्रार्थना खुस जड़का मुख्य आधार है । जबसे आश्रम २६-४-३२ स्थापित हुआ, तभीसे रोज प्रार्थनासे ही आश्रमका काम शुरू हुआ है और प्रार्थनासे ही खत्म हुआ है । मेरी जानकारीमें अेक दिन भी प्रार्थनाके बिना खाली नहीं गया । मुझे अैसे मौकोंकी याद है, जब प्रार्थनाके स्थानमें बरसात या अैसे ही किसी कारणसे अेक ही जिम्मेदार आदमी हाजिर हुआ हो । शुरूसे ही नियम तो अैसा ही रहा है कि जो बीमार न हों या बीमारी-जैसा ही दूसरा सबल कारण जिन्हें न हों, अैसे सभी सज्ञान व्यक्ति प्रार्थनामें शरीक हों । शामकी प्रार्थनाके वक्त तो अिस नियमकी पाबन्दी ठीक ठीक हुअी मानी जायगी । मगर सुबहकी प्रार्थनाके बाबत अैसा नहीं कहा जा सकता ।

सुबहकी प्रार्थनाका समय शुरू शुरूमें अनिश्चित था । खुसके बारेमें मैंने प्रयोग किये । क्रमशः चार, पाँच, छह और सात बजेकी

प्रार्थना रखी गयी थी। मगर समय समयपर किये गये मेरे आम्रहृके कारण आखिर ४-१० या ४-२० का समय तय हुआ है। यानी जागनेकी घंटी ४ बजे बजे, तो उसके बाद मुँह हाथ धोकर और दतौन करके सब लोग ४-२० तक आ जायँ।

मैंने माना है कि हिन्दुस्तान-जैसे समशीतोष्ण प्रदेशमें मनुष्य जितना जल्दी खुटे खुतना ही अच्छा है।

२७-४-'३२ करोड़ों आदमियोंको जल्दी खुठना ही पड़ता है।

किसान देरसे खुटे तो उसकी खेती बिगड़ जाय। पशुओंकी सँभाल बड़े सबेरे ही होती है, गाय सबेरे सबेरे ही दुही जाती है। जिस देशमें यह हालत हो वहाँ सत्यार्थी, मुमुक्षु, सेवक या संन्यासी सुबह दो-तीन बजे खुटे, तो यह नहीं कहा जा सकता कि वह कोभी बड़ी बात कर रहा है। हाँ, न खुटे तो

अचरज हो। सभी देशोंमें धार्मिक मनुष्य, प्रभुके ४-६-'३२ भक्त और गरीब किसान जल्दी ही खुठते हैं।

भक्त भगवानके ध्यानमें लीन होते हैं, किसान अपनी खेतीके कामोंमें लगकर अपनी और दुनियाकी सेवा करते हैं। मेरे खयालसे दोनों ही भक्त हैं। पहले ज्ञानपूर्वक भक्त हैं। किसान अनजानमें अपनी मेहनतसे प्रभुको भजते हैं, क्योंकि खुनपर जगत निर्भर करता है। वे मेहनत न करके ध्यान लगाकर बैठ जायँ, तो धर्मभ्रष्ट हो जायँ और अपने नाशके साथसाथ संसारका भी नाश करें।

मगर किसानको हम भक्त मानें या न मानें? जहाँ किसानको, मजदूरको या दूसरे गरीबोंको अच्छासे या अनिच्छासे बड़ी सुबह खुठना पड़ता है, वहाँ जिसने सेवाको धर्म माना है, जो सत्यनारायणका पुजारी है, वह कैसे सोता रहे? फिर आश्रममें तो शक्ति और

सेवाके लिये सुयोगका मेल बैठानेकी कोशिश है । जिसलिये कितनी ही अबचनें महसूस हों, तो भी आश्रममें सभी सशक्तोंको जल्दी सुठना ही चाहिये । यह मुझे हमेशा दीपककी तरह साफ दिखायी दिया है, और मैंने चार बजेका वक्त जल्दीका नहीं, बल्कि सुठनेका देरसे देरका वक्त माना है ।

कभी प्रयोगोंके बाद अब बरसों से आश्रममें सुठनेका घंटा चार बजे बजता है और प्रार्थना ठीक ४-१० या ४-२० पर शुरू होती है ।

प्रार्थना कहाँ की जाय ? कोभी मन्दिर बनाकर या बाहर आकाशके नीचे ? वहाँ भी कोभी चबूतरा बनाकर
 ५-६-'३२ या रेत और धूलपर ही ? कोभी मूर्ति खड़ी की जाय या नहीं ? वगैरा सवाल भी तय करने थे ही । अन्तमें आकाशके नीचे, मिट्टी या रेतपर ही बैठकर, मूर्तिके बिना प्रार्थना करनेका निश्चय हुआ । आश्रमका आदर्श गरीबी धारण करना है, भूखों मरते करोड़ोंकी सेवा करना है । आश्रममें कंगालके लिये जगह है । यह कहा जा सकता है कि जो नियमकी पाबन्दी करनेको तैयार हैं, वे सभी भरती हो सकते हैं । जैसे आश्रममें प्रार्थना-मन्दिर अँटचूनेका मकान नहीं हो सकता । सुसके लिये आकाशका छप्पर और दिशाओंरूपी खंभे और दीवारें ही काफी होनी चाहियें । चबूतरा बनवानेका विचार था, वह भी रद्द हुआ । संख्याकी हद जब नहीं बाँधी जा सकती, तो फिर चबूतराकी हद कौन बाँधे ? बहुत बड़ा चबूतरा बनवानेमें खर्च बहुत होता है । अनुभवसे पाया गया कि मकान या चबूतरा न बनानेका विचार ठीक था । आश्रमके बाहरके लोग भी प्रार्थनामें

आ सकते हैं। जिससे कभी बार तादाद अितनी हो जाती है कि कितना ही बड़ा चबूतरा बनाते, फिर भी कमी कमी छोटा पड़ जाता।

फिर, आश्रमकी प्रार्थनाका अनुकरण दिन दिन बढ़ते जानेके कारण भी आकाश-मन्दिर ही ठीक साबित हुआ है। जहाँ जहाँ में जाता हूँ, वहीं सुबह शाम प्रार्थना होती ही है। उसमें खासकर शामको अितनी भीड़ होती है कि वह खुले मैदानमें ही हो सकती है। और मुझे मन्दिरमें ही प्रार्थना करनेकी आदत पड़ी हुई होती, तो शायद सफ़रमें सार्वजनिक प्रार्थना करनेका विचार भी नहीं आता।

फिर, आश्रममें सब धर्मोंके लिये समान आदर है। सब धर्मोंके लोगोंको भरती होनेकी छूट है। उनमें मूर्तिपूजक भी हो सकते हैं, मूर्तिपूजाको न माननेवाले भी हो सकते हैं। किसीको आघात न पहुँचे, जिस खयालसे आश्रमकी सामाजिक प्रार्थनामें मूर्ति नहीं रखी जाती। जो अपने कमरेमें रखना चाहें, उन्हें कोई मनाही नहीं है।

प्रार्थनामें क्या होता है ?

सुबहकी प्रार्थनामें 'आश्रमभजनावली'में छपे हुए श्लोक, अेकाध भजन, रामधुन और गीतापाठ होता है। शामको ७-५-३२ गीताके दूसरे अध्यायके पिछले अुन्नीस श्लोक, भजन, रामधुन और अक्सर कुछ न कुछ पाठ होता है। पहलेसे ही ऐसा नहीं था। श्लोक काकासाहब कालेलकरके छॉटे हुए हैं। काका साहब आश्रममें शुरूसे ही शरीक हैं। काका साहबकी जानपहचान मगनलालने शान्तिनिकेतनमें की। जब मैं

विलायतमें था, तब मगनलालने बच्चों सहित शान्तिनिकेतनका आसरा लिया था। दीनबन्धु ओण्डूज और स्व० पियर्सन खुस वक्त शान्तिनिकेतनमें थे। मैंने जहाँ ओण्डूज कहे, वहाँ ठहरनेकी मगनलालको सलाह दी थी। ओण्डूजने शान्तिनिकेतन पसन्द किया। काका साहब अिन दिनों शान्तिनिकेतनमें थे। वहाँ शिक्षकका काम करते थे। मगनलाल और काका साहबके बीच निकट सम्बन्ध हो गया। मगनलालको संस्कृत जाननेवाले अध्यापककी कमी महसूस हुआ करती थी। वह काका साहबने पूरी कर दी। खुसमें वहाँके चिन्तामणि शास्त्री भी मिल गये। काका साहबने प्रार्थनामें श्लोक सिखाये। शान्तिनिकेतनमें जो श्लोक सबने सीखे थे, वे आजसे ज्यादा थे। खुनमेंसे कुछ श्लोक काका साहबसे मशवरा करके समय बचानेकी खातिर निकाल दिये गये। जो बाकी रहे वे आज चलते हैं। अिस तरह प्रातःकालमें गाये जानेवाले श्लोक आश्रमके आरम्भकालसे आजतक चले आ रहे हैं, और सम्भव है कि अेक दिन भी अैसा न हुआ कि ये श्लोक आश्रममें न गाये गये हों।

अिन श्लोकोंपर काफ़ी हमले हुअे हैं,— किसी वक्त समय बचानेके खयालसे, किसी समय अिस खयालसे कि कुछ श्लोक अैसे हैं जिन्हें सत्यका पुजारी नहीं गा सकता और कभी कभी अिस मान्यतासे कि अिन श्लोकोंको हिन्दुओंके अलावा और लोग नहीं गा सकते। यह तो निर्विवाद है कि ये श्लोक हिन्दू समाजमें ही गाये जानेवाले हैं, लेकिन मुझे अैसा नहीं लगा कि अिनमें कोअी अैसी बात है, जिससे दूसरे धर्मवालोंको अिनके गानेमें या गाते समय मौजूद रहनेमें कोअी चोट पहुँचे। जिन मुसलमान और अीसाअी मित्रोंने ये श्लोक सुने हैं, खुन्होंने

भी विरोध नहीं किया। जिनको दूसरे धर्मके लिओ आदर है, उन्हें चोट लगनी भी न चाहिये। और यहाँ असौकर जिक्र हो सकता है। अिन श्लोकोंमें किसीकी निन्दा या अपेक्षा जैसी कोअी बात है ही नहीं। आश्रममें हिन्दू धर्मवालोंकी बहुत बड़ी संख्या होनेके कारण पसन्दगी तो हिन्दूधर्मके श्लोकोंकी ही हो सकती है। लेकिन दूसरोंका कुछ भी गाया या पढ़ा न जाय, असौ कोअी नियम नहीं। बल्कि, प्रार्थनामें प्रसंग आनेपर अिमाम साहब कुरानकी आयतें पढ़ते थे। मुसलमानी भजन या गजलें तो बार बार गायी जाती हैं। यही बात अीसाअी भजनोंके बारेमें है।

मगर बहुत आग्रहके साथ जो विरोध हुआ, वह सत्यके खयालसे हुआ। सरस्वती, गणेश वगैराकी पूजा सत्यका हनन करनेवाली है। कमलके आसनपर बैठी, वीणा वगैरा हाथमें लिओ सरस्वती नामकी किसी देवीकी हस्ती ही नहीं। मोटे पेटवाला और सूँडवाला गणेश नामका कोअी देवता है ही नहीं। अेक आश्रमवासीने यह दलील बड़ी नाम्रताके साथ, मगर अुतने ही जोरसे दी कि असै काल्पनिक देवताओंकी प्रार्थना करनेमें और बच्चोंको सिखानेमें सत्यका हनन होता है। अुन्हें दूसरे आश्रमवासियोंकी हिमायत भी हासिल थी। अिस बारेमें मैने अपनी राय यों दी :

“ मै अपनेको सत्यका पुजारी मानता हूँ, फिर भी मुझे ये श्लोक बोलनेमें या बच्चोंको सिखानेमें जरा भी चोट नहीं पहुँचती। अगर अूपरकी दलीलसे कितने ही श्लोक रद कर दिये जायँ, तो अुनके गर्भमें हिन्दूधर्मकी जो सारी रचना भरी है, अुसपर हमला होता है। मै यह नहीं कहता कि हिन्दूधर्ममें हमलेके लायक जो

चीज हो, फिर वह कितनी ही पुरानी हो, उसपर हमला न किया जाय। मगर अिसे मैं हिन्दूधर्मका कमजोर या हमला करने लायक अंग नहीं मानता। अिसके विपरीत, मेरा विश्वास है कि हिन्दूधर्ममें यह अंग रहा है, तो शायद यह उसकी विशेषता है। मैं खुद सरस्वती या गणेश जैसी किसी अलग हस्तीको नहीं मानता। ये सब वर्णन अेक ही अीश्वरकी स्तुतियाँ हैं। उसके बेशुमार गुणोंको भक्त कवियोंने मूर्तिमान कर दिया है। यह कोअी बुरी बात नहीं हुअी। अैसे श्लोकोंमें अपनेको या और किसीको धोखा देनेकी कोअी बात नहीं। देहधारी जब अीश्वरकी स्तुति करने बैठता है, तब वह उसके बारेमें अपनी पसन्दकी कल्पना कर लेता है। उसकी कल्पनाका अीश्वर उसके लिअे तो है ही। निर्गुण निराकार अीश्वरकी प्रार्थना बोलते ही उसमें गुणोंका आरौपण होता है। गुण भी आकार ही है। असलमें अीश्वरका वर्णन नहीं किया जा सकता। वह वाणीकी सीमासे बाहर है। मगर पामर मनुष्यको तो उसकी कल्पनाका ही आधार है। उसीसे वह पार लगता है और उसीसे डूबता भी है। अीश्वरके लिअे जो भी विशेषण शुद्ध हेतुसे विश्वासके साथ गाओ, वह तुम्हारे लिअे सच्चा है। और असलमें अैसे तो झूठा है ही, क्योंकि उसके लिअे कोअी भी विशेषण काफ़ी नहीं होता। मैं खुद बुद्धिसे यह बात जानता हूँ, फिर भी उसके गुणोंका बखान किये बिना, उसका ध्यान किये बिना नहीं रह सकता। मेरी बुद्धि जो कहती है, उसका असर हृदयपर नहीं होता। मैं यह स्वीकार करनेको तैयार हूँ कि मेरे कमजोर दिलको गुणोंवाले अीश्वरका आसरा चाहिये। जो श्लोक मैं पिछले पन्द्रह सालसे गाता आया हूँ, वे मुझे शान्ति देते हैं, मुझे अपने खयालसे सच्चे मालूम होते हैं। उनमें मुझे सौन्दर्य,

काव्य, और शान्ति नजर आती है। सरस्वती, गणेश वगैराके लिये विद्वान लोग कभी कथायें कहते हैं। वे सब बेकार नहीं। बुनका मेद मुझे मालूम नहीं। बुनमें मैं गहरा बुतरा भी नहीं। अपनी शान्तिके लिये मुझे गहरा बुतरनेकी जरूरत भी नहीं जान पड़ी। जिसलिये सम्भव है मेरा अज्ञान ही मुझे बचा लेता हो। सत्यकी खोज करते हुअे जिस चीजकी गहराअीमें जानेकी जरूरत मुझे महसूस नहीं हुअी। अपने अीश्वरको मैं जानता हूँ। बुस तक मैं पहुँचा नहीं हूँ, मगर मेरे लिये अितना काफी है कि मैं बुस दिशामें जा रहा हूँ।”

मैं यह आग्रह नहीं रख सकता कि ऐसी दलीलसे साथियोंको सन्तोष होगा ही। मुझे पता नहीं कि जिससे किसको कहाँ तक सन्तोष हुआ। जिस बारेमें अेक बार अेक समिति मुकर्रर की गयी थी। जी भरके चर्चा होनेके बाद यह फैसला हुआ कि जो भी चुनाव किया जायगा, किसी न किसीको बुसीमें कोअी न कोअी दोष तो दिखेगा ही। जिसलिये जो है बुसीको रहने दिया जाय। बुन श्लोकोंका अर्थ सब अपनी अपनी कल्पनाके अनुसार करेंगे। मैं जिन बातोंका बयान कर गया हूँ, वे सब अेक साथ नहीं घटीं। अलग अलग मौकोंपर अलग अलग विरोध हुअे। वे सब मेने अेक जगह अिकट्टे करके दे दिये हैं।

श्लोकोंके साथ भजन होते ही थे। प्रार्थनाकी शुरुआत दक्षिण अफ्रीकामें भजनसे ही हुअी थी। श्लोक हिन्दुस्तानमें आनेके बाद जोड़े गये। भजन गाने-गवानेमें मगनलाल ही मुखिया थे। जिससे हम दोनोंको असन्तोष था। जो कुछ करना हो, अच्छी तरह यानी सच्ची रीतिसे करनेका लोभ था। जिसलिये कोअी

संगीतशास्त्री मिले, तो खुससे सब तालीम लें और रसके साथ भजन गायें । भजनमें अेक स्वर न निकले, तो खुसमें तल्लीन होना असम्भव नहीं, तो मुदिकल तो था ही । मगर शास्त्री अैसा होना चाहिये, जो आश्रमके नियमोंका पालन करे । अैसा लगा कि अिस तरहका संगीतशास्त्री मिलना कठिन है । तलाश करते करते मगनलालको स्व० संगीताचार्य विष्णु दिगम्बर शास्त्रीने अपने पहले शिष्य नारायण खरेको प्रेमपूर्वक दे दिया । खुन्होंने आश्रमके खयालसे पूरा सन्तोष दिया, और वे अब आश्रमके पूरे सदस्य बनकर रह रहे हैं । खुन्होंने भजनोंमें रस अँड़ेला और जो ' आश्रम भजनावली ' आज हजारों लोग आनन्दके साथ पढ़ते हैं, वह मुख्यतः खुन्हींकी कृति है । भजनके साथ खुन्होंने रामधुन जारी की ।

अभी प्रार्थनाका चौथा अंग बाकी है । यह है गीतापाठ । समय समयपर तो गीता पढ़ी ही जाया करती थी । बरसोंसे आश्रमवासी गीताको आचारविचारके लिअे प्रमाण-ग्रंथ मानते हैं । कोअी आचार या विचार शुद्ध है या नहीं, यह देखनेके लिअे आश्रम गीताको अैसी ही समझता है, जैसे द्विज्जे या अर्थ जानना चाहनेवाला विद्यार्थी शब्द या अर्थकोषको मानता है । अिस गीताका अर्थ हर आश्रमवासी जाने तो अच्छा, वह सबको जबानी याद हो जाय तो और भी अच्छा, और अैसा न हो सके तो भी मूलको शुद्ध अुच्चारण करके पढ़ सके तो ठीक — अिस किस्मके विचारोंको लेकर रोज गीतापाठ करना शुरू किया । पहले थोड़े श्लोक थे, और याद हो जाने तक वे ही श्लोक रोज बोले जाते । अिसमेंसे पारायण पैदा हुआ और अब गीताके अध्याय अिस ढंगसे जमा लिये गये हैं कि चौदह दिनमें पूरी गीता पढ़ी जाय । अिस तरह हर आश्रमवासी जान सकता है कि किस दिन कौनसे श्लोक पढ़े

जाते हैं। हर दूसरे शुक्रवारको पहला अध्याय शुरू होता है। यह लिखा जा रहा है उसके बादका शुक्रवार (१० जून, १९३२) पहले अध्यायका है। अठारह अध्याय चौदह दिनमें पूरे करनेके लिये ७+८, १२+१३, १४+१५, १६+१७ अेक ही दिन अेक-साथ गये जाते हैं।^६

में कह चुका हूँ कि शामकी प्रार्थनामें भजन और रामधुनके सिवा गीताके दूसरे अध्यायके पिछले अुन्नीस श्लोक बोले जाते हैं। अिन श्लोकोंमें स्थितप्रज्ञके लक्षण कहे गये हैं। सत्याग्रहीके भी यही लक्षण होने चाहियें। जो चीज़ स्थितप्रज्ञ साधता है, वही सत्याग्रहीको साधनी है। यह हमेशा याद रहे, अिसीलिये ये श्लोक गये जाते हैं।

रोज अेक ही प्रार्थनाके ठीक होनेके बारेमें यह शंका अुठाअी गयी है कि 'रोज अेक ही प्रार्थना करनेसे वह यंत्रवत् हो जाती है; अिससे अुसका असर जाता रहता है।' यह सही है कि प्रार्थना यंत्रवत् हो जाती है। हम खुद यंत्र हैं। अगर हम अीश्वरको यंत्र चलानेवाला मानते हैं, तो हमें यंत्रकी तरह चलना ही चाहिये। सूरज वगैरा अपना काम यंत्रकी तरह न करें, तो जगत् अेक क्षण भी नहीं चल सकता। पर यंत्रवत्का अर्थ जड़ बनकर नहीं है। हम चेतन हैं। चेतनको शोभा दे अुतना ही चेतन यंत्रकी तरह काम करे, वैसा चले। प्रार्थना अेक ही हो या अनेक, ये दो सवाल नहीं हैं। यह भी हो सकता है कि अनेक प्रार्थनाअें रखनेपर भी अुनका असर न पड़े। हिन्दुओंकी वही गायत्री, अिस्लामका वही कलमा, अीसाअीकी वही प्रार्थना अिन धर्मोंके लाखों आदमी सदियोंसे रोज पढ़ते आये हैं। लेकिन अिससे अुनका चमत्कार कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ा है। अगर अुनके पीछे मनुष्यकी

भावना रहेगी, तो अन्नका चमत्कार और भी बढ़ेगा। यही गायत्री, यही कलमा, यही असीमाकी प्रार्थना नास्तिक पढ़े या तोता पढ़े, तो अन्नका कुछ भी असर न होगा। मगर जब यही आस्तिकके मुँहसे रोज निकलती है, तब अन्नकी भव्य शक्ति रोज बढ़ती जाती है। हमारी मुख्य खुराक रोज वही की वही होती है। गेहूँ खानेवाले और और चीजें भले ही लें, अन्नमें बदला करें, परन्तु गेहूँकी रोटी तो रोज लेंगे ही। अिससे अन्नका शरीर बनेगा, वे अन्नबेंगे नहीं। अन्न जायँ तो शरीरका अन्न नजदीक आ जाय। यही बात प्रार्थनाकी है। मुख्य प्रार्थना तो अेक ही होगी। आत्माको यदि अन्नकी भूख होगी, तो वह अेक प्रार्थनासे भी अन्नबेगी नहीं, बल्कि पुष्ट होगी। जिस दिन प्रार्थना न होगी, अन्न दिन अन्नसे अन्नकी भूख रहेगी। वह अपवासीसे भी ज्यादा ढीला लगेगा। शरीरके लिये किसी दिन अपवास जरूरी होता है। लेकिन आत्माको प्रार्थनाकी बदहजमी हुआ असा कमी सुनी नहीं।

असल बात यह है : हममेंसे बहुतेरे आत्माकी भूखके बिना प्रार्थना करते हैं। आत्मा है, यह माननेका 'फैशन' है, यह रिवाज है, अिसलिये 'है यह मानते हैं।' अिस तरहकी खराब हालत बहुतोंकी होती है। कितनों ही के लिये 'आत्मा है', यह अन्नकी वृद्धि निश्चित कर देती है। अैसोंके वह हृदयगत नहीं होती। अिसलिये अन्नहें प्रार्थनाकी जरूरत नहीं होती। बहुतेरे प्रार्थनामें यह मानकर शरीर होते हैं कि समाजमें रहकर वही करना चाहिये, जो समाज करता है। अैसोंको विविधताकी जरूरत जान पड़ती है। मगर दरअसल वे प्रार्थनामें शरीर होते ही नहीं। वे संगीत सुनने आते हैं, तमाशा देखने आते हैं, प्रवचन सुनने आते हैं, लेकिन अीश्वरके साथ अेकता साधने नहीं आते।

प्रार्थनाका अर्थ क्या है ?

प्रार्थनाका मूल अर्थ तो माँगना होता है । अीश्वरसे या बड़ोंसे नम्रताके साथ की गयी माँग ही प्रार्थना है । यहाँ जिस अर्थमें प्रार्थना शब्द काममें नहीं लिया गया है । प्रार्थना यानी अीश्वरकी स्तुति, भजन कीर्तन, (अुपासना), सत्संग, अंतर्ध्यान, अन्तरशुद्धि ।

परन्तु अीश्वर कौन ? वह कोअी हमारे शरीरसे या संसारसे बाहर रहनेवाला व्यक्ति नहीं । वह तो सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है । अुसे स्तुतिकी क्या गरज ? सर्वव्यापक होकर वह सब कुछ सुनता है, हमारे विचार जानता है; जोरसे बोलकर अुसे क्या सुनाया जाय ? वह हमारे दिलमें बसा हुआ है । नाखून अंगुलीके जितना पास है, अुससे भी वह हमारे ज्यादा नजदीक है । यहाँ प्रार्थना क्या करेगी ?

चूँकि अैसी परेशानी है, अिसीलिअे प्रार्थनाका अर्थ भीतरी शुद्धि भी किया गया है । बोलकर अीश्वरको नहीं सुनाना है । बोलकर या गाकर हमें अपनेको ही सुनाना है, नींदसे जागना है । हममेंसे कअी अीश्वरको बुद्धिसे पहचानते हैं । कितनोंको अुसके बारेमें भी शंका है । किसीने अीश्वरको आँखोंसे नहीं देखा । हमें अुसे दिलसे पहचानना है, अुसका साक्षात्कार करना है, अुसके स्वरूपमें मिल जाना है । अिसीके लिअे प्रार्थना करते हैं ।

यह अीश्वर, जिसके हम दर्शन करना चाहते हैं, सत्य है । या यों कहिये कि सत्य ही अीश्वर है । सत्यका अर्थ अितना ही नहीं कि सच बोला जाय । सत्य यानी अिस जगत्में जो अपने रूपमें हमेशासे था, है और रहेगा और अुसके सिवा दूसरा कुछ

भी नहीं, जो अपनी शक्तिसे है, जिसे किसीका सहारा नहीं चाहिये, बल्कि जगतमें जो कुछ है उसीके सहारे है। सत्य ही शाश्वत है, बाकी सब क्षणिक है। उसे किसी आकारकी जरूरत नहीं। वही शुद्ध चेतन है, वही शुद्ध आनन्द है। उसे अश्वर कहते हैं, क्योंकि उसीकी सत्तासे सब कुछ चलता है। वह और उसका कानून अेक ही है, जिसलिअे कानून चेतनरूप है। जिस कानूनके सहारे सारा तंत्र चलता है। जिस सत्यकी आराधना ही प्रार्थना, यानी अपनी सत्यमय होनेकी तीव्र अिच्छा है। यह अिच्छा चौबीसों घंटे होनी चाहिये। मगर हममें अितनी जाग्रति नहीं है कि हम मुर्करर समयपर प्रार्थना, आराधना या अुपासना करें ही और अैसा करते करते हमें चौबीसों घंटे सत्यका ध्यान रहे।

आश्रम जिस तरहकी प्रार्थनाको प्राप्त करना चाहता है। अभी तो वह उससे बहुत दूर है। अूपर बताये हुअे सब बाहरी अुपाय हैं। मगर किसी भी तरह प्रार्थना हृदयमें अुतारनेका खयाल है, और अगर आश्रमकी प्रार्थना अभी तक भी आकर्षक नहीं बनी, अभी तक भी आश्रमवासियोंको हाजिर रहनेके लिअे टोकना पड़ता है, तो उसका अर्थ यह है कि आश्रममें हममेंसे किसीमें भी मैने कहा उस अर्थमें प्रार्थना मूर्तिमान नहीं बनी है।

हृदयमें अुतरी हुअी प्रार्थनामें तो फक्त अितना अंतर्ध्यान रहना चाहिये कि उस वक्त उसे किसी दूसरी चीजका भान ही न हो। भक्तको विषयीकी अुपमा ठीक ही दी गयी है। विषयीको जब उसका विषय मिल जाता है, तब वह अपना भान भूलकर विषयरूप बन जाता है। उसकी सारी अिन्द्रियाँ तदाकार हो जाती हैं, क्योंकि उसे अपने विषयके सामने और कुछ सूझता ही नहीं। जिससे भी ज्यादा तदाकारिता अुपासकमें होनी चाहिये। यह तो

बहुत कोशिशसे, तपसे, संयमसे ही समय पाकर आती है। जहाँ ऐसा कोअी भक्त होता है, वहाँ प्रार्थनामें जानेके लिये किसीको ललचाना नहीं पड़ता। उसकी भक्ति औरोंको जबरदस्ती खींचती है।

यहाँ तक सामूहिक प्रार्थनाके बारेमें लिखा गया। मगर आश्रममें निजी, अेकान्त प्रार्थनापर भी जोर दिया जाता है। जो अकेला प्रार्थना करता ही नहीं, वह भले ही सामूहिक प्रार्थनामें शरीक हो, मगर उसमेंसे वह बहुत कुछ लेता नहीं। समाजके लिये सामूहिक प्रार्थना बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे व्यक्तिके बिना समाज हो ही नहीं सकता, उसी तरह निजी प्रार्थनाके बिना सामूहिक प्रार्थना सम्भव नहीं। इसलिये हर आश्रमवासीको बार-बार चेतावनी दी जाती है कि उसे सोतेजागते अनेक बार अपने आप ही अंतर्ध्यान होना जरूरी है। इसके लिये कोअी पहरा नहीं लगा सकता। इसका हिसाब नहीं हो सकता। मैं नहीं कह सकता कि आश्रममें यह प्रार्थना कहाँ तक होती है। मैं ऐसा मानता हूँ कि थोड़ी बहुत मात्रामें समी इस तरफ कोशिश करते हैं।

अहिंसा

यह कहा जा सकता है कि ज्यादासे ज्यादा परेशानी शायद अहिंसा पालनके बारेमें हुआ है। सत्यकी पहलियाँ रहा ही करती हैं। प्रार्थना हृदयमें नहीं सुतरती, मगर ये दोनों क्या हैं, यह समझनेमें बहुत मुश्किल नहीं पड़ती। अहिंसाके समझनेमें ही दम निकल जाता है। जितनी चर्चा अहिंसाकी हुआ है, सुतनी आश्रममें और किसी विषयकी नहीं हुआ होगी। कोअी काम किया, वह हिंसा है या अहिंसा, यह सवाल आश्रममें सुठा ही

करता है । और बहुत बार हिंसा-अहिंसाका भेद जानते हुआ भी अहिंसाका पालन नहीं किया जा सकता । पालन करनेमें अक्सर कमजोरी आड़े आती है । यह कमजोरी भी ऐसी नहीं होती, जो आसानीसे दूर हो सके । मन, वचन और शरीरसे किसीका भी, अपना या दूसरेका भला मानकर भी, किसी जीवको दुःख न देना अहिंसा है । जिसपर पूरी तरह अमल करना देहधारीके लिये असम्भव है । वह एक साँस लेनेमें ही बेशुमार सूक्ष्म जीवोंकी हिंसा करता है । आँख टिमटिमानेमें जो जीव आँखपर बैठना चाहते हैं, उनकी हिंसा होती है । खेती करनेमें अनेक छोटे-बड़े जानवरोंकी हिंसा होती है । साँप-विच्छेद काटेंगे, जिस डरसे उन्हें मारें नहीं तो पकड़कर दूर छोड़ आते हैं । उन्हें पकड़नेमें थोड़ा दुःख तो होता ही है । उसे भले ही अनिवार्य समझा जाय, मगर अूपकी व्याख्याके अनुसार वह हिंसा तो है ही ।

मैं जो खाता हूँ, जो जगह रोकता हूँ, जो कपड़े पहनता हूँ, वह बचाऊँ, तो यह स्पष्ट है कि वह सब मुझसे जिन्हें ज्यादा जरूरत है उन गरीबोंके काम आये । मेरे स्वार्थके कारण उन्हें वे चीजें नहीं मिल पातीं । जिसलिये मेरे भोगसे मेरे कंगाल पड़ोसीकी हिंसा होती है । जीनेके लिये मैं कभी तरहकी वनस्पति खाता हूँ, उसमें वनस्पति जीवनकी हिंसा है ।

जिस व्यापक हिंसामें पड़ा हुआ मैं किस तरह अहिंसा पाऊँ ? पगपगपर नयी समस्याएँ खड़ी ही होनेवाली हैं ।

अूपर बतायी हुयी हिंसा तो ऐसी है, जो समझमें आ सके । मगर हम एक दूसरेसे जो सूक्ष्म द्वेष करते हैं, उसका क्या हो ? शिक्षक लड़कोंको मारे, माँ बच्चोंको डाँटे, सरीखे सरीखे

अेक दूसरेको लाल आँखें दिखायें, यह सब हिंसा ही है और बुरी तरहकी हिंसा है । अिसे वशमें ही नहीं किया जा सकता । जहाँ रागद्वेष है, वहाँ हिंसा ही है । यह हिंसा कैसे मिटे ?

अिसलिअे पहले तो आश्रममें यह सीख लेते हैं कि देश, कुटुम्ब या अपने लिअे किसीका सिर धड़से अुड़ा देना तो हिंसा है ही । मगर क्रोध वगैरासे रोज होनेवाली सूक्ष्म हिंसा अिस मोटी हिंसासे शायद अधिक खराब है । अलग हिसाब लगायें तो दुनियामें रोज होनेवाले खूनोकी संख्या मामूली जान पड़ेगी । दुनियाकी आबादीके प्रमाणमें जो मौतें और तरहसे होती हैं, अुनसे तुलना करनेपर खूनोकी तादाद नाम मात्रकी मालूम होगी । मगर क्रोध वगैरासे रोज होनेवाली सूक्ष्म हिंसाका अन्दाजा ही नहीं लग सकता ।

अिन सब तरहकी हिंसाओको काबूमें लेनेकी कोशिश आश्रममें रोज होती है । सब अपनी कमजोरी समझते हैं । साँप वगैराका डर मुझसे लगाकर सबको है । अिसलिअे अुन्हें पकड़कर किसीको नुकसान न हा, अैसी जगह छोड़ आनेका आम रिवाज है । और कोअी डरके मारे अुसे मार डाले, तो वह अुलाहनेका पात्र नहीं गिना जाता । अेक बार गोशालामें अेक भयंकर नाग अैसी जगह घुस बैठ था, जहाँसे अुसे पकड़ा नहीं जा सकता था । अैसी हालतमें वहाँ डोर बाँधनेमें जोखम थी । आदमी काम करते भी डरते थे । मजबूर होकर मगनलालने अुसे मार डालनेकी मंजूरी दे दी । मुझसे जब अुसने यह बात कही, तो मैंने अुसका काम पसन्द किया । मैं मानता हूँ कि मैं खुद आश्रममें होता तो और कोअी अुपाय नहीं कर सकता था । मुझे अपनी बुद्धि कहती है कि साँपको भी अपना सगा समझकर बर्ताव करना

चाहिये। उसके काटनेसे मौत हो जाय, तो वह जोखम उठाकर भी मुझे साँपको हाथसे पकड़कर डरनेवालोंके पाससे हटाना चाहिये। मगर मेरे दिलमें न अितनी मित्रभावना है, न अितनी निर्भयता है। और न साँप वगैराके काटनेसे होनेवाली मौतकी लापरवाही है। अिन तीनों बातोंकी हृदयको तालिम देनेकी मेरी कोशिश है, पर मैं सफल नहीं हुआ। यह सम्भव है कि मुझपर साँप हमला करे तो मैं उसका हमला सह लूँ और उसे मारनेको तैयार न होऊँ। दूसरेके शरीरको जोखममें डालनेको मैं तैयार नहीं हूँ।

एक समय बन्दरोंका अपद्रव अितना सख्त हो गया था कि वे फ़सलको बेहद नुक़सान पहुँचाने लगे। रखवाले अुन्हें गोफ़णसे डराते, पर वे क्या डरें? अन्तमें वे बन्दरोंको घायल करने लगे। एक लँगड़ा हो गया। मुझे अिसमें शरीर दंडसे ज्यादा हिंसा दिखायी दी। अिस बारेमें साधियोंसे चर्चा करके यह फ़ैसला हुआ कि वे न जायँ, तो गोफ़ण या दूसरी तरहसे घायल करनेकी अपेक्षा दूसरे किन्हीं हल्के अपायोंसे एक-दोकी जान ली जाय और अपद्रवको ख़त्म किया जाय। यह आख़िरी फ़ैसला करनेमे पहले मैंने 'नवजीवन'के जरिये और मित्रोंको लिखकर जाहिर चर्चा की थी। अिसलिअे यहाँ सारी दलीलोंमें नहीं अुतरता। जिन्हें अिस विषयमें ज्यादा जाननेकी अिच्छा हो वे 'नवजीवन' पढ़ लें।

मनुष्यके सिवा दूसरे प्राणी हिंसक हों, तो भी अुन्हें न मारनेका धर्म हिन्दुस्तानके बाहर माना गया हो, यह मैं नहीं जानता। मालूम हुआ है कि अैसा धर्म संत फ़्रांसिस-जैसे व्यक्तिने पाला था। लेकिन उसका आम लोगोंमें पाला जाना मेरी जानकारीमें नहीं। आश्रम अिस धर्मको मानता है। फिर भी यह दुःखकी बात है कि अिसे अमलमें लानेमें आश्रम बहुत कच्चा है। अिस धर्मको

पालनेकी कला अभी हाथ नहीं लगी है । सम्भव है कि उसके पालनमें बहुतसे लोगोंको अपने प्राण गँवाना होगा, तभी यह हाथ लगेगी । अभी तो यह सिर्फ मनोरथके रूपमें है । बहुत समयसे यह धर्म मान लिया जानेपर भी उसका पालन मन्द है । जिसका मुख्य कारण मैं यह मानता हूँ कि धर्मको स्वीकार करनेवाले आलस्यके मारे या दूसरे कारणोंसे अपने आपको धोखा देते हैं ।

पागल कुत्तोंका मार डालनेका आश्रममें रिवाज है । असा अवसर मेरी जानकारीमें अक ही बार आया है । असा करनेमें खयाल यह रहा है कि पागल कुत्ता तकलीफ पा-पाकर मर ही जाता है । वह अच्छा नहीं हो सकता । वह दूसरी जगह जहाँ भी पहुँचना है, वही लोग उसे मार डालनेके बजाय पीड़ा पहुँचाते हैं, और वे अहिंसाधर्मका पालन करते हैं यह मानकर अपनेको धोखा देते हैं । मेरे खयालसे तो वे ज्यादा हिंसा करते हैं । असा समझकर आश्रमने पागल कुत्तोंको मार डालना धर्म माना है ।

किसी प्राणीको देहमुक्त करनेमें भी कभी कभी अहिंसा हो सकती है, असी स्पष्ट मान्यतासे आश्रममें अक बछड़ेका देहान्त किया गया । यह अक मशहूर मिसाल है । अिस बछड़ेका पैर टूट गया था । उसमें घाव हो गये थे, कीड़े पड़ गये थे । न उसे उठाया जा सकता था और न कोअी दूसरी राहत पहुँचाअी जा सकती थी । अितना बड़ा जानवर था कि मनुष्यसे न उसकी करवट बदली जा सकती थी और न उसे गोदमें उठाया जा सकता था । उसे शरीरसे मुक्त न किया जाता तो यही होता कि वह कष्ट पाता रहता और हम देखा करते । यह आशा न थी कि वह बछड़ा बहुत दिन लेगा । असी हालतमें मुझे लगा कि उसकी जान ले लेनेमें दया है । अैसे दुखियाकी पीड़ाको लम्बानेमें मुझे धर्म न जान

पड़ा। जहाँ अपना स्वार्थ न हो, जहाँ प्राणीका ही स्वार्थ देखा जाय, वहाँ मुझे स्पष्ट लगा कि प्राण लेना धर्म हो सकता है। जिसकी लम्बी चर्चा आश्रमवासियोंमें की गयी। कितनों ही ने विरोध भी प्रगट किया था। मगर अन्तमें प्राण लेनेका निश्चय हुआ। मैंने मशहूर सेठ अंबालाल साराभायीकी मदद माँगी। उनके यहाँ जो बन्दूकवाले सिपाही थे, उन्हें भेजनेका कहा। उन्होंने चमड़ीके जरिये जहरकी पिचकारी लगाकर प्राण लेनेका अुपाय ज्यादा पसन्द किया। मैंने जिसका समर्थन किया। उनके डाक्टरने आकर जहर देकर थोड़े ही पलोंमें काम पूरा किया। मैं सारे समय मौजूद था। यह लिखते वक्त भी विचार करते हुंअे मुझे किसी किसमका पछतावा नहीं है। बल्कि मेरा विश्वास है कि यह पुण्यका काम था। बहुतसे हिन्दुओंके दिलको अुससे चोट पहुँची थी। यह पढ़कर भी चोट पहुँच सकती है। मुझे लगता है कि जैसे आघातके पीछे हमारा अहिंसाके स्वरूपका अज्ञान है। अिस वक्त यह जीताजागता धर्म नहीं रहा। अहिंसाका रिवाज पड़ गया है। अुसीके अनुसार वगैर सोचे जहाँ तक अपनेको बहुत दिक्कत महसूस न हो वहाँ तक हिन्दुस्तानके हिन्दू अपना आचरण करते हैं। अिस बटड़ेके विषयकी और अिससे पैदा होनेवाले कअी सवालकी पूरी चर्चा 'नवजीवन' में हो चुकी है।

अितना कह कर मैं मनुष्यके सिवा दूसरे जीवोंके सम्बन्धमें अहिंसाके जो प्रयोग आश्रममें हुअे अुनकी चर्चा पूरी करता हूँ।

आश्रमके खयालसे अिस जीवदयामें रहनेवाली अहिंसा अुस व्यापक धर्मका बड़ा किन्तु अेक ही अंग है। अुससे भी बड़ा अंग अिन्सानोंका अेकदूसरेके साथका व्यवहार है। मामूलीसे

मामूली व्यवहार या तो अहिंसक होगा या हिंसक । सौभाग्यसे अहिंसा व्यापक धर्म होनेके कारण मनुष्य उसका पालन सहज ही करता है । अगर अेकदूसरेको निभा न लिया जाता, तो मनुष्य जातिका कमीसे नाश हो गया होता । अैसे महान अवलोकनोंसे हम अहिंसाधर्म साबित कर सकते हैं । मगर अिससे उसके पालनका यश हम नहीं ले सकते ।

जहाँ जहाँ हमारा क्षणिक स्वार्थ बाधक होता है, वहाँ वहाँ हम अक्सर जानबूझ कर हिंसाका रास्ता अपनाते हैं । और यह कुटुम्बमें, गाँवमें, देशमें और अलग अलग धर्मोंके सम्बन्धमें समय समयपर देखा जाता है । अहिंसाका ज्ञानपूर्वक पालन मनुष्यको नया जन्म देता है, उसे बदलता है । यह कठिन धर्म जानबूझकर पालनेकी आश्रममें कोशिश है । अिसमें सैकड़ों रुकावटें आती हैं, निराशाओं पैदा होती हैं, कभी बार श्रद्धाकी परीक्षा होती है । आपसके बर्तावमें आचार शुद्धिसे ही सन्तोष नहीं रहता । किसीके लिये म्गराब विचार न करना, उसने हमारा बहुत नुकसान किया हो तो भी उसका बुरा न चाहना, उसे विचारमें भी दुःख न देना — यह बड़ा मुश्किल है । मगर अहिंसाके पालनकी कसौटी यही है ।

आश्रममें चोर आये हैं, चोर पैदा हुअे हैं । अन्हें सजा देनेकी नीति नहीं रखी गयी; पुलिसको खबर नहीं दी जाती; अुनके अुत्पातोंको यथाशक्ति बर्दाश्त किया जाता है । अिस नियमका सदा पूरी तरहसे पालन नहीं किया गया । अेक बार दिनमें चोरी करते हुअे चोर पकड़ा गया था । जिसने अुसे पकड़ा अुसने अुसे बाँध दिया, अुसका अपमान तो किया ही । मैं अुस दिन आश्रममें था । मैं अुसके पास गया, अुसे अुलाहना दिया और छोड़ दिया । मगर असलमें देखा जाय तो अिससे अहिंसा-

वादीका धर्म पूरा नहीं होता । जैसे सुत्पातोंको रोकनेके लिये काफ़ी सुपाय खोजना और करना चाहिये । अेक सुपाय तो है आश्रमके परिग्रह और भोगविलासको कम किया जाय, ताकि किसीको वहाँसे कुछ लेनेका लालच न हो । दूसरा सुपाय यह है कि आसपासके गाँवोंमें शुद्ध आचरणका प्रचार किया जाय । और तीसरा यह कि आश्रमकी सेवा अितनी व्यापक होनी चाहिये कि भलेबुरे सभीमें यह भावना पैदा हो कि आश्रम हमारा है ।

अिसपरसे देखा जा सकता है कि परिग्रहीके लिये स्थूल अहिंसाका भी पूरा पालन असम्भव-सा है । जो अपनी जायदाद रखता है, वह सुसकी रक्षाका भी सुपाय करेगा ही । सुसमें कहीं न कहीं सजाकी गुंजायश जरूर रहेगी । जो सब चीजोंसे अपनापन हटाकर सुदासीन होकर व्यवहार करता है, वही स्थूल अहिंसाका पूरा पालन कर सकता है । जिस समाजमें जैसे आदमी या ऐसी संस्थाएँ ज्यादा होंगी, वहाँ हिंसक सुपाय कमसे कम काममें लाना सम्भव होगा । जैसे हिंसापर रचे हुअे समाजमें गोला बारूदका बड़ा स्थान होता है और सुसका अिस्तेमाल जाननेवाला अच्छा सिपाही समझा जाता है और अिनामोंका हकदार होता है, वैसे ही जहाँ समाज रचना अहिंसापर होती है, वहाँ गोला बारूदकी जगह तप और संयम लेते हैं और सुनसे काम लेनेवाला सिपाही समाजकी रक्षा करता है । जैसे धर्मको दुनियाने अभी तक स्वीकार नहीं किया है । हिन्दुस्तानमें थोड़ा बहुत स्वीकार किया गया है, मगर कह नहीं सकते कि वह व्यापक रूपमें स्वीकार हुआ है । आश्रममें यह विदवास है कि ऐसी अहिंसा व्यापक होनी चाहिये, वह हो सकती है, समाजकी रचना भी सुसपर हो सकती है । और अिसी विश्वासके आधारपर प्रयोग ह्ये रहे हैं । अभी तो यही

कहा जायगा कि सफलता थोड़ी मिली है । ऐसी मिसालें में जिस प्रकरणमें नहीं दे सका हूँ, जिनसे अहिंसाके पुजारीको आश्वासन मिले । राजनीतिक क्षेत्रमें अहिंसाका जो प्रयोग हुआ है, उसे मैं अिममें नहीं गिनता । उस प्रयोगके लिये अलग प्रकरण^० होगा ।

ब्रह्मचर्य

अहिंसाकी तरह यह व्रत कभी तरहके धर्मसंकट और पहेलियाँ पैदा करनेवाला नहीं है । आम तौरपर १९-६-'३२ जिसका अर्थ सब समझते हैं । मगर अर्थ जानते हुअे भी जिसका अमल करनेमें बहुतोंका खून पानी हुआ है, और बहुतेरे कोशिश करनेपर भी आगे नहीं बढ़ सके । कुछ पीछे भी हटे हैं । पूर्णताको कोभी नहीं पहुँचा । सबको जिसका महत्त्व साफ़ मालूम हो गया है । मेरा प्रयत्न १९०६के पहले शुरू हुआ । मैंने व्रत १९०६में लिया । बहुत अुतारचढ़ाव आये । ब्रह्मचर्यका सूक्ष्म अर्थ मैं अनुभवसे, ठोकरें खाकर ही जान सका । जिसका अर्थ समझनेपर देखा कि पुस्तकमें पढ़ा हुआ अर्थ भी अनुभव किये बिना न समझनेके बराबर ही है । अनुभव होनेके बाद यही अर्थ दूसरी तरह समझमें आता है । चरखे-जैसा निहायत सादा यंत्र चलानेकी शिक्षा पढ़ लेना एक बात है और उसपर अमल करना दूसरी ही^० बात । अमल शुरू करते ही नयी रोशनी पड़ती है । और अगर चरखे-जैसी आँखोंको सारी दीखनेवाली चीजके बारेमें यह सही है, तो अप्रत्यक्ष भावोंके बारेमें कितना ज्यादा सही होना चाहिये !

जो मन, वचन और कायासे अिन्द्रियोंको बसमें रखता है, वही ब्रह्मचारी है । जिसका अर्थ अमल करनेपर ही कुछ कुछ

स्पष्ट हुआ, ऐसा कहा जा सकता है । पूरी तरह स्पष्ट तो आज भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपनेको सोलह आने पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं मानता । मनके विकार कावूमें रह सकते हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुअे । जिसके मनके विचार नष्ट नहीं हुअे, वह पूरा ब्रह्मचारी नहीं गिना जा सकता । जब मैं अुम स्थितिमें पहुँच जाऊँगा, तब अिसी व्याख्याको नयी अँखोंसे देखूँगा । मानूली ब्रह्मचर्ये जितना मुश्किल सीखना है, अुतना है नहीं । हमने अुमका अनर्थ करके अुसे कठिन बना दिया है । ब्रह्मचर्यका खेल खेलेनेवाले बहुत लोग आगमें हाथ डालकर भी न जलनेकी कोशिश-जैसी कोशिश करते हैं, जलते हैं और फिर व्रतकी कठिनताकी शिकायत करते हैं । यह तब बहुत थोड़े ही समझते हैं कि अेक अिन्द्रियका ही नहीं, बल्कि सभी अिन्द्रियोंका संयम करना है । स्त्रीसंग न करनेमें जो ब्रह्मचर्यका आदि और अन्त मानते हैं, वे ब्रह्मचारी नहीं हैं । और ब्रह्मचर्य बड़ा मुश्किल है, अैसा अुनका सबूत मामूली हाँना चाहिये । दूसरे सब भाग भोगते हुअे जो पुरुष स्त्रीसंगसे दूर रहनेकी अिच्छा रखता होगा, या अैसी कोअी स्त्री पुरुषसंगसे दूर रहना चाहती होगी, अुसकी कोशिश बेकार है । कुअेंमें जानवूझकर अुतरकर भी पानीसे अच्छूना रहनेके प्रयत्न जैसा ही यह प्रयत्न है । जो स्त्री-पुरुषसंगके त्यागको आसान बनाना चाहते हैं, अुन्हें अुसे अुत्तेजन देनेवाली सभी जरूरी चीजें छोड़नी चाहियें । अुन्हें जीभके स्वाद छोड़ने चाहियें, शृंगाररस छोड़ना चाहिये और विलास मात्र छोड़ना चाहिये । मुझे जरा भी शक नहीं कि अैसे लोगोंके लिअे ब्रह्मचर्य आसान है ।

कुठ लोग अैसा मानते हैं कि अपनी या पराअी स्त्रीके लिअे विकारवश होनेमें, अुन्हें विकारी बनकर लूनेमें ब्रह्मचर्यका

भंग नहीं होता । यह भयंकर भूल है । जिसमें स्थूल ब्रह्मचर्यका सीधा भंग है । जिस तरह रमनेवाले स्त्रीपुरुष अपनेको और दुनियाको धोखा देते हैं और दिन दिन शक्तिहीन होते हैं । जैसे स्त्री-पुरुष कभी बीमारियोंके शिकार बनते हैं । जैसे लोगोंकी अन्तिम क्रिया बाक़ी रहती हो, तो उसका श्रेय अन्हें नहीं, हालातको है । वे पहले ही मौक़ेपर फिसलनेवाले हैं । यह मैंने अपने और बहुतसे साथियोंके अनुभवसे लिखा है ।

आश्रमके ब्रह्मचर्यमें अपनी पत्नीसे भी संग करनेका त्याग है । अपनी स्त्रीके साथ संग चालू रखकर भी जो परस्त्री-संग छोड़ता है, वह ठीक करता है । उसका ब्रह्मचर्य सीमित भले ही माना जाय, मगर उसे ब्रह्मचारी मानना जिस महाशब्दका खून करने बराबर है ।

जिस तरह ब्रह्मचर्यकी व्याख्या तो पूर्ण ही रखी गयी है । फिर भी आश्रममें स्त्री-पुरुष दोनों रहते हैं और अन्हें अकेलेके साथ मिलनेकी काफ़ी आज़ादी है । यानी आदर्श यह है कि जितनी स्वतंत्रता माँ-बेटे या बहन-भाभी भोगते हैं, वही आश्रमवासियोंको आपसमें मिल सके । यानी ब्रह्मचर्यके लिअे जिन दीवारोंकी आम तौरपर कल्पना की जाती है, वे सब यहाँ नहीं रखी जानीं । जिसके विपरीत यह माना जाता है कि जिस ब्रह्मचर्यको अिन सब दीवारोंकी हमेशा ज़रूरत हो, वह ब्रह्मचर्य नहीं है । ब्रह्मचर्यके प्रयत्नके लिअे उस दीवारकी भले ही आवश्यकता मानी जाय, मगर अन्तमें तो वह दीवार टूटनी ही चाहिये । जिसका यह अर्थ नहीं कि दीवार टूटते ही ब्रह्मचारी स्त्रियोंका साथ हूँदने लगे; परन्तु जिसका अर्थ यह है कि स्त्रीसेवाका प्रसंग आवे, तब वह यह मानकर कि जिसके लिअे मनाही है उससे भाग नहीं सकता ।

ब्रह्मचारीके लिये स्त्री नरककी खान नहीं है । उसके लिये वह अम्बा माता है, जगत जननी है । स्त्रीपर नजर पड़ते ही या उसे अचानक या अिच्छापूर्वक सेवाके लिये छूते ही जिसे विकार हो जाता है, वह ब्रह्मचारी नहीं है । उसके लिये सजीव पुतली और काठकी निश्चेष पुतली अेकसी होनी चाहिये । मगर जो स्त्रीका नाम सुनते ही विकारवश होता है और फिर भी ब्रह्मचर्यका पालन करनेको अुत्मुक्त है, उसे तो काठकी पुतलीसे भी दूर भागना पड़ेगा ।

अूपरके अनुसार स्त्रीपुरुष अेक ही आश्रममें रहें, साथ काम करें, अेक दूसरेकी सेवा करें और ब्रह्मचर्य रखनेकी कोशिश करें, तो अिसमें डर बहुत हैं । अिसमें अेक हृद तक परिचमकी जानवृद्ध कर नकल है । अिस तरहके प्रयोग करनेकी अपनी योग्यतामें भी मुझे शक है । मगर यह तो मेरे सारे प्रयोगोंके बारेमें ही कहा जा सकता है । यह शंका बहुत जोरदार है, अिसीलिये मैं किसीको अपना शिष्य नहीं मानता । समझवृद्धकर जो आश्रममें आये हैं, वे सब जोखमोंको जानते हुअे भी साथीके रूपमें आश्रममें आये हैं । लड़कों और लड़कियोंको मैं अपने बच्चे मानता हूँ । अिसलिये वे सहज ही मेरे प्रयोगोंमें घसीटे जाते हैं । सब प्रयोग सत्यरूपी परमेश्वरके नामपर हैं । वह कुम्हार है और हम उसके हाथमें मिट्टी हैं ।

आज तकके आश्रमके अनुभवसे कह सकता हूँ कि जो जोखम अुठाकर ब्रह्मचर्य पालनेकी कोशिश जारी है, अुसमें निराशाका कारण नहीं मिला है । स्त्रीपुरुष दोनोंको कुल मिलाकर लाभ ही हुआ है । मगर मेरा विदवास है कि सबसे ज्यादा फायदा स्त्रियोंको हुआ है । प्रयोग करनेमें कुछ स्त्रीपुरुष नाकामयाब रहे हैं, कुछ गिरकर अुठे हैं । प्रयोग मात्रमें ठोकर, ठेस तो खानी ही होती

है। जिसमें सोलहों आने सफलता है, वह प्रयोग नहीं। वह तो सर्वज्ञका स्वभाव कहा जायगा।

जिसका दर्जा पहला है, उसका जिक्र मैंने आखिरके लिखे रखा है। गीताके दूसरे अध्यायमें कहा है कि 'निराहारीके विषय तब तक भले ही दब गये दीखें, जब तक निराहार जारी रहे। मगर उसका रस नहीं मिटता। वह तो तभी मिटेगा जब परंके यानी सत्यके यानी ब्रह्मके दर्शन हो जायेंगे।' जिसमें निराहारीके बजाय संयमी शब्द समझना चाहिये, यानी वह सब अिन्द्रियोंके लिखे लागू होगा। जिस श्लोकमें अनुभवी कृष्णने पूर्ण सत्य कह दिया है। उपवाससे लगाकर जितने संयमोंकी कल्पना की जा सकती हो, वे सब आश्वरकी कृपाके बिना बेकार हैं। सत्य या ब्रह्मके दर्शनके क्या मानी? जिसमें अिन आखोंसे देखनेकी बात नहीं। कोअी चमत्कार देखनेकी बात भी नहीं। ब्रह्मका दर्शन याने ब्रह्म हृदयमें निवास करता है ऐसा अनुभव ज्ञान। यह न हो तब तक रस नहीं मिटता। जिसके आते ही रसमात्र सूख जाते हैं। जिस ज्ञानकी खातिर ही सारे व्रत हैं, सारी साधना है, आश्रमोंकी रचना है। यह ज्ञान लगातार अभ्याससे ही होता है। आशिक माशूककी खातिर बर्बाद होता देखा गया है। मगर चूँकि वह क्षणभरके भोगके लिखे पचता है, जिसलिखे अन्तमें उसके भाग्यमें धूलकी धूल ही रहती है। मगर जिस लगनके साथ प्रेमी मेहनत करता है, उससे भी ज्यादा लगन सत्यके दर्शनके लिखे चाहिये। ओर सत्यके दर्शनके अन्तमें परमानन्द है। फिर भी आशिककीन्ही लगन थोड़े ही जिज्ञासुओंमें पायी जाती है। तब अगर वह दर्शन दुर्लभ हो तो शिष्यायत कैसी? माशूक हज़ारों कोस दूर भी हो सकता है। ब्रह्म तो हृदयमें ही है। अंगुलीसे नाखून

जितना अलग है, ब्रह्म तो अतना भी अलग नहीं है । मगर जहाँ लड़का बगलमें और डिंडोरा शहरमें हो, वहाँ क्या कहा जाय ?

निराहारीका ब्रह्मचर्य फेंक देने लायक नहीं । उसके रस अन्तमें क्षीण होते हैं । अपवास करके, अछुटे पिंग लटककर, हाथ सुखाकर, पैर सुखाकर — किसी भी तरह निषयोकी निवृत्ति करनी ही है । असा करते करते सम्भव है रस लगभग मिट जायँ । अितनेमें ब्रह्मके दर्शन होंगे, और यमात्र हमेशाके लिये चले जायँगे । जिसे हमने खोया हुआ रत्न मान लिया है, वह मिल जायगा । जिम्ने मरते दम तक कोशिश न की हो, उसे ब्रह्मका न देखनेकी अिमायत करनेका हक ही नहीं । ब्रह्मचर्यका पालन भी ब्रह्मको हँदनेका अेक जरिया है । उसके बिना ब्रह्म नहीं मिलना और ब्रह्मके मिले बिना ब्रह्मचर्यका पूरा पालन नहीं हो सकता । अिसलिअे यहाँ निराहारकी मनाही नहीं की गयी है, उसकी मर्यादा बनायी है ।

ब्रह्मचर्यके पालनका प्रयत्न आश्रममें छोटेबड़े, पति-पत्नी सभी करते हैं, फिर भी सब अुप्रभर पालनेवाले नहीं हैं । अैसे तो थोड़े ही हैं । लड़के और लड़कियाँ अुमर लायक हो जाते हैं, तब अुन्हें चेता दिया जाता है कि कोअी अवरन ब्रह्मचर्य पालनेके लिये बँधे हुअे नहीं हैं । जो अुमका तेज मदन न कर सकें, अुन्हें शादी करनेका अधिकार है, और वे माँग करेंगे तो ठीक साथी खोज देनेमें आश्रम मदद करेगा । यह बात अितनी ज्यादा और अितनी बार साफ की गयी है कि अुसे सब अच्छी तरह समझते हैं । नतीजा भी बहुत अच्छा निकला है । नौजवान ज्यादा मात्रामें निभ रहे हैं । कन्यायें खासी अुप्र तक खींच ले जाती हैं । कोअी भी पन्द्रह सालसे नीचे तो व्याही ही नहीं गयी है ।

ज्यादातरकी शादी अुन्नीसके आसपास ही हुअी है । जो आश्रमकी मददसे शादी करना चाहते हैं, अुन्हें निहायत सादगीसे सन्तोष करना पडता है । भोज वगैरा नहीं होते । बरातियोंके तौरपर कोअी आ नहीं सकते । ढोल नगाडोंकी गुंजायश नहीं । सिर्फ धार्मिक विधि ही होती है । वरकन्या खादीमय होने चाहिये । जेवर अेक भी नहीं । वरकी तरफसे कन्याको कुछ देना नहीं पडता । कन्याको माँबाप या संरक्षककी तरफसे पहननेके कपडों व चरखे वगैराके सिवा कुछ नहीं दिया जाता । विवाहमें दस रुपयेका भी खर्च नहीं होता । विधि अेक घंटेसे ज्यादाकी नहीं होती । सप्तपदीके वचन वरकन्या मातृभाषामें बोलते हैं, और वे पहलेसे संमझे हुअे होने चाहिये । शादीके दिन विवाहकी विधिसे पहले अुपवास रखते हैं, पेडोंको पानी पिलाते हैं, गोशालाकी सफाअी करते हैं, जलाशय साफ करते हैं, गीनापाठ करते हैं । कन्यादान करनेवाला भी दान करनेके वक्त तक अुपवास रखता है । अबसे यह भी आग्रह रखा गया है कि आश्रमके मारफत अेक ही जातिके बीच विवाह नहीं कराया जायगा । अुपजातियोंका बन्धन ढीला करनेकी गरजसे आश्रम अुपजातिके विवाहोंको प्रोत्साहन नहीं देता और आश्रममें जो शादी करते हैं, अुन्हें अुपजातियोंसे बाहर जानेका अुत्तेजन दिया जाता है ।

अस्तेय और अपरिग्रह

अिन व्रतोंपर ज्यादा लिखनेकी जरूरत नहीं । पाँच बड़े व्रतोंमेंसे ये हैं । जो आत्मदर्शन करना चाहते हैं, २६-६-'३२ अुनके लिअे ये जरूरी हैं । अिसलिअे अुन्हें आश्रमके व्रतोंमें स्थान दिया गया है ।

अस्तेय : इस व्रतके पालनके लिये सिर्फ अितना ही काफी नहीं है कि दूसरेकी चीज उसकी अिजाजतके बगैर न ली जाय । जो चीज हमें जिस कामके लिये मिली हो, उसके सिवा उसे दूसरे काममें लेना, या जितने वक्तके लिये मिली हो उससे ज्यादा वक्त तक काममें लेना यह भी चोरी ही है । इस व्रतकी बुनियादमें जो सूक्ष्म सत्य है वह यह कि परमात्मा प्राणियोंके लिये हमेशाकी जरूरतकी चीजें ही हमेशा पैदा करता है और देता है । उससे ज्यादा वह मूलमें पैदा ही नहीं करता । इसका अर्थ यह हुआ कि अपनी कमसे कम जरूरतके सिवा मनुष्य जितना भी लेता है, वह चोरी करता है ।

अपरिग्रह : अपरिग्रह अस्तेयका अंग है । गैरजरूरी चीजें जैसे ली नहीं जानी चाहियें, वैसे ही उनका संग्रह भी नहीं होना चाहिये । याने जिस खुराक या टेबल कुर्सीकी हमें जरूरत न हो, उसका संग्रह करना इस व्रतका भंग करना है । जिसका कुर्सीके बिना काम हो सकता है, उसे कुर्सी रखनी ही न चाहिये । अपरिग्रही अपना जीवन हमेशा सादेसे सादा बनाता जाय ।

अपरिग्रह और अस्तेय मनकी स्थितियाँ ही हैं । शरीरधारीके लिये उनका पूरा अमल नामुमकिन है । शरीर खुद ही परिग्रह है । और जब तक वह है, तब तक दूसरे परिग्रहोंकी आशा रखता ही है । कितने ही परिग्रह अनिवार्य हैं । ' कितने ही ' की तादाद भी हर मानसिक स्थितिके अनुसार होगी । जैसे जैसे वह अिन व्रतोंकी तरफ मुड़ती जायगी, वैसे वैसे अिन्तान शरीरका मोह छोड़ता जायगा और अपनी जरूरतें घटाता जायगा । सबके लिये अेक ही माप मुकर्रर नहीं किया जा सकता । चींटीका परिग्रह दूसरा ही होगा ।

कि यज्ञका अर्थ शरीर-श्रम ही है। मगर जिस भावमें, कि यज्ञसे पर्जन्य होता है, मुझे शरीर-श्रमका धर्म दीखता है। यज्ञसे बचा हुआ अन्न वही है, जो मेहनत करनेके बाद मिलता है। गुजारेके लायक मेहनतको गीताने यज्ञ कहा है। पोषणके लिये जितना चाहिये, उससे ज्यादा जो खाता है, वह चोरी करता है; क्योंकि अिन्सान गुजारेके लायक श्रम भी मुश्किलसे ही करता है। मैं मानता हूँ कि अिन्सानको गुजारेसे ज्यादा लेनेका हक ही नहीं है। और जो मेहनत करते हैं, उन सबको उतना लेनेका अधिकार है, जितनेसे शरीर कायम रहे।

अिससे कोअी यह न कहे कि अिसमें मेहनतके बँटवारेकी गुंजायश ही नहीं। मनुष्यकी जरूरी आवश्यकताओंके लिये जो भी चीज तैयार होती है, उसमें शरीर-श्रम तो लगता ही है। अिसलिये श्रम चाहे किसी भी जरूरी क्षेत्रमें किया जाय वह रोटी-श्रम ही है। अितनी मेहनत भी सब नहीं करते, अिसलिये तन्दुरुस्ती बनाये रखनेके लिये व्यायामके नामसे खास तौरपर शरीर-श्रम करना पड़ता है। जो रोजमर्राके लायक मेहनत खेतीमें करता है, उसे अलग व्यायामकी जरूरत नहीं रहती। किसान तन्दुरुस्तीके दूसरे नियम पाले, तो वह बीमार ही न पड़े।

यह देखा जाता है कि अिस दुनियामें अिन्सानको रोज जितना चाहिये, उतना कुदरत रोज पैदा करती है। उसमेंसे अगर कोअी अपनी जरूरतसे ज्यादा काममें लेता है, तो उसके पड़ोसीको भूखा रहना ही पड़ेगा। बहुत लोग अपनी आवश्यकतासे अधिक लेते हैं, अिसीलिये दुनियामें भूखों मरनेकी नौबत आती है। हम कुदरतकी देनको किसी भी तरह काममें लें, फिर भी कुदरत तो दोनों पलड़े बराबर रखती ही है। कुदरतके बहीखातेमें न जमा

बाकी है, न नामे बाकी । वहाँ तो रोज आमदखर्च बराबर होकर शून्य बाकी रहता है । जिस शून्यमें हमें शून्यके समान होकर समा जाना है ।

खुपरके नियममें यह बात बाधक नहीं है कि कभी रसायनों और यंत्रोंके जरिये मनुष्य जमीनसे ज्यादा फसल पैदा करता है, मेहनतसे दूसरी तरह अनेक वस्तुयें उत्पन्न करता है । यह कुदरतकी शक्तियोंका रूपान्तर है । सबका आखिरी नतीजा तो शून्य ही होनेवाला है । ये रोजके आँकड़े मिलानेके लिये हमारे पास काफ़ी साधन नहीं हैं । मगर जो कुछ हमें रोज अनुभव होता है, उसीका पृथक्करण किया जाय, तो उससे यही अनुमान होता है कि दोनों पलड़े बराबर हैं ।

कुदरत ऐसा करती हो या नहीं, मेरी दूसरी दलीलोंमें सार हो या न हो, आश्रममें रोटी-श्रमके नियमका अधिकाधिक पालन किया गया है । जिसमें आश्चर्यकी कोअी बात नहीं । अमल करनेका साधारण आग्रह हो तो अमल आसान है । अगर कुछ खास घण्टोंमें मजदूरीके सिवा दूसरा काम ही न हो, तो मजदूरी होगी ही । फिर भले ही उसमें आलस्य हो, कार्यदक्षता न हो, मन न हो । मगर कुछ घण्टे पूरे तो होंगे ही । फिर, कुछ मजदूरियाँ तुरन्त फल देनेवाली होती हैं, जिसलिये बहुत आलस्यकी गुंजायश भी नहीं रहती । श्रमप्रधान संस्थाओंमें नौकर होते नहीं या थोड़े ही होते हैं । पानी भरना, लकड़ी फाड़ना, दियाबत्ती तैयार करना, पाखाने और रास्ते साफ करना, मकानोंकी सफ़ाअी रखना, अपने अपने कपड़े धोना, रसोअी करना वगैरा अनेक काम तो ऐसे हैं जो होने ही चाहियें ।

अिनके सिवा खेती, बुनायी, अुनके सम्बन्धका और दूसरी तरह जरूरी बढ़ाईका काम, गोशाला, चमारखाना वगैरा काम आश्रमके साथ मिले हुअे हैं। अुनमें थोड़े बहुत आश्रमवासियोंके लगे बिना काम नहीं चल सकता।

ये सब काम रोटी-श्रमके नियमकी पाबन्दीके लिअे काफी माने जायँगे। मगर यज्ञका दूसरा हिस्सा परमार्थ या सेवाकी वृत्ति है। अुसे अिन कामोंमें दाखिल करते वक़्त आश्रमकी खामी जरूर मालूम होगी। आश्रमका आदर्श सेवाके लिअे ही जीना है। अिस ढंगसे चलनेवाली संस्थामें आलस्यका, कामकी चोरीका स्थान नहीं है। वहाँ सब काम तनमनसे होने चाहिये। अैसा सभी करते होते तो आज आश्रमकी सेवाकी योग्यता बहुत बढ़ गयी होती। लेकिन अैसी सुन्दर स्थितिसे आश्रम अब भी बहुत दूर है। अिसलिअे यद्यपि आश्रमका हर काम यज्ञरूप है, फिर भी आदर्शका विचार करके दरिद्रनारायणके लिअे कमसे कम अेक घण्टेकी कताअीको जरूरी स्थान दिया गया है। यह कताअी अिनका शरीर काम कर सकता है, अुन सबके लिअे लाजिमी है। अिस हालत तक पहुँचनेमें काफी मेहनत पड़ी है। लेकिन अिसका वर्णन खादीके कामका विचार करते समय ज्यादा ठीक रहेगा।

यह आरोप समय समयपर सुना गया है और अब भी सुना करता हूँ कि श्रमप्रधान संस्थामें बुद्धिके विकासकी गुंजायश नहीं रहती। अिसलिअे वह जड़ बन जाती है। मेरा अनुभव अिससे अुलटा है। आश्रममें जितने भी आये हैं, समीकी बुद्धि कुछ तेज हुअी है, किसीकी भी मन्द हुअी हो यह नहीं मालूम हुआ।

अक्सर यह अर्थ किया जाता है कि जगतकी अनेक घटनाओंका माना हुआ बाहरी ज्ञान ही बुद्धि २७-६-'३२ है । मुझे यह मानना पड़ेगा कि ऐसी बुद्धि आश्रममें कम विकसित होती है । लेकिन अगर बुद्धिका अर्थ समझ, विवेक वगैरा हो, तो वह आश्रममें काफी विकसित होती है । जहाँ मजदूरके रूपमें मेहनत सिर्फ गुजारेके खातिर होती है, वहाँ मनुष्यका जड़ बन जाना मुमकिन है । अमुक चीज किस लिअे या किस तरह होती है, अिस बारेमें उसे कोअी ज्ञान नहीं देता, उसे खुद जिज्ञासा नहीं होती, अपने काममें दिलचस्पी नहीं होती । आश्रममें अिससे अुलटा होता है । हर काम — पाखाना सफाअी तक — समझकर करना पड़ता है । अुसमें दिलचस्पी रखी जाती है । वह परमेदवरकी खातिर होता है । अिसलिअे अुसे करते हुअे भी बुद्धिके विकासकी गुंजायश रहती है । सबको अपने अपने विषयका पूरा ज्ञान प्राप्त करनेका प्रोत्साहन दिया जाता है । जो यह ज्ञान लेनेकी कोशिश नहीं करते, अुनके लिअे वह दोष माना जाता है । आश्रममें सभी मजदूर हैं या कोअी भी मजदूर नहीं ।

यह मानना कि किताबोंसे ही, मेज कुर्सीपर बैठनेसे ही ज्ञान मिलता है, बुद्धिका विकास होता है, घोर अज्ञान है, वहम है । अिसमेंसे हमें तो निकल ही जाना चाहिये । जीवनमें अध्ययनके लिअे स्थान जरूर है, मगर वह अपनी जगहपर ही शोभा देता है । शरीरश्रमको हानि पहुँचाकर अुसे किया जाय तो अुसके खिलाफ़ विद्रोह करना फर्ज हो जाता है । शरीरश्रमके लिअे दिनका ज्यादा वक्त देना चाहिये और पढ़ाअी वगैराके लिअे थोड़ा । आजकल अिस देशमें जहाँ अमीर लोग या अूँचे वर्णके माने

जानेवाले लोग शरीरश्रमका अनादर करते हैं, वहाँ शरीरश्रमको बूँचा दरजा देनेकी बड़ी जरूरत है । और बुद्धिशक्तिको सच्चा वेग देनेके लिये भी शरीरश्रमकी यानी किसी भी उपयोगी शारीरिक धन्धेमें शरीरको लगानेकी जरूरत है ।

अगर पढ़ाईको आश्रम कुछ ज्यादा वक्त दे सके, तो देने लायक है । बेपढ़े आश्रमवासियोंको शिक्षककी मदद मिल सके, तो वह भी दी जानी चाहिये । फिर भी ऐसा लगता रहा है कि जो जो काम आश्रममें हो रहे हैं, उनको नुकसान पहुँचाकर पढ़ाई वगैरामें वक्त न लगाया जाय । शिक्षक तनखाहदार तो रखे नहीं जाते । और जब तक मौजूदा शिक्षा देनेवाले ज्यादा शिक्षकोंको आश्रम अपनी तरफ खींच न सके, तब तक जितने हैं उनहींसे काम चलाया जाता है । स्कूलों और कालेजोंमें पढ़े हुअे जो लोग आश्रममें हैं, वे श्रमके साथ पढ़ाईको मिला देनेकी कलामें पूरी तरह दक्ष नहीं हैं । हम सबके लिये यह नया प्रयोग है । मगर अनुभवसे समतोल बढ़ता जा रहा है । और जैसे जैसे व्यवस्थाशक्ति बढ़ती जायगी, वैसे वैसे अभी जो साधारण शिक्षा पाये हुअे हैं, उन्हें अपनी मेहनतसे पाया हुआ ज्ञान दूसरोंको देनेका अुपाय सूझ पड़ेगा ।

स्वदेशी

स्वदेशीको आश्रम सार्वभौम धर्म मानता है । हर अिन्सानका पहला फर्ज अपने पड़ोसीके प्रति है । जिसमें परदेशीके प्रति द्वेष नहीं और स्वदेशीके लिये पक्षपात नहीं । शरीरधारीकी सेवा करनेकी शक्तिकी मर्यादा होती है । वह अपने पड़ोसीके लिये भी मुश्किलसे फर्ज पूरा कर सकता है । अगर पड़ोसीके प्रति सब अपना धर्म

ठीक ठीक पालन कर सकें, तो दुनियामें कोअी मददके बिना दुःख न पाये । जिसलिअे यह कहा जा सकता है कि मनुष्य पड़ौसीकी सेवा करके दुनियाकी सेवा करता है । असलमें तो जिस स्वदेशीमें अपने परायेका भेद ही नहीं । पड़ौसीके प्रति धर्मपालन करनेका अर्थ है जगतके प्रति, धर्म पालन । और किसी तरह दुनियाकी सेवा हो ही नहीं सकती । जिसके खयालमें सारा जगत ही कुटुम्ब है, उसमें अपनी जगहपर रहकर भी सबकी सेवा करनेकी शक्ति होनी चाहिये । वह तो पड़ौसीकी सेवाके जरिये ही हो सकती है । डॉल्स्टॉय तो जिससे भी आगे बढ़कर कहते हैं कि अभी तो हम अेक दूसरेके कन्धेपर चढ़ बैठे हैं । हम दूसरेके कन्धेसे अुतर जायँ तो बस है । यह कथन अुसी बातको दूसरी तरह बताता है । अपनी सेवा किये बिना कोअी दूसरेकी सेवा करता ही नहीं । और दूसरेकी सेवा किये बिना जो अपनी ही सेवा करनेके अिरादेसे कोअी काम शुरू करता है, वह अपनी और संसारकी हानि करता है । कारण स्पष्ट है । हम सभी जीव अेक दूसरेके साथ अितने ज्यादा मिले हुअे हैं कि जो कुछ अेक करता है अुसका अच्छा बुरा असर सारे जहानपर पड़ता ही है । हमारी तंग नजरके कारण भले ही हम देख न सकें, भले ही अेक व्यक्तिके कामका असर जिस संसार-सागरमें नहीं के बराबर हो, मगर वह होता है जरूर । हमें अपनी जिम्मेदारी समझनेके लिअे अितना ज्ञान काफ़ी होना चाहिये ।

जिसलिअे शुद्ध स्वदेशी धर्म विदेशीके विरुद्ध नहीं । फिर भी स्वदेशी सर्व देशी नहीं । नहीं, जिसलिअे कि अैसा होना असम्भव है । 'मब' का करने जायँ तो वह तो होता नहीं और 'अपना' भी जाता रहता है । अपना करते रहनेमें सबका होता ही रहता है ।

सबका करनेका अेक यही अुपाय है । 'मेरे ललअे सब बराबर हैं,' यह कहनेका अधलकार अुसीको है, ललसने पडडौसीके प्रति अपना धरुम पाला हो । 'मेरे ललअे सब बराबर हैं,' यह कहकर जो पडडौसीका तलरस्कार करता है और अपने शुकुत पूरे करता है, वह स्वेच्छाचारी है, स्वच्छंद है । वह अपने ही ललअे जीता है ।

हम कलतने ही साधु पुरुषुओंको अपना स्थान छुडकर सारी दुनलयाका अुराण करते और 'परदेशलरुओं' की सेवा करते देखते हैं । वे बुरा करते हैं या स्वदेशी धरुमके ललअे अपवाद हैं, सो बात नहीं । अुनकी शकलत अुनके हाथसे ज्यादा सेवा कराती है । कलमी अलनुसानके ललअे अुमके पास रहनेवाला आदमी ही पडडौसी है । दूसरेकी मरुयादा अपने गूँव तक होती है । तीसरेकी अपने आमपासके दस गूँवों तक जा सकती है । अलस तरह सब अपनी अपनी ताकतके अनुसार काम करुँगे । माधारण मनुषुयकी पहुँच माधारण ही होती है । वुयाख्या अैसी ही रची जानी चाहलये जो अुसे लागू की जा सके । अलस वुयाख्याके भावार्थमें वे सब बातें समा सकती हैं, जो अुसके शब्दार्थके वलपरीत न हूँ । साधारण आदमी यह नहीं मानता कल वह स्वदेशीका पालन करके कलसीकी सेवा करता है । अपने पडडौसीके साथ वह वुयापार अलसललअे करता है कल अुसमें अुसे सुवलधा रहती है । यह मानना सही ही है । परन्तु अलस सुवलधामें कअी बार अडचन भी पाअी जाती है । जो स्वदेशीको धरुम समझता है, वह वैसे समयमें भी अुसका पालन करेगा । आजकल बहुतुओंको अपने देशकी ही बनी हुअी चीजुँसे सन्तोष नहीं होता । कअी तरहके प्रलुभन दलखाअी देते हैं, अलसललअे बहुत लुग वलदेशी चीजुँ लेनेमें अपनी सुवलधा देखते हैं । अैसे समय बताना पडडता है कल स्वदेशी सहूललयत

ही नहीं, धर्म भी है। आज हिन्दुस्तानमें ऐसी ही हालत है। जिसी लिये यहाँ स्वदेशी धर्म जाननेकी जरूरत पैदा हुआ है। स्वदेशीका हिंसक अर्थ, दूसरे देशोंकी जनताके द्वेषका अर्थ, बिल्कुल त्याज्य है। किसीका बुरा करना या चाहना धर्म हो ही नहीं सकता।

जिस स्वदेशी धर्मका पालन आश्रमके व्रतोंमेंसे एक है।

जिस स्वदेशीका साकार रूप मैंने खादीको माना है, क्योंकि जिसे छोड़कर ही हिन्दुस्तानने घोर पाप किया है; अपना स्वाभाविक धर्म छोड़ दिया है। खादीकी आवश्यकताके बारेमें दूसरे स्थानपर और दूसरे समय बहुत कुछ लिखा जा चुका है। यहाँ तो अतना ही बतलानेके लिये जिक्र किया गया है कि उसका आश्रमके साथ सम्बन्ध कैसे हुआ। लेकिन जिस जिक्रमें खादीके कामकी शुरुआतका इतिहास आ जाता है।

सन् १९०८में मुझे खादी-धर्म और चरखा-धर्म सूझा। उस वक़्त मुझे खयाल भी न था कि चरखा कैसा होता है। मैं चरखे और करघेका फ़र्क नहीं जानता था। हिन्दुस्तानके गाँवोंकी हालतका मुझे थोड़ा ही ज्ञान था। मगर यह मैं साफ़ देख सका था कि हिन्दुस्तानके देहातोंके कंगाल होनेका मुख्य कारण चरखेका नाश है। मेरे मनमें गाँठ बैठ गयी थी कि हिन्दुस्तान जाऊँगा तब चरखेका प्रचार करूँगा।

१९१५में जब मैं देशमें आया, तब मनमें यह विचार तो भरा ही था। आश्रम कायम हुआ तभीसे स्वदेशी व्रत शुरू हुआ। पर हममें कोई यह न जानता था कि सूत कैसे कातते हैं। जिसलिये हाथका करघा लगाकर सन्तोष किया। सबके दिलोंसे बारीक कपड़ेका मोह मिटा नहीं था। स्त्रियोंकी साड़ी बुनने लायक स्वदेशी सूत तो मिलता ही न था। जिसलिये

बहुत थोड़े समयके लिये विदेशी सूतसे बुनायी करते थे । कुछ बारीक सूत देशी मिलका लिया और विदेशीको बिदा किया ।

आश्रममें करघा बैठानेमें भी मुश्किल तो खूब थी ही । हमें किसीको बुननेका ज्ञान नहीं था, मित्रोंके जरिये करघा जुटाया और सिखानेवाला जुलाहा खोजा । सीखनेका भार मगनलाल पर आया ।

जैसे जैसे मैं आश्रममें प्रयोग करता रहा, वैसे वैसे देशमें स्वदेशीका प्रचार भी करता रहा । लेकिन जब तक सूत न कते तब तक सब मामला दूल्हे विना बरातवाला ही लगा । अन्तमें चरखा मिला, कातनेवाली मिलीं और चरखा आश्रममें जारी हुआ । यह हकीकत 'सत्यके प्रयोग'में आ गयी है ।^८

कोई यह न समझे कि चरखा मिलते ही सब मुश्किलें दूर हो गयीं । यह भी कहा जा सकता है कि मुश्किलोंका बारीक ज्ञान हुआ, अिससे छुपी हुईं मुश्किलें सामने आयीं यानी बढीं ।

देशमें घूमते वक़्त देखा कि चरखेकी बात करते ही लोग अुसे अपना लें सो बात नहीं । यह पता था कि अुससे कमायी थोड़ी ही होती है, मगर यह पता न था कि कितनी कम होती है । अुसमेंसे सूत अेकसा और बारीक तुरन्त नहीं निकलता । बहुतसी छिरियाँ तो मोटापतला ही निकालेंगी । फिर यह भी देखा कि वह कच्चा होता है । चाहे जैसी रूअीसे काम नहीं चलता । अुसे पीजना पड़ता है, पूनियाँ बनानी पड़ती हैं । मगर पीजनेका आधार भी अिस बातपर है कि रूअी कैसी स्थितिमें मिली है । चरखे भी चाहे जैसे हों तो काम नहीं चलना । अिसलिअे चरखेका पुनरुद्धार होना चाहिये, यानी अेक बड़ी योजना बनानी चाहिये ।

अकेला धन काम नहीं आता, अकेले दो आदमियोंके बसका भी यह काम नहीं। सैकड़ों सेवक मिलें तभी काम बने। सेवक भी मामूली दर्जेके नहीं चाहियें। वे जैसे होने चाहियें जो नया शास्त्र सीखनेको तैयार हों, थोड़े गुजारमें सन्तोष करें और देहातका जीवन बितायें। अितना भी काफी नहीं था। देहातियोंमें आलस्य, निराशा और अविश्वास छा गया है। ये न मिटें तो चरखा जारी न हो। अिसलिअे चरखेको सफल करनेके लिअे सेवकों और सेविताओं दोनोंकी पूरी शक्तकी जरूरत है। और साथ साथ अट्ट धीरज और अटल श्रद्धा न हो तो चरखा नहीं चल सकता।

कहना चाहियें कि अिस श्रद्धामें पहले तो मैं अकेला ही था। मगर श्रद्धाके सिवा मेरे पास दूसरी सम्पत्ति नहीं थी। मैंने देखा कि जहाँ श्रद्धा होती है, वहाँ दूसरे सामान अपने आप आ जाते हैं। श्रद्धाके अनुसार ही बुद्धि मूझती है, मेहनत आती है। यह तो साफ ही था कि तमाम प्रयोग आश्रममें और आश्रमके द्वारा ही होंगे। आश्रमकी हस्ती ही अिसलिअे थी। मैंने देखा कि आश्रमकी मुख्य बाहरी प्रवृत्ति चरखा ही हो सकता था। चरखेका शास्त्र रचनेका दूसरा अुपाय ही नहीं था। अिसलिअे अन्तमें कातनेकी क्रियाको मशायज़ माना गया और जो आश्रममें आता, अुसे कातना सीखकर वह यज्ञ तो करना ही पड़ता था।

लेकिन यज्ञका अर्थ है काम करनेमें कुशलता प्राप्त करना। जैसे जैसे कात लेनेका नाम यज्ञ नहीं है। अिसलिअे पहले तो कमसे कम आध घंटे तक कातनेका तय हुआ। लेकिन जल्दी ही मालूम हुआ कि चरखा बिगड़ जाय, तो आध घंटेमें तीन तार भी नहीं निकल सकते। अिसलिअे यह तय हुआ कि कमसे कम १६० तार तो निकलने ही चाहियें। अेक तार यानी ४ फुट सूत।

लेकिन सूत मोटा पतला हो, तो किस कामका ? जिसलिअे सूतकी समानता, मजबूती वगैरा पर जोर दिया जाने लगा । और अब तो जिस हद तक पहुँच गये हैं कि बीस नंबरसे कमका सूत हो, तो उसकी यज्ञमें गिनती नहीं हो सकती ।

मगर अच्छेसे अच्छे सूतका सुपयोग कौन करे ? मैं तो पहलेसे ही समझता था कि जिस सूतका अिस्तेमाल यज्ञके लिअे कातनेवाले तो हरगिज नहीं कर सकते । मगर यह घूँट में सबके गले नहीं अुतार सका । सूतकी मजदूरी खुद चुका दे और खरीद ले तो क्या दर्ज है ? अैसा करनेसे अच्छेसे अच्छा सूत कतेगा, अिम लालचसे मैंने मनको यों समझा लिया कि मजदूरी चुकाकर अपना काता हुआ सूत खरीद ले तो भी यज्ञ किया माना जायगा । यह दोष ये पंक्तियाँ लिखते वक्त भी विलकुल दूर नहीं हो सका है । जो दोष शुरूमें ही नहीं मिट जाता, वह घर कर लेता है । और फिर जैसे घर किये हुअे गेगको दूर करनेमें मुश्किल होती है, वैसी ही अैसे दोषको निकालनेमें भी होती है ।

यह कहा जा सकता है कि जिस यज्ञके नतीजेके रूपमें ही चरखेका काम लगभग हिन्दुस्तान भरमें फैल गया है । मगर यह नहीं कहा जा सकता कि उसने गाँव गाँवमें घर कर लिया है । जिसका कारण मैं तो अच्छी तरह देख सकता हूँ । मेरी श्रद्धाके साथ ज्ञान बिलकुल नहीं था । भूलें करते करते, ठोकरें खाते खाते थोड़ासा ज्ञान मिला । साथी मिले, मगर यह नहीं कह सकते कि जिस महान कार्यके लिअे काफ़ी हैं । मैकड़ों सेवक तैयार हुअे हैं, मगर यह भी नहीं कहा जा सकता कि उनमें अटूट श्रद्धा या ज्ञान है । जहाँ मूल काम ही अभी कमजोर है, वहाँ पूरे फलकी आशा नहीं रखी जा सकती ।

लेकिन जिसमें मेरे खयालसे किसीका कसूर नहीं । नया काम है, महासागर जैसा विशाल है, उसमें कठिनायियोंका पार नहीं । जिसलिअे जितना हुआ, उससे सन्तोष तो नहीं माना जा सकता; फिर भी वह श्रद्धा कायम रखनेके लिअे तो काफ़ी ही है । सफलताकी आशा पूरी तरह रखी जा सकती है । अितना ज्ञान मिला है और अितने श्रद्धालु सेवक-सेविकायें पैदा हो गयी हैं कि यह काम अब नष्ट तो नहीं होगा, यह जरूर कहा जा सकता है ।

जिस अेक कामके साथ दूसरे छोटे काम आश्रममें और देशमें अितने ज्यादा पैदा हुअे हैं कि उनका अितिहास लिखें, तो जिस प्रयासकी सीमा लॉधी जा सकती है । मैंने यह नहीं सोचा है कि आश्रमका अितिहास देते हुअे उसके समी विभागोंका भी अितिहास देनेका साहस करूँ । लेकिन थोड़ेमें यहाँ बता दूँ कि उसके सिलसिलेमें कपासकी खेती होती है, बड़कीखाना चलता है, रँगाअीका काम होता है, ओटनेसे लगाकर बुनाअी तकके औजार बनते हैं । उनमें मुधार हुअे हैं और अब भी हो रहे हैं । चरखेकी किस्मं मुधारनेमें जो प्रगति हुअी है, वह तो मुझे अेक काव्य-जैसी लगती है ।

अच्छूतपन

सत्यका आग्रह रखनेके लिअे और उसके लिअे मरना पड़े तो मरनेकी कला सीखनेके लिअे जो आश्रम स्थापित हुआ उसमें अच्छूतपनको कलंक मानते हुअे भी उसे दूर करनेकी रचनात्मक प्रवृत्ति न की जाय, तो फिर वह सत्याग्रह आश्रम कैसे कहला सकता है ? अच्छूतपनको पाप मानना मैं और मेरे

साथी लोग दक्षिण अफ्रीकामें ही सीख गये थे । जिसलिये यहाँ आश्रम कायम होते ही अछूतपनको मिटाना आश्रमका अेक बड़ा काम हो गया ।

आश्रम स्थापित होनेके बाद अेक महीनेके भीतर ही दूदाभाअीने कुटुम्ब सहित आश्रममें रहनेकी माँग की । मैं नहीं सोचता था कि अितनी जल्दी आश्रमकी परीक्षा होगी । दूदाभाअीको भरती करनेकी सिफारिश श्री० अमृतलाल ठक्करने की थी । अुनकी सिफारिशवाले परिवारको मुझे अपना ही लेना चाहिये । जिसलिये मैंने अुसे आनेको खत लिख दिया । अिस कुटुम्बके आते ही खलबली मच गयी । पहले तो मैंने देखा कि आश्रममें जो परिवार रहते थे, अुन्हींमें कहीं कहीं अछूतोंके साथ परहेज रहता था । मेरी ही पत्नीमें, हालाँ कि अिस बाबत दक्षिण अफ्रीकामें बहुत कष्ट सहना पड़ा था, अुआछूत बाक्ती थी । मगनलाल-जैसे बहादुर आदमीने देखा कि अुसमें भी गहराअीमें यह दोष रह गया है । अुसकी पत्नीमें तो और भी ज्यादा था । यहाँ तक नौबत आयी कि मेरी पत्नी या तो आश्रम छोड़ दे या आश्रमके कड़े नियमका पालन करे । अुआछूत रखनेवाले सम्बन्धियोंने अुसे समझाया कि पतिके पीछे चलनेवाली स्त्रीको पाप लगता ही नहीं । पर न चलनेसे जरूर लगता है । अिस खयालने असर किया और वह शान्त हो गयी । मैं खुद यह नहीं मानता कि पत्नीका पतिके पापमें साथ देना किसी भी तरह धर्म है । मगर यहाँ मैंने पत्नीके सहयोगका स्वागत किया, क्योंकि मैं अछूतपन मिटाना पुण्यका काम समझता था । अस्पृश्यता-निवारण आश्रममें रहनेकी अेक लाजमी शर्त थी । जिसलिये अगर अिस शर्तका पालन न करे, तो मेरी पत्नीको आश्रमके बाहर रहना ही पड़े । यह मेरे लिये दुःखदायक तो था ही ।

जिसने आज तक मेरे सुखदुःखमें बड़ी तकलीफ़ झुठाकर साथ दिया था, उसका वियोग सहन करना भारी कष्ट था। मगर धर्मपालनके लिये कैसे भी संकट आयें, उन्हें सहना ही था। जिसलिये स्वतंत्र रूपमें नहीं, पर पत्नी-धर्मके नाते पत्नीने जब छुआछूतको छोड़ दिया, तो मुझे उसे स्वीकार करनेमें संकोच नहीं हुआ।

मगनलालकी परीक्षा मुझसे कड़ी थी। उसने तो क्षणभरमें आश्रम छोड़नेकी हिम्मत करनेका विचार कर लिया। सामान बाँधकर वह मुझसे अिजाजत लेने आया। मैं अिजाजत कैसे देता? मैंने मगनलालको सावधान किया। आश्रम खड़ा करनेमें जितना मेरा हाथ था, उतना ही उसका था। अपना रचा हुआ खुद ही कैसे छोड़े? छोड़नेका अर्थ आश्रमका नाश करना था। वह नाश नहीं चाहता था। अपनी बनायी चीज़को छोड़नेकी अिजाजत मुझसे क्या लेनी थी? मगर उससे आश्रम छोड़ा ही नहीं जा सकता था। अितना कहना मगनलालके लिये बहुत हो गया। यह लिखते वक़्त मुझे ऐसा लगता है कि उसने तो मेरा रास्ता साफ़ करनेके ख़यालसे ही यह कदम उठाना ठीक समझा होगा। और सबका वियोग बर्दाश्त हो सकता था, मगर मगनलालका वियोग सहन करना मुश्किल बात थी। जिसलिये मैंने मगनलालको कुटुम्ब सहित मद्रास जानेकी बात कही। वहाँ जाकर दोनों शान्त हों और बुनायीकी कलाका ज्यादा ज्ञान प्राप्त करें। आश्रममें जो मददगार आये थे, उन्होंने अेक हृदसे आगे सिखानेसे अिनकार कर दिया। उन्हें यह निरर्थक डर लगा कि ऐसा करनेसे उनका धन्धा खतम हो जायगा। मद्रासमें स्व० त्यागराज चेटीने अपने हाथकी बुनायीके कारखानेमें मणिलाल गांधीको सीखनेके लिये रख लिया था। मगर मद्रासके कारीगरको भी अहमदाबादमें मिले

कारीगरकी ही तरह वहम था । जिसलिअे कारीगर दिल खोलकर अपनी कारीगरी नहीं सिखाते थे । मंगनलालमें वशीकरण शक्ति ज्यादा थी, उसका ज्ञान भी अधिक था । मैं मानता था कि वह देख देखकर भी बहुत सीख लेगा । जिसके सिवा दक्षिणके साथ सीधा सम्बन्ध भी जोड़ना ही था । मंगनलालको मद्रास मेजनेके लिअे उसके धर्मसंकटका बहाना भी मुझे मिल गया । और मैंने उसे पकड़ लिया । मंगनलालको और उसकी पत्नीको मेरी सूचना पसन्द आ गयी । वे मद्रास गये और वहाँ कोअी छह मास रहे । बुननेकी कला अच्छी तरह सीख ली और दोनोंने गहरा विचार करके अछूतपनका मैल पूरी तरह निकाल दिया । दोनों अपनेमें आयी हुअी कमजोरीको देख सके । वे मद्रासमें ही अछूतोसे आज्ञादीके साथ मिलने लगे, उनसे दूसरे सम्बन्ध भी जोड़े । काम पूरा होनेपर वे और मणिलाल आश्रम लौट आये ।

जिस तरह आश्रमवासियोंमें पैदा हुअी खलबली शान्त हुअी । बाहर भी कम खलबली न थी । जिन्होंने आश्रमको मदद देनेकी प्रतिज्ञा ली थी, उनमेंसे मुख्य सहायकने तुरन्त मदद बन्द कर दी । कुअेंका पानी न मिलने तकका खतरा आ पहुँचा । मगर उसे बेखटके पार कर लिया । और रुपये पैसेकी मददके बारेमें 'नरसी मेहताकी हुंडी' सिकारने जैसी घटनाअें हुअीं । न सोची हुअी जगहसे अचानक तेरह हजारके नोट आ पड़े । जिस तरह यह माना जा सकता है कि आश्रमवासियोंने दूदाभाअीको सब संकट सहकर भी निभा लेनेकी जो प्रतिज्ञा की थी, वह भारी संकट सुठाये बिना ही पूरी हुअी । जिस तरह अछूतपन मिटानेके विषयमें आश्रम पास हुआ । अछूत परिवार आज्ञादीसे आतेजाते

हैं, और आश्रममें रहते हैं। दूधाभाभीकी लक्ष्मी तो ऐसी हो गयी, जैसे परिवारकी ही हो।

अच्छूतोंके तीन धन्धे आश्रममें चलते हैं और उनमें सुधार हो रहे हैं। आश्रममें रहनेवाले सभीको भंगीका काम तो करना ही पड़ता है। दरअसल उसे धन्धा नहीं माना जाता, बल्कि हर अेकका फर्ज समझा जाता है। जिसलिअे पाखानोंकी सफ़ाभी हाथोंसे ही होती है। वह डॉ० पुरके बताये हुअे तरीकेपर होती है। मैला आश्रमकी ज़मीनमें छिछला गाड़ा जाता है। जिससे थोड़े ही दिनमें उसकी खाद बन जाती है। डॉ० पुरका कहना है कि बारह अिंच तककी ज़मीन जिन्दा होती है। उसमें बेशुमार जीव रहते हैं। उनका काम मैली ज़मीनको साफ़ करना है। वहाँ तक हवा और सूर्यकी किरणें पहुँचती हैं। जिसलिअे वहाँ तक मैला गाड़नेसे वह मिट्टीमें जल्दी मिल जाता है।

पाखाने भी जिस ढंगसे बनाये गये हैं कि उनमें बदबू न आये और सफ़ाभी करनेमें ज़रा भी मुश्किल न हो। अुपयोग करनेके बाद हर अेक आदमी उसमें काफ़ी सूखी मिट्टी डालता है — अितनी कि जब देखो तब अ़ूपर सूखा ही नज़र आये।

दूसरा धन्धा बुनाअीका है। मोटी खादी गुजरातमें तो अच्छूत जुलाहे ही बुनते थे। उनका धन्धा लगभग नष्ट हो गया था और बहुतेरे भंगीका काम करने लग गये थे। अब अ़ुस धन्धेका जीर्णोद्धार हुआ है।

तीसरा चमारका काम है। यह भी आश्रममें जारी हो गया है। जिसके बारेमें ज्यादा 'गोसेवा'के प्रकरणमें आयेगा।

आश्रममें अुपजातियाँ नहीं मानी जातीं। अेक दूसरेके साथ खानेमें अ़ुआछूत नहीं रखी जाती, जिसलिअे आश्रममें सभी

अक पंगतमें खाने बैठते हैं । अिस व्यवहारका प्रचार आश्रमके बाहर नहीं किया जाता । अछूतपन मिटानेके लिये अिस प्रचारकी जरूरत नहीं मानी गयी । अछूतपन मिटानेका अर्थ यह है कि अछूतोंके सार्वजनिक संस्थाओंमें जानेपर जो रुकावटें लगायी जाती हैं, अुन्हें दूर किया जाय, और अुन्हें छूनेपर जो छुआछूत मानी जाती है, अुसे मिटाया जाय । ये पाबन्दियाँ कानूनसे भी हटायी जा सकती हैं । रोटीबेटीका व्यवहार अलग सुधार है । अिसमें कानून या समाज दखल नहीं दे सकते । अिस खयालसे आश्रमवासी अपने लिये सबके साथ खाद्य पदार्थ खानेकी स्वतंत्रता रखते हैं, मगर अैसा करनेका प्रचार नहीं करते ।

आश्रमकी तरफसे अछूतोंके लिये पाठशालाओं खोलने और कुअें खुदवानेकी कोशिश भी हो रही है । अिसमें आश्रमका खास काम रुपया जमा करना है । अछूतपनके बारेमें आश्रमकी सही प्रवृत्ति तो आश्रमवासीके अपने आचरणको सुधारनेकी है । आश्रममें अूचनीचपनको कोअी भी स्थान नहीं है ।

अितनेपर भी आश्रम वर्णाश्रमको हिन्दू धर्मका अंग मानता है । मगर वर्णाश्रमका सच्चा अर्थ मामूली अर्थसे अलग तरहका है । चार वर्ण और चार आश्रम सिर्फ हिन्दूधर्मकी ही व्यवस्था हो सो बात नहीं । यह चीज मनुष्यमात्रमें है । यह सार्वजनिक नियम है । अुसका भंग करनेसे दुनियामें कअी आपत्तियाँ पैदा हुअी हैं । जैसे वर्ण चार हैं, वैसे ही आश्रम भी चार हैं— ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास । ब्रह्मचर्य आश्रमका अर्थ है विद्याभ्यास काल । अिस समयमें विद्यार्थी— स्त्री या पुरुष ब्रह्मचर्यका पालन करे, अितना ही क्रांती नहीं, बलिक अिस कालमें अुसपर विद्यासंपादनके सिवा दूसरा कोअी भार न होना चाहिये । यह अवस्था

कमसे कम २५ साल तककी मानी गयी है । उसके बाद ब्रह्मचारीको गृहस्थ जीवनमें प्रवेश करना हो, तो करे । १९.७५ फ्री सैकड़ा तो प्रवेश करेंगे ही । मगर यह जीवन ५० वर्षकी अुम्रमें बन्द होना ही चाहिये । अिस कालमें गृहस्थ अपनी विषयतृप्ति करे, धन कमाये, धन्धा करे, सन्तान पैदा करे । बाक्रीके २५ साल पतिपत्नी अलग रहकर सिर्फ़ भलाअीके काम करें, जनताकी सेवा करें, परिवारसे दूर रहकर सारे संसारको परिवार माननेकी कोशिश करें । आखिरी २५ बरस दोनों संन्यासमें बितायें । अिसमें खास व्यवसायके बजाय दोनों अलग अलग रहकर लोगोंमें धार्मिक जीवनका प्रचार करें, आदर्श जीवन बितकर लोगोंको आदर्श सिखावें, और खुद सिर्फ़ प्रजाकी दयापर गुजर करें । यह माफ़ मालूम होता है कि अिस तरहसे बहुत लॉग चलें, तो समाजकी जिन्दगी बहुत अँचे दर्जेकी हो जाय ।

मगर अिस बारेमें अलग अलग राय हो सकती है कि आश्रमकी जो मर्यादा अूपर बतायी गयी है, वही आज भी होनी चाहिये या दूसरी । मुझे मालूम नहीं कि आश्रमव्यवस्था की खोज हिन्दू धर्मके बाहर भी हुअी है । आज तो यह कहा जा सकता है कि हिन्दू धर्ममें वह लगभग नष्ट हो गयी है । ब्रह्मचर्य आश्रम-जैसी चीज तो कोअी है ही नहीं । और यह तो आश्रमजीवनका आधार है । दूसरे आश्रमोंमें संन्यास आश्रम नामके लिअे जरूर पाया जाता है । परन्तु संन्यासियोंमें बहुतसे तो सिर्फ़ वेषधारी रह गये हैं, बहुतसे ज्ञानहीन हैं; और कुछ, जिन्होंने विद्या अच्छी प्राप्त की है, वे ब्रह्मज्ञानी तो नहीं, लेकिन धर्मान्ध हैं । अिनमें कहीं कहीं कोअी चरित्रवान संन्यासी भी जरूर देखनेमें आते हैं । मगर संन्यासीके तेजवाले मुश्किलसे नजर आते हैं । सम्भव है अैसे

लोग छिपे हुअे रहते हों । मगर यह साफ़ साबित है कि संन्यास आश्रमका भी लोप हो रहा है । जिस समाजमें प्रौढ़ संन्यासी विचरते हों, उस समाजमें धर्मकी, अर्थकी कंगाली नहीं होती, वह पराधीन नहीं होता । आजका हिन्दू समाज धर्महीन, तेजहीन, अर्थहीन और पराधीन है, जिस बारेमें दूसरी राय मैंने नहीं सुनी । मेरी राय तो यहाँ तक है कि संन्यास आश्रम ज़िन्दा होता, तो दूसरे पासवाले धर्मोंपर भी अिन संन्यासियोंका असर पड़े बिना न रहता । संन्यासी हिन्दू धर्मका ही नहीं, सभी धर्मोंका है ।

मगर जैसे संन्यासी ब्रह्मचर्य आश्रमके बिना पैदा ही नहीं हो सकते, वानप्रस्थ तो नामको भी नहीं । बाकी रहा गृहस्थ आश्रम । सो गृहस्थजीवन आश्रमके रूपमें नहीं रहा । वह सिर्फ़ मनमानी करनेका साधन बना हुआ है । उसमें मर्यादा नहीं रही । दूसरे आश्रमकी ढालके बिना गृहस्थजीवन पशुजीवन है । जिस जीवनकी मर्यादा मनुष्य और पशुके बीचका अेक बड़ा फर्क़ है । वह न रहा तो मेरी रायमें यह कहनेमें अतिशयोक्ति नहीं होगी कि गृहस्थजीवनमें पशुजीवनके सिवा और कुछ नहीं रहेगा ।

जिस आश्रमजीवनका फिरसे अुद्धार करनेकी बड़ी भारी कोशिश आश्रममें जारी है । मुझे खुद यह प्रयत्न ऐसा ही हास्यजनक लगता है, जैसे चींटा गुड़से भरे घड़ेको झुठानेकी कोशिश करे । मगर कितना ही हास्यजनक लगे तो भी यह अेक सत्यनिष्ठासे प्रेरित प्रयत्न है । और जिसीलिअे आश्रममें सभीको ब्रह्मचर्यका पालन करना पड़ता है, आश्रमवासियोंको अुसे मरते दम तक पालना है । जिस दृष्टिसे आश्रममें रहनेवाले सभीको आश्रमवासी नहीं माना जाता । जिसने अुग्रभर ब्रह्मचर्यका पालन करनेका व्रत लिया

है, वही आश्रमवासी माना जाता है। जैसे थोड़े ही हैं। बाकी सब आश्रम-विद्यार्थी माने जायेंगे। अगर यह प्रयत्न सफल हो, तो शायद उसमेंसे आश्रमव्यवस्था पैदा हो जाय। मेरा खयाल है कि इस प्रयत्नकी सफलताका अन्दाज़ लगानेके लिये आश्रमकी सोलह सालकी जिन्दगी काफी नहीं है। मैं नहीं जानता यह अन्दाज़ा कब लगाया जा सकेगा। अितना ही कह सकता हूँ कि सोलह वर्षकी कोशिशके बाद मुझे निराशा ज़रा भी नहीं है।

जब आश्रमव्यवस्था इस तरह विगड़ गयी है, तब वर्ण-व्यवस्थाकी हालत इससे कुछ कम खराब नहीं है। मूलमें चार वर्ण थे। अब अनगिनत हैं अथवा अेक ही। यदि जातियोंके बराबर वर्ण मानें, तो जातियाँ अपार हैं। और यदि यह मानें कि जातियोंका वर्णसे कोअी सम्बन्ध ही नहीं है (मेरी रायसे यही मानना भी चाहिये), तो अेक ही वर्ण रहा है, और वह है शूद्र। यहाँ शूद्रका अर्थ दोषसूचक नहीं है, लेकिन वस्तुस्थितिसूचक है। जो वर्ग नौकरी करता है, वह पराधीन है यानी शूद्र है। अभी तो सारा हिन्दुस्तान पराधीन है, इसलिये वह शूद्र है। किसान अपनी जमीनका मालिक नहीं, व्यापारी अपने व्यापारका मालिक नहीं। शास्त्रोंमें ब्राह्मण और क्षत्रियोंके जो गुण बतलाये गये हैं, वैसे गुणवाले ब्राह्मण और क्षत्रिय भाग्यसे ही देखनेको मिलते हैं।

जब वर्ण व्यवस्थाकी खोज हुअी थी, तब मेरे खयालमें अँच-नीचकी भावना नहीं थी। इस संसारमें न कोअी अँचा है, न नीचा। इसलिये जो अपनेको अँचा मानता है, वह कमी अँचा नहीं हो सकता। जो अपनेको नीच मानता है, वह सिर्फ़ अज्ञानके कारणसे। उसे उसके नीच होनेका पाठ उससे अँचापन भोगनेवालोंने सिखाया है। ब्राह्मणमें ज्ञान हो, तो ज्ञानहीन उसका आदर

करेंगे ही । जो ब्राह्मण आदरसे अभिमानी बनेगा या अपनेको अँचा मानेगा, वह उसी वक्तसे ब्राह्मण नहीं रहेगा । गुणकी पूजा सदा ही होगी । मगर गुणवान आदमीने अपनेको जहाँ उससे अँचा माना कि तुरन्त उसके गुण निकलने दे जाते हैं । जिसमें कुछ भी गुण है या शक्ति है, वह उसका रक्षक है और उसे उसका उपयोग समाजके लिये करना चाहिये । किसी भी व्यक्तिको अपने लिये जीनेका हक नहीं । कोअी अपनी शक्ति अपने ही लिये अिस्तेमाल नहीं कर सकता । सब अपनी शक्तिका उपयोग समाजके लिये पूरी तरह कर सकते हैं ।

अिस कल्पनासे पहले वर्णव्यवस्था हुआी हो या न हुआी हो, आज तो कोअी भी अपनेको अँचा कहलाकर जीवननिर्वाह नहीं कर सकता । उसका यह दावा समाज अपनी अिच्छासे नहीं मानेगा । यह हो सकता है कि वह जबरदस्तीसे सिर झुका ले । दुनियामें जो जाग्रति हुआी है, उसमें स्वेच्छाचार भले ही बहुत आ गया हो, मगर लोकमत अँचनीचका भेद सहनेको आज तैयार नहीं । दिनदिन अिस भेदका अिन्कार बढ़ता जा रहा है । यह ज्ञान फैलता जाता है कि आत्माके रूपमें सभी बराबर हैं । यह भाव भी अँचनीचका भाव मिटाता है कि हम सब अेक ही अीश्वरके बनाये हुअे हैं । अिसका यह मतलब नहीं कि चूँकि यह भेद नहीं है या न होना चाहिये, अिसलिये सबकी शक्ति भी आज बराबर है या होनी चाहिये । अेक दूसरेकी शक्ति अेकसी नहीं, सबकी जायदाद बराबर नहीं, सबको समान अवसर नहीं । फिर भी सब बराबर हैं, अिसीका नाम तो भ्रातृभाव है । भाअी-बहन अलग प्रकृतिके, अलग शक्तिवाले, अलग अुम्रके होते हुअे भी सब समान हैं । यही बात जीवमात्रके बारेमें है ।

अिस तरह अगर वर्णव्यवस्था परमार्थके लिअे हो, धार्मिक हो तो अुसमें अँचनीचपनकी गुंजायश ही नहीं होती ।

अिस तरहके अेक दूसरेको समान समझनेवाले चार विभाग वर्णव्यवस्थामें हैं, और वे जन्मसे हैं । कर्मसे वे बदल भले ही जायँ, पर वर्णव्यवस्थाका आधार जन्म न हो, तो अैसा ही लगता है कि फिर अुसका कोअी अर्थ नहीं रह जाता है ।

वर्णव्यवस्थामें धर्म और अर्थका संग्रह है । अुसमें पिछले जन्मका और माँबापका असर मान लिया गया है । समी अेकसी शक्ति और अेकसा रवैया लेकर नहीं पैदा होते । यह भी नहीं हो सकता कि बेशुमार बच्चोंकी शक्तिका माँबाप या हुकूमत अन्दाजा लगा सकें । लेकिन अगर यह खयाल रखकर बच्चेको अपने धन्धेके लिअे तैयार किया जाय कि बच्चेमें अुसके माँबापका, आसपासके वायुमण्डलका, और पिछले संस्कारोंका असर होगा ही, तो किसी किस्मकी परेशानी न हो । निरर्थक प्रयोगोंमें लगनेवाला वक्त बच जाय । नीतिनाशक होड न हो, समाजमें सन्तोष रहे और आजीविकाके लिअे कशमकश न हो ।

अिस व्यवस्थाके गर्भमें ही अँचनीचपनका भेद अुठ जाता है । अगर मोचीसे बढ्नी बडा और बढ्नीसे वकील डॉक्टर और भी बडे माने जायँ, तो अपनी मरज्जीसे कोअी मोची या बढ्नी न रहे, बल्कि सब वकील डॉक्टर बननेकी कोशिश करें । और अैसा करनेका अुन्हें अधिकार होना चाहिये और तारीफकी बात समझी जानी चाहिये । यानी वर्णव्यवस्थाको बुराअी मानकर अुसके नाशकी अिच्छा और कोशिश करनी ठीक है ।

यह कहनेमें कि सब अपने अपने पैतृक धन्धेकी शिक्षा ग्रहण करें यह खयाल भी आ जाता है या होना चाहिये कि

सब धन्धोंका मूल्य गुजरके लायक ही होना चाहिये । अगर मोचीसे बढ़ाईकी मजदूरी ज्यादा हो और दोनोंसे वकील डाक्टरकी बहुत ही अधिक हो, तो फिर सभी वकील डाक्टर बननेकी कोशिश करेंगे । आज ऐसा होता है । उससे द्वेष बढ़ा है और वकील डाक्टरोंकी तादाद जितनी चाहिये उससे ज्यादा हो गयी है । जैसे बढ़ाई और मोची वगैराकी जरूरत है वैसे समाजको वकील, डाक्टरकी जरूरत भी हो सकती है । यहाँ ये चार धन्धे अदाहरणके लिये और अेकदूसरेके साथ मुकाबला करनेके लिये दिये गये हैं । यहाँ यह विचार करनेकी जगह नहीं है कि कौनसे धन्धोंकी समाजको ज्यादा जरूरत है या बिलकुल जरूरत नहीं है ।

लेकिन वर्णव्यवस्थाको माननेके साथ ही यह भी मान लेना चाहिये कि विद्वत्ता कोभी धन्धा नहीं है और रुपया जमा करनेके लिये उसका उपयोग नहीं होना चाहिये । जिसलिये वकील डाक्टरके कामको जिस हद तक पेशा माना जाय, उस हद तक उससे गुजारे लायक ही लेना चाहिये । पहले ऐसा ही था । देहाती वैद्य बढ़ाईसे ज्यादा नहीं कमाते थे । उन्हें भी रोजी मिलती थी । मतलब यह कि सब धन्धोंकी कीमत बराबर और गुजर लायक होनी चाहिये । वर्णकी विशेषता उसकी संख्याका निश्चय करनेमें नहीं है; उसकी विशेषता मनुष्यके कर्तव्यका निश्चय करनेमें है । वर्णकी संख्या भले अेक हो या अनेक, शास्त्रकारने तो चार वर्ण जरूरी मानकर बताये हैं । सबको बराबरीका दर्जा देनेके बाद उन्हें चार मानें या अुनकी संख्या बिलकुल अुड़ा दें, तो भी बहुत फर्क नहीं पड़ता ।

अिस अर्थको सामने रखकर वर्णका पुनरुद्धार करनेकी कोशिश आश्रम करता है । भले वह समुद्रकी लहरोंको रोकने-जैसी हो । उसकी जड़में दो बातें मैंने बतायी हैं : अँचनीचका भाव मिटाना और सबको रोजीका अधिकार देकर सबकी रोजी अेक सरीखी रखना । यह मकसद पूरा करनेमें जितनी सफलता मिलेगी, अुतना ही समाजको लाभ होगा ।

कोअी कहेगा कि मैं यह हानि कैसे भूल जाता हूँ कि अिस व्यवस्थासे विद्या प्राप्त करनेकी अुमंग कम हो जायगी । विद्याकी अुमंग आज जिस कारणसे होती है, वह अुसे कलंकित करती है और अुस हद तक वह कम हो जाय तो अुसमें भला ही है । विद्या मुक्तिके लिये यानी सेवाके लिये है । जिसमें सेवाकी लगन होगी, वह विद्या प्राप्त करनेकी कोशिश करेगा ही । और अुसकी विद्या अुसे और समाजको सुशोभित करेगी । और जब अुसमेंसे रुपया पैदा करनेका लालच दूर हो जायगा, तब विद्याभ्यासका क्रम बदल जायगा और अुसे लेने और देनेका तरीका भी बदल जायगा । अुसका आज खूब दुरुपयोग होता है । अिस नये दृष्टिकोणका आदर हो, तो विद्याका कमसे कम दुरुपयोग हो ।

होड़की गुंजायश फिर भी रहेगी । वह होड़ अच्छा बननेकी, सेवावृत्ति बढ़ानेकी होगी । और सबको गुजरके लायक मिलता रहेगा, तो असन्तोष और अंधाधुन्धी मिट जायगी ।

अिस विचारश्रेणीके अनुसार वर्णका जो गलत अर्थ आज होता है, वह दूर होना चाहिये । छुआछूत मिटनी चाहिये और रोटी-बेटी व्यवहारके साथ वर्णका जो निकट सम्बन्ध आज है, वह टूटना चाहिये । किसके साथ खाया जाय और कौन किसके यहाँ शादी करे, अिसका वर्णके साथ कोअी ताल्लुक नहीं । मनुष्यको

जहाँ खाना होगा, जहाँ उसे पसन्द होगा, जहाँ उसे प्रेमसे निमंत्रण मिलेगा, वहाँ वह खायेगा। स्त्रीपुरुषको जहाँ अपना श्रेय दिखेगा, वहाँ वे शादी करेंगे। आम तौरपर विवाह अेक ही वर्णमें होना सम्भव है। मगर दूसरे वर्णमें हो, तो पाप नहीं माना जा सकता। पापका निर्णय दूसरी ही तरह होगा। मनुष्यका बहिष्कार वर्णसे नहीं होगा, समाजसे होगा। समाजका विधान आजसे ज्यादा अच्छा होगा। उसमें जो गन्दगी, पाखण्ड वगैरा घर कर चुके हैं, वे निकल जायेंगे।

खेती

कहना चाहिये कि आश्रममें जो खेती होती है, उसका कारण मगनलाल है। खेतीके बिना आश्रम दूल्हे बिना बरात जैसा माना जायगा, फिर भी खेतीमें पढ़नेकी मेरी हिम्मत बिलकुल न थी। मेरा खयाल था कि उसके लिये आश्रम न तो कुशल है, न वैसी परिस्थिति है। खेती बहुत बड़ा साहस है और उसके लिये खूब जमीन, रुपया और आदमी चाहियें। उसपर ध्यान दिया जाता तो दूसरे जो काम ज़रूरी माने गये थे, जिनको करनेकी हिम्मत थी और जो रुकने-जैसे नहीं थे, उन्हें धक्का पहुँचानेका भी मुझे डर था। मगर मगनलालके आग्रहके सामने मैं लचकार हो गया। उन्होंने कहा —“कुछ नहीं तो मेरे मन बहलावके लिये ही खेती होने दीजिये।” मगनलाल मेरे साथ शायद ही कभी दलील करते थे। मैं जो कहता उस पर अमल करनेका धर्म उन्होंने पूरी तरह सीख लिया था। जहाँ उन्हें सूझ न पड़ता या उनका मतभेद होता, वहाँ वे मुझे कह देते थे। अितनेपर भी यह मान कर कि मेरे विचारपर चलना ही ठीक होगा, वे उसमें जुट जाते थे। सच पूछा जाय तो उनका यह खयाल था कि खेतीके

बिना आश्रम हो ही नहीं सकता । मगर **असके** लिये **अन्हें** बहस करनी पड़ती । वह न करके **अन्होंने** प्रेमकी सबसे बड़ी दलील पेश कर दी और खेती शुरू हुई । आश्रममें जो पेड़ हैं, वे ज्यादातर मगनलालके लगाये हुअे या **अनके** लगवाये हुअे हैं । खेतीके बारेमें मेरी शंकायें आज भी बनी हुअी हैं । आज भी मैं यह दावा नहीं करूँगा कि आश्रम खेती करता है । परन्तु जो खेती आश्रममें है, **असके** लिये मुझे दुःख नहीं । **असमें** रुपया काफ़ी खर्च हुआ है । हिसाबसे यह नहीं बताया जा सकता कि वह अब भी स्वावलम्बी हो गयी है । अितनेपर भी मैं देखता हूँ कि जितनी खेती होती है, **अतनी** खेतीकी आश्रमकी हस्तीके लिये जरूरत थी ही । खेतीके बिना आश्रम बन ही नहीं सकता । आश्रमको अपनी सागभाजी तो पैदा करनी ही चाहिये । मगनलालने अपने लिये तो पिछले वर्षोंमें त्रत ही ले लिया था कि आश्रममें जो सागतरकारी मिलेगी, **असीपर** गुजर करूँगा । आश्रममें अपने लायक अनाज और घास भी पैदा करनेकी शक्ति होनी चाहिये । खेतीके सुधारका लोभ भले न रहे, मगर मैं देख सकता हूँ कि खेतीके बिना आश्रम वैसा ही लगेगा, जैसा नाकके बिना शरीर ।

यह खेती अभी तो प्रयोगके रूपमें ही है । यह दावा नहीं किया जा सकता कि **अससे** किसीको बहुत शिक्षा दी जा सकती है । मगर **असका** **अपयोग** खेतीकी साधारण जानकारी हासिल करनेके लिये काफ़ी होता है । आश्रमकी जमीनपर जहाँ अेक भी पेड़ नहीं था, वहाँ अब बहुत पेड़ हो गये हैं । और हर पेड़ **अपयोगकी** दृष्टिसे लगाया गया है । सागभाजी होती है, थोड़े फल होते हैं, घासचारा होता है । जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, मनुष्यके मँलेको खादके काममें लिया जाता है, और यह कहा जा सकता है कि **अिसका** नतीजा बहुत अच्छा हुआ है ।

खेती करनेमें पुराने और नये हलोंका प्रयोग किया गया है । पानी खींचनेके लिये वे ही योजनाओं काममें ली गयीं, जो गाँवोंमें पनप सकती हैं । यह कहा जा सकता है कि खासकर पुराने औजारोंकी तरफ झुकाव रहा है । गरीब किसानके लिये ये औजार आदर्श मालूम हुअे हैं । यह दूसरी बात है कि अुन्हींमें थोडा फेरबदल किया जा सकता है । मगर अिस बारेमें निश्चयपूर्वक कहने लायक परिणाम अभी तक नहीं लाया जा सका । क्यौंकि अुसे मुख्य काम समझकर अुसके लिये जितना चाहिये अुतना समय और बुद्धिका अुपयोग नहीं किया गया । आश्रम अिस काममें नेतृत्व नहीं कर सकता ।

गोसेवा

आश्रमका आदर्श तो दूधके बिना गुजर करना है । जैसे आश्रमका खयाल है कि मांस मनुष्यकी खुराक नहीं, वैसे ही पशुओंके दूधकी बात है । अेक साल तक बहुत आग्रहके साथ आश्रममें दूध घी छोडा गया, मगर बादमें यह प्रयोग बन्द करना पडा । आश्रममें परवरिश पानेवाले बच्चोंके शरीर कमजोर होने लगे । वे बडे किन्तु दुर्बल होने लगे । अिसलिये धीरेधीरे घी और बादमें दूध शुरू हो गया । अिनके शुरू होते ही यह निश्चय स्वाभाविक था कि पशुओंके रखे बिना काम नहीं चलेगा ।

आश्रम 'गोरक्षा' धर्मको मानता है । 'गोरक्षा' शब्दमें अभिमान और आडम्बर है । अिन्सान जानवरका रक्षक नहीं बन सकता । जो खुद रक्षा चाहता है, वह दूसरेकी रक्षा नहीं कर सकता । जीव मात्रका रक्षक अेक परमेश्वर ही है । अैसा खयाल होनेके कारण आश्रमने 'गोरक्षा'के बजाय 'गोसेवा' शब्दका प्रयोग

पसन्द किया । लेकिन चूँकि खुद दूध घी छोड़कर गोसेवा सिर्फ परमार्थकी दृष्टिसे करनेकी आश्रमकी अिच्छा सफल न हुआ, अिसलिअे डोर पाले गये । शुरू शुरूमें यह स्पष्ट नहीं था कि सिर्फ गाय बैल ही रखना धर्म है । अिसलिअे गाय, बैल और भैंसैं रखी गयीं ।

पर दिन दिन यह साक़ होता गया कि आजकल तो गो-सेवा करनेसे ही मनुष्यके सिवा दूसरे सब प्राणियोंकी सेवा हो जाती है । गोसेवा अिन्सानके लिअे रास्ता बतानेवाली है । अिससे आगे जानेके अुसके पास साधन नहीं । अिसके सिवा गोवध ही हिन्दू-मुसलमानोंमें झगड़ेका अेक कारण बन जाता है । आश्रमका खयाल है कि मुसलमानसे गाय जबरन् छीन लेनेका हिन्दूको अधिकार नहीं, यह अुसका धर्म नहीं । दूसरेपर जबरदस्ती करके अुससे गाय छुड़ानेमें गोसेवा या गोरक्षा नहीं, बल्कि अिससे अुसकी हत्या जल्दी होना सम्भव है । खुद गायके प्रति अपना धर्म पालन करके गायको महेँगी बनाकर ही हिन्दू गायकी और अुसकी सन्तानकी सेवा या रक्षा कर सकता है । यह काम आजकल हिन्दू समाजने छोड़ दिया है । गायकी जरूरत कम ही होती है । गायसे भैंस ज्यादा दूध देती है, अुसमें घी ज्यादा होता है, अुसे रखनेमें खर्च थोड़ा होता है । फिर भैंसकी औलाद अगर पाड़ा हो, तो बहुतोंको यह चिन्ता नहीं रहती या बहुत कम चिन्ता रहती है कि अुसका क्या हाल है; क्यौँकि भैंसकी रक्षा या सेवा करना अुनका धर्म ही नहीं । अिस तरहका ओछा हिसाब लगाकर हिन्दू समाजने कायरतासे, अज्ञानसे और स्वार्थसे गायकी अुपेक्षा की है और भैंसको जगह दी है, और अैसा करके दोनोंका बुरा किया है । भैंसके पालनेमें भैंसका स्वार्थ भी नहीं सधता । भैंसका भला

असके स्वतंत्र रहनेमें है । भैंस पालनेका अर्थ है पाड़ेको दुःख दे देकर मारना । यह बात सब प्रान्तोंपर लागू नहीं होती, लेकिन गुजरातमें पाड़ेका उपयोग खेतीमें नहीं होता, जिसलिअे असके नसीबमें बुरी मौत मरना ही होता है ।

जिस विचारसे आश्रममेंसे भैंसको निकाल दिया गया और सिर्फ गाय बैल पालनेका ही आग्रह रखा गया है । गायकी नमल सुधारना, अलग अलग खुराक देकर दूध बढ़ाने और सुधारनेकी खोज करना, दूधकी रक्षा करनेकी कला सीखना, असमेंसे आसानीसे मक्खन निकालना, बैलोंको कमसे कम कष्ट देकर खस्सी करना — वगैरा बातोंपर ध्यान दिया जाता है । अभी सब कुछ प्रयोगके तौरपर होता है । मगर आश्रमका खयाल अैसा है कि गायका पूरा और दयामय उपयोग हो, तो गाय महंगी पड़ ही नहीं सकती ।

आज शायद बहुतोंको पता न हो कि गाय महंगी पड़ती है । वह महंगी पड़ती है, जिसलिअे असकी हत्या होगी ही । जिन्सान अितना परोपकारी नहीं होता कि खुद मरकर गायको बचाये, यानी गायको अपने आपको खा जाने दे । आजके हिसाबसे पशुओंकी संख्या अितनी है कि अुन्हें अच्छी तरह पालें, तो मनुष्यको अपने लिअे काफी खुराक न मिले । यह बात सही नहीं है, यह साबित करनेके लिअे यह बताना चाहिये कि गाय बैलको ज्यादा अच्छी तरह पालनेसे अुनकी अुत्पादक शक्ति बढ़ सकती है । आश्रमकी राय है कि यह बताया जा सकता है ।

लेकिन यह बात साबित करनेके लिअे हिन्दू समाजमें धर्मके नामसे जो वहम घुस गये हैं, अुन्हें मिटाना चाहिये । हिन्दू समाज गायकी हड्डियों, अँतड़ियों वगैराको काममें नहीं लेता । गायका

मरनेके बाद क्या होता है, जिसकी परवाह नहीं की जाती । चमारके पेशेको पवित्र माननेके बजाय गन्दा माना जाता है । दूसरे जानवरोंकी हड्डियाँ काममें ली जायँगी, मगर गायकी नहीं । और ली भी जायँगी तो वे हिन्दू समाजकी तैयार की हुयी नहीं होंगी । गाय अस्थिर्पिजर होकर आस्ट्रेलिया जाकर कल हो, वहाँसे उसकी हड्डीकी खाद बनकर यहाँ आये, उसके जूते वगैरा बन कर आयें, तो उन सबका उपयोग किया जायगा ! उसके मांसका अर्क दवाके तौरपर आयेगा, तो उसे भी खाया जायगा !

ऐसा करनेमें गायकी बर्बादी है, रुपयेकी बर्बादी है और धर्मके नामपर लूट होती है । जिसलिसे आश्रममें बड़ी कोशिशसे चमारका धन्धा शुरू किया गया है । अगमें अभी तक कोयी होशियार नहीं हो सके हैं । बाहरसे कोयी ऐसा चमार नहीं मिला, जो शिक्षा पाया हुआ हो और आश्रमके नियमोंका पालन कर सके । अक था, जिसे हम रख न सके । मामूली चमारोंको बसानेकी कोशिश भी पार नहीं पड़ी । फिर भी चमारका काम आश्रमका अंग बना हुआ है । और चरखेकी तरह जिस कलापर भी काबू पाकर उसका प्रचार करनेकी आशा आश्रम रखता है । क्योंकि मरी हुयी गायके सारे अंगोंका उपयोग किया जायगा, तभी गायका भाररूप होना बन्द होगा । उससे नफा तो कभी होगा ही नहीं । धर्म अर्थका विरोधी कभी नहीं है, नफेका विरोधी हमेशा है । लेकिन गायसे खर्च निकलवाना हो, तो आज जिस ढंगसे उसकी लाशका दुरुपयोग होता है या जिस तरह वह बेपारियोंका बेपार बढ़ानेके काम आती है, वह बन्द होना चाहिये । लेकिन हिन्दू समाज गायको अपने पास रखे, जीतेजी उसे और उसकी संतानको अच्छी तरह पाले, बुढ़ापेमें उसे रखे और मरनेपर उसकी लाशका परा अपयोग करे.

तो ही गाय बचे और उसकी रक्षासे जीवमात्रकी रक्षा करना शायद हम सीखें। आज तो हमारे अज्ञान, आलस्य और द्वेषके कारण गायकी बर्बादी दिन दिन बढ़ती जा रही है। फिर दूसरे मवेशियोंकी तो बात ही क्या ?

आश्रमका खयाल यह है कि जितनी गोशालाओं और पिंजरापोल हैं, उनका धार्मिक और शास्त्रीय उपयोग हो, धनवान लोग अपने यहाँ गोशाला रखें और गायके दूध घीका ही आग्रह रखें, और धनी लोग गायके दूधका बेपार निषिद्ध मानकर सार्वजनिक गोशालाओं जिस तरह चलायें कि उनका आमदखर्च बराबर रहे, तो जल्दी ही गायकी रक्षा हो सकती है।

आश्रमका अभी तो अद्देश्य छोटा ही है यानी आश्रममें आदर्श गोशाला चलाना, गाय बैलका विकास करना, मरनेपर उनके हर अंगका उपयोग करके यह साबित करना कि उनका खर्च सिरपर नहीं पड़ता, गोशाला चलाते हुअे गोसेवक तैयार करना और तैयार होनेपर उन्हें ठिकाने लगाना। यह काम हो रहा है। रुकावटें बहुत आती हैं, मगर सफलता मिलनेका पूरा भरोसा है।

शिक्षा

यहाँ शिक्षा शब्द विशेष और साधारण दोनों अर्थोंमें अस्तेमाल किया गया है। जिस शिक्षाके प्रयोगमें आश्रमकी जितनी परीक्षा हुअी है, उतनी और किसी प्रयोगमें नहीं हुअी।

आश्रम कायम होते ही देख लिया कि आश्रममें रहनेवाले स्त्री-बच्चोंको पढ़ाना लिखाना धर्म है। और आगे चलकर तो यह भी देखा कि जो अपढ़ पुरुष भी आश्रममें आते हैं, उनके लिअे

भी बन्दोबस्त होना चाहिये। जो लोग आश्रममें थे, उनसे शिक्षाका काम पूरा न हो सकेगा, यह भी साफ मालूम हो गया। शिक्षा दे सकनेवाले लोगोंको खींच लेनेकी जरा भी आशा रखनी हो, तो शिक्षक वर्गके लिये ब्रह्मचर्यका नियम कड़ा नहीं रखा जा सकता। जिस खयालसे आश्रमके दो भाग हो गये : एक शिक्षक विभाग और दूसरा आश्रम विभाग। मकान भी अलग अलग बनाये गये।

मनुष्य जाति अपना स्वभाव अकेलाअकेला कैसे छोड़े ? बहुत कोशिश करनेपर भी ये विभाग होते ही अँचनीचकी भावनाका जहर फैलने लगा। 'आश्रम विभाग' वालोंमें घमण्ड पैदा हुआ। शिक्षक विभाग अिससे कैसे सहता ? यह अभिमान आश्रमके अुद्देश्यके विरुद्ध था, अिसलिये असत्य भी था। अगर पूर्ण ब्रह्मचर्य जरूरी था, तो विभाग भी स्वाभाविक था। मगर पूर्ण ब्रह्मचर्यकी छापवालोंमें बड़प्पन माननेके लिये तो कोअी कारण ही नहीं था। यह भी तो हो सकता है कि पूर्ण ब्रह्मचर्य पालनेका दावा करनेवालोंका मनसे यानी विचारोंमें रोज पतन होता हो और ब्रह्मचर्यका दावा न करनेवाले मगर अुसे पसन्द करनेवाले रोज अपने प्रयत्नमें अँचे अुठते हों। बुद्धि यह सब समझती थी, मगर अुमपर अमल करना सबके लिये कठिन हो गया था।

गड़बड़का एक कारण तो यह था ही। दूसरा और पैदा हो गया। शिक्षाके तरीकेपर मतभेद हो गया और अुससे आश्रमकी व्यवस्थामें मुश्किलें आने लगीं। बहुत बहसें हुअीं, बड़े झगड़े हुअे, जहर पैदा हुआ, दिल खट्टे हो गये। अितना होने पर भी अन्तमें सब शान्त हो गये, या हो सकता है एक दूसरेको बर्दाश्त करने लगे। अिसमें मुझे आश्रमके मूल हेतुकी यानी सत्यकी

जीत मालूम हुआ। मतभेदवालोंके मनमें मैल नहीं था। कोअी गंदी तिकड़ममें नहीं पड़ते थे। जो भेद होते थे, उनके लिये दुःख होता था। जो सच है, उसीपर चलनेकी अच्छा थी। अपनी अपनी रायके आग्रहसे सामनेवालेकी दलीलें समझनेमें रुकावट होती थी, जिसलिये अद्वेग होता था। जिसमें जिस बातकी परीक्षा हुआ कि आश्रमवासियोंमें अेक दूसरेके लिये कितनी अुदारता रहती है।

जिस बारेमें आश्रममें खूब चर्चा हुआ कि तालीम किस किस्मकी और कितने समय तक दी जाय। अब भी यह दावा नहीं किया जा सकता कि आखिरी फैसलेपर पहुँच गये हैं। जिस विषयमें मेरे अपने विचार अलग ही हैं। मैं नहीं कह सकता कि जिस मामलेमें मैं अपने सब साथियोंको अपने साथ ले जा सका हूँ। जिसलिये कुछ भी निश्चयके साथ आश्रमका आदर्श बताना मुश्किल है। मेरा खयाल जिस तरहका है :

१. लड़कों और लड़कियोंको अेक साथ शिक्षा देनी चाहिये। यह बचपन आठ साल तक माना जाय।

२. उनका समय मुख्यतः शारीरिक काममें लगना चाहिये और यह काम भी शिक्षककी देखरेखमें होना चाहिये। शारीरिक कामको शिक्षाका अंग माना जाय।

३. हर लड़के और लड़कीकी रुचि पहचानकर उसे काम सौंपना चाहिये।

४. हरअेक काम लेते वक्त उसके कारणकी जानकारी करानी चाहिये।

५. लड़का या लड़की समझने लगे तभीसे उसे साधारण ज्ञान देना चाहिये। उसका यह ज्ञान पढ़ाअी लिखाअीसे पहले शुरू होना चाहिये।

६. अक्षरज्ञानको सुन्दर लेखन कलाका अंग समझकर पहले बच्चेको भूमितिकी आकृतियाँ खींचना सिखाया जाय, और उसकी अँगुलियाँ मुड़ने लगे, तब उसे वर्णमाला लिखना सिखाया जाय; यानी उसे शुरूसे ही शुद्ध अक्षर लिखना सिखाया जाय ।

७. लिखनेसे पहले बच्चा पढ़ना सीखे । यानी अक्षरोंको चित्र समझकर उन्हें पहचानना सीखे और फिर चित्र खींचे ।

८. जिस ढंगसे जो बच्चा सीखेगा और मुँहसे ज्ञान पायेगा, वह आठ वर्षके भीतर अपनी ताकतके अनुसार बहुत ज्ञान पा लेगा ।

९. बालकोंको जबरदस्ती कुछ न सिखाया जाय ।

१०. वे जो पढ़ें उसमें उन्हें रस आना ही चाहिये ।

११. बच्चोंको पढ़ाई खेल-जैसी लगनी चाहिये । खेल भी शिक्षाका जरूरी अंग है ।

१२. बच्चोंकी सारी शिक्षा मातृभाषाके जरिये होनी चाहिये ।

१३. बच्चोंको हिन्दी अर्द्धका ज्ञान राष्ट्रभाषाके तौरपर दिया जाय । उसकी शुरुआत लिखाई पढ़ाईसे पहले होनी चाहिये ।

१४. धार्मिक शिक्षा जरूरी मानी जाय । वह पुस्तकसे नहीं, शिक्षकके बर्तावसे और उसीके मुँहसे मिलनी चाहिये ।

१५. नौसे सोलह वर्षका दूसरा काल है ।

१६. दूसरे कालमें भी जहाँ तक सम्भव हो लड़के लड़कियोंकी शिक्षा साथसाथ हो तो अच्छा है ।

१७. दूसरे कालमें हिन्दू बालकको संस्कृतका ज्ञान मिलना चाहिये और मुसलमानको अरबीका ।

१८. जिस कालमें भी शारीरिक काम तब होगा ही । पढ़ाई-लिखाईका समय जरूरतके मुताबिक बढ़ाना चाहिये ।

१९. जिस कालमें माँबापका धन्धा अगर निश्चित हुआ जान पड़े, तो बालकको वह सिखाया जाय, और उसे जिस तरह तैयार किया जाय कि वह बापदादाके पेशेसे गुजर करना पसन्द करे। यह नियम लड़कीपर लागू नहीं होता।

२०. सोलह वर्षतक लड़के लड़कियोंको दुनियाके इतिहास, भूगोलका, और वनस्पति शास्त्र, ज्योतिष, गणित, भूमिति और बीजगणितका साधारण ज्ञान हो जाना चाहिये।

२१. सोलह सालके लड़के लड़कीको सीनापिरोना और रसोयी बनाना आ जाना चाहिये।

२२. सोलहसे पच्चीस साल तक में तीसरा काल मानता हूँ। जिस कालमें हरअेक युवक और युवतीको उसकी इच्छा और हालतके अनुसार शिक्षा मिले।

२३. नौ वरसके बादसे होनेवाली शिक्षा स्वावलम्बी होनी चाहिये। यानी विद्यार्थी पढ़ते वकत अँसे अ्योगमें लगे, जिससे पाठशालाका खर्च निकले।

२४. स्कूलमें आमदनी तो शुरूसे ही होने लगे। मगर १०-७-३२ शुरूके सालोंमें खर्चके बराबर आमदनी न होगी।

२५. शिक्षकोंके वेतन बड़े नहीं हो सकते, लेकिन गुजर लायक जरूर हों। अुनमें सेवावृत्ति होनी चाहिये। प्रारम्भिक शिक्षाके लिअे हर किसी शिक्षकसे काम चलानेका रिवाज बुरा है। सभी शिक्षक चरित्रवान होने चाहियें।

२६. शिक्षाके लिअे बड़े और खर्चीले मकानोंकी जरूरत नहीं।

२७. अंग्रेजीकी पढ़ाई भाषाके रूपमें ही हो सकती है और उसे पाठ्यक्रममें जगह मिलनी चाहिये। जैसे हिन्दी राष्ट्रभाषा है,

वैसे ही अंग्रेजीका उपयोग दूसरे राष्ट्रोंके साथ व्यवहार और व्यापारके लिये है ।

अिसमें साधारण शिक्षाके बारेमें ज्यादातर मेरे विचार आ जाते हैं । स्त्रियोंकी विशेष शिक्षा कैसी और कहाँसे शुरू हो, अिस बारेमें मैं खुद निश्चय नहीं कर सका हूँ । अितनी राय पक्की है कि जितनी सहूलियत पुरुषको मिलती है, अुतनी ही स्त्रीको मिलनी चाहिये; और खास सुविधाकी जरूरत हो, वहाँ खास सुविधा भी मिलनी चाहिये ।

प्रौढ़ अुमर वाले निरक्षर स्त्रीपुरुषोंके लिये रात्रिवर्गोंकी जरूरत है ही । लेकिन मेरा खयाल ऐसा नहीं है कि अुन्हें अक्षरज्ञान होना ही चाहिये । अुनके लिये व्याख्यानों वगैराके जरिये साधारण ज्ञान मिलनेकी सुविधा होनी चाहिये, और जिन्हें पढ़ना लिखना सीखनेकी अिच्छा हो, अुनके लिये पूरी सहूलियत होनी चाहिये ।

अूपरके वाक्योंसे मेरा कहनेका मतलब यह नहीं कि अिस मारी दिशामें मेरे और साथियोंके बीच मतभेद है । लेकिन चूँकि कुछ बातोंमें सूक्ष्म मतभेद है, अिसलिये मैंने अूपरके विचार अपने कहकर रखे हैं । यह नहीं कहा जा सकता कि आश्रममें आज तक जितने प्रयोग हमने किये हैं, अुनपरसे हम दृढ़ निश्चयोंपर पहुँच सके हैं । अेक विषयपर हम सब अेकमत हैं और वह यह कि शिक्षामें अुद्योगको और खासकर कताअीको बड़ा स्थान मिलना चाहिये । शिक्षा ज्यादातर स्वावलम्बी होनी चाहिये और देहाती-जीवनको ताकत पहुँचानेवाली और अुस जीवनके साथ सम्बन्ध रखनेवाली होनी चाहिये ।

मेरा खयाल यह है कि शिक्षाके प्रयोगोंमें आश्रमको ज्यादासे ज्यादा सफलता स्त्रियोंके बारेमें मिली है । वह अिस तरह कि

जो स्वतंत्रता और आत्मविश्वास आश्रमकी स्त्रियोंमें आया है, वह खुदने ही अरसेमें और खुसी वर्गकी स्त्रियोंमें कहीं दूसरी जगह देखनेमें नहीं आया । जिसका कारण आश्रमका वातावरण है । आश्रममें स्त्रीपर ऐसा कोअी अंकुश नहीं रखा गया, जो पुरुषपर न रखा गया हो । स्त्रियोंके मनमें बराबरीका विचार शुरूसे ही दूँस दिया जाता है । कामोंमें सबको बराबर भाग लेना पड़ता है । ऐसा फर्क नहीं, रखा गया कि फर्ला काम स्त्री का ही है और पुरुष खुसे करे ही नहीं । रसोअीके काममें स्त्रीपुरुष दोनोंने भाग लिया है और लेते हैं । शरीरकी जो मेहनत स्त्री कर ही नहीं सकती, खुसे खुसे मुक्त रखा जाता है । जिसके सिवा अेक भी ऐसा खुद्योग नहीं, जिसमें स्त्रीपुरुष साथ साथ काम न करते हों । पर्दा और घूँघट-जैसी चीज आश्रममें है ही नहीं । जिस तरह आश्रमका वातावरण ऐसा बन गया है कि स्त्री कहींसे भी आयी हो, खुसे आश्रममें आते ही अलग तरहका और स्वतंत्र वातावरण महसूस होता है और वह अपनेको निर्भय मानने लगती है । मेरा विश्वास है कि जिसमें ब्रह्मचर्य व्रतका बहुत बड़ा हाथ रहा है । बड़ी खुप्रकी लड़कियाँ कुँवारी हैं । आश्रममें रहनेवाले हम सब जानते हैं कि आश्रमका यह प्रयोग जोखमोंसे भरा हुआ है । लेकिन जिस तरहके जोखम खुठाये बिना स्त्रियोंकी खुन्नति और खुनकी जाप्रति असम्भव-सी दीखती है ।

जिस तरह अछूतपन मिटानेकी जरूरत है, खुसी तरह स्त्रियोंके बारेमें कुछ वहम, खयाल और रिवाज भी दूर करनेकी आवश्यकता है । बालविवाह, हर लड़कीके लिअे ब्याह करनेका माना जानेवाला धर्म, मासिक धर्म शुरू होनेसे पहले शादी करनेकी मानी जानेवाली जरूरत, विधवाका पुनर्विवाह न करने की समाजकी तरफकी

पाबन्दी वगैरा रिवाज जब तक बन्द न होंगे, तब तक स्त्री जाति आगे नहीं बढ़ सकती। जिस खयालसे आश्रम स्त्रियोंको आते ही यह सिखाने लगता है कि ऊपरके रिवाज बुरे हैं, धर्म विरुद्ध हैं। वे जिस शिक्षापर अमल होते देखती हैं, जिसलिसे उनको दिलको चोट नहीं पहुँचती और उनमें ऐसा नहीं लगता कि ये सब बातें पुस्तकमें बने हुअे बैगनकी-सी हैं, जो सिर्फ देखने भर की चीज हो, जिससे होने जानेवाला कुछ न हो।

जिसे हम आम तौरपर शिक्षा मानते हैं, वह आश्रममें थोड़ी ही देखी जाती है। अतनेपर भी मेरी राय यह है कि बच्चेसे बूढ़े तक स्त्रीपुरुषोंमें शिक्षाकी लगन पैदा हुअी है, ज्ञान प्राप्त करनेकी अिच्छा बढ़ती जा रही है और जिसके लिसे वक्त न मिलनेकी शिकायत भी रहती है। मुझे यह शुभ चिन्ह मालूम होता है। आश्रममें आनेवाले शिक्षामें रस लेनेवाले या शिक्षा पाये हुअे नहीं होते। बहुतोंको तो सिर्फ लिखनापढ़ना ही आता है। बाहर तो जिससे आगे बढ़नेका हौसला तक न था। आश्रममें थोड़ा समय बीतनेपर अक्षरज्ञान बढ़ानेकी अुमंग पैदा होती है। जो संस्था अितना कर सकती है, उसका रास्ता आसान हो जाता है; क्योंकि पहली सीढ़ी अक्सर सीखनेकी अुत्कण्ठा पैदा करना ही है। आश्रममें आनेवालेमें यह तुरन्त पैदा होती है। आश्रम जिस अुत्कण्ठाको पूरा करनेके लिसे जितनी चाहिये अुतनी सहूलियत दे नहीं सका, जिसका मुझे बहुत दुःख नहीं है। आश्रममें लगी हुअी पाबन्दियोंके कारण शायद यथेष्ट संख्यामें जैसे आदमी कभी नहीं आयँगे, जो शिक्षाका काम कर सकें। जिसलिसे आश्रममें ही जिस कामके लिसे जो तैयार हो सकते हैं, उनसे सन्तोष मानना पड़ता है। लेकिन यह बात भी नहीं कि आश्रमके कामोंके

कारण जैसे शिक्षक तैयार न हो सकें या तैयार होनेमें बहुत वक्त लगे । ऐसा हो तो भी जिनमें ज्ञान प्राप्त करनेकी सच्ची लगन पैदा हो चुकी है, वे बादमें भी प्राप्त करेंगे । शिक्षाके लिये समयकी मर्यादा ही नहीं । सच्ची शिक्षा तो स्कूल छोड़नेके बाद शुरू होती है । जिसने उसका महत्त्व समझा है, वह सदा ही विद्यार्थी है । अपना कर्तव्यपालन करते हुअे और उसके पालनके लिये मनुष्यके ज्ञानमें रोज बढ़ती होनी ही चाहिये । जो सब काम समझकर करना है, उसका ज्ञान रोज बढ़ना ही चाहिये । और यह बात आश्रममें अच्छी तरह समझ ली गयी है ।

शिक्षाकी प्रगतिमें अेक चीज रुकावट डालती है । यह वहम कि शिक्षकके बिना शिक्षा ली ही नहीं जा सकती, समाजकी बुद्धिको रोक रहा है । मनुष्यका सच्चा शिक्षक वह खुद ही है । आजकल तो अपने आप शिक्षा प्राप्त करनेके साधन खूब हो गये हैं । बहुतसी बातोंका ज्ञान लगनसे हरअेकको मिल सकता है और जहाँ शिक्षककी ही जरूरत होती है, वहाँ वह खुद हँद लेता है । अनुभव बढ़ेसे बड़ा स्कूल है । कभी धन्धे जैसे हैं, जो स्कूलमें नहीं सीखे जाते, बल्कि उन धन्धोंकी दुकानोंपर या कारखानोंमें सीखे जाते हैं । स्कूली ज्ञान अक्सर तोतेका-सा होता है । जिसलिये बड़ी सुप्रवालोंके लिये स्कूलके बजाय अच्छाकी, लगनकी और आत्म-विश्वासकी जरूरत है ।

बच्चोंकी शिक्षा माँ-बापका धर्म है । ऐसा सोचें तो हमें बेशुमार पाठशालाओंकी अपेक्षा सच्ची शिक्षाका वायुमण्डल पैदा करनेकी ज्यादा जरूरत है । वह पैदा हुआ, फिर तो जहाँ पाठशाला चाहिये, वहाँ वह जरूर खड़ी हो जायगी ।

आश्रमकी शिक्षा जिस दृष्टिसे होती है, और जिस दृष्टिसे सोचनेपर सफलता भी एक हद तक अच्छी मिली है। आश्रमका हर विभाग एक स्कूल है।

सत्याग्रह

आश्रमके अलग अलग कामोंका हाल ज्यादातर बताया जा चुका है। आश्रमकी हस्ती-सत्यके आग्रहके ११-७-३२ जरिये सत्यकी खोज करनेके लिये है। और ऐसा आग्रह रखते हुअे जब सत्याग्रहका हथियार अिस्तेमाल करना पड़ता है, तब आश्रम उसका प्रयोग करता है, और जिस सत्याग्रहके नियमों और मर्यादाओंकी खोज करना है। यह चर्चा भी हो चुकी कि मामूली तौरपर नियम कैसे होने चाहियें।

मगर सत्याग्रहकी मर्यादा क्या है? जिस शास्त्रका तीव्र अपयोग कब किया जा सकता है? जब मनुष्य हमेशा सत्यपर डटा रहता है, तो उसका नाम भी सत्याग्रह है। यहाँ जिस सत्याग्रहकी चर्चा नहीं है; चर्चा उस सत्याग्रहकी है, जिसे वह हथियारके रूपमें दूसरेके प्रति अिस्तेमाल करता है।

ऐसा सत्याग्रह साथियोंके विरुद्ध, सम्बन्धियोंके विरुद्ध, समाजके विरुद्ध, राज्यके विरुद्ध और दुनियाके विरुद्ध हो सकता है। जिसकी जड़में

[यह अितिहास जिसके आगे नहीं लिखा जा सका]

षरिशिष्ट

[आश्रमकी नियमावलीमेंसे नीचेका हिस्सा दिया जाता है ।
अुसमें खयाल यही है कि वह व्रतनियमोंके पालनेवालेके कामका
साबित होगा ।]

१. सत्य

सत्यका मतलब अितना ही नहीं कि रोजके व्यवहारमें असत्य
न बोलना या असत्य आचरण नहीं करना । लेकिन सत्य ही परमेस्वर
है और अुसके सिवा दूसरा कुछ नहीं । अिस सत्यकी खोज और पूजाके
लिअे ही दूसरे सब नियमोंकी जरूरत रहती है और अुसीमेंसे
वे पैदा होते हैं । ये सत्यके पुजारी अपने माने हुअे देशहितके
लिअे भी कभी असत्य न बोलें, या अुसका आचरण न करें । सत्यके
लिअे वे प्रह्लादकी तरह अपने मातपिता और बुजुर्गोंकी आज्ञा भी
विनयपूर्वक भंग करनेमें अपना धर्म समझें ।

२. अहिंसा

अिस व्रतको पालनेके लिअे अितना ही काफी नहीं कि
प्राणियोंकी हत्या न की जाय । अहिंसाका अर्थ है छोटे छोटे
जन्तुओंसे लेकर मनुष्य तक सब जीवोंको अेक नजरसे देखना । अिस
व्रतका पालनेवाला घोर अन्यायीपर भी क्रोध न करे, लेकिन अुसपर
प्रेम रखे, अुसका भला ही चाहे और करे । लेकिन प्रेम करते
हुअे भी अुस अन्यायीके अन्यायसे दबे नहीं, बल्कि अुसका सामना
करे और अैसा करनेमें वह अुसे जो भी तकलीफें दे, अुन्हें बड़े
धीरजके साथ और अुससे द्वेष किये बिना सहे ।

३. ब्रह्मचर्य

ब्रह्मचर्यके पालनके बिना ब्रूपरके व्रतोंका पालन नहीं हो सकता । जिसके लिये सिर्फ अितना ही काफी नहीं है कि ब्रह्मचारी किसी स्त्री या पुरुषको बुरी नजरसे न देखे । लेकिन वह मनसे भी विषयोंका चिन्तन या भोग न करे । यदि वह विवाहित हो तो अपनी पत्नी या अपने पतिके साथ भी विषय भोग न करे, लेकिन खुसे अपना मित्र समझकर खुससे निर्मल सम्बन्ध रखे । अपनी पत्नी हो या दूसरी स्त्री हो, अपना पति हो या दूसरा पुरुष हो किसीके भी विकारमय स्पर्श, या वैसी बातचीत या फिर कोई वैसी ही चेष्टासे भी स्थूल ब्रह्मचर्य टूटता है । यह विकारमय चेष्टा यदि पुरुष पुरुषके बीच ही हो या स्त्री स्त्रीके बीच ही हो या दोनोंकी किसी चीजके लिये हो, तो भी स्थूल ब्रह्मचर्यका भंग होता है ।

४. अस्वाद

जब तक मनुष्य जीभको वशमें न कर ले, तब तक ब्रह्मचर्यका पालन खुसके लिये बड़ा कठिन है, असा अनुभव होनेसे अस्वाद अेक अलग व्रत माना गया है । भोजन सिर्फ शरीरको जिन्दा रखनेके लिये करना चाहिये, खुसका आनन्द लेनेके लिये नहीं । जिसका मतलब यह कि खुसे दवाभी समझकर संयमके साथ खाना जरूरी है । जिस व्रतके पालनेवालेको विकार पैदा करनेवाले पदार्थ जैसे मसाले वगैराका त्याग करना चाहिये । मांस, शराब, तम्बाखू, भाँग अित्यादि चीजोंके अिस्तेमालपर आश्रममें मनाही है । जिस व्रतमें स्वादके लिये दावत करने या भोजनका आग्रह करनेकी भी मनाही है ।

५. अस्तेय

अस व्रतके लिअे अितना ही काफी नहीं है कि दूसरेकी चीज खुसकी बगैर अिजाजतके न ली जाय। जो चीज जिस कामके लिअे मिली हो, असके सिवा खुसे दूसरे काममें लेना, या जितने समयके लिअे मिली हो, अससे ज्यादा समय तक खुसे काममें लेना भी चोरी है। अस व्रतकी बुनियादमें तो यह सत्य है कि परमात्मा प्राणियोंके लिअे नित्यकी जरूरतकी चीजें ही हमेशा पैदा करता है और देता है। अससे ज्यादा वह बिलकुल पैदा नहीं करता। असलिअे अपनी कमसे कम जरूरतके अलावा मनुष्य जो कुछ भी लेता है, वह चोरी ही है।

६. अपरिग्रह

अपरिग्रह अस्तेयमें आ जाता है। जैसे गैरजरूरी चीज ली नहीं जा सकती, वैसे असका संग्रह भी नहीं किया जा सकता। असका मतलब यह है कि जिस अन्न या फर्निचरकी जरूरत न हो, असका संग्रह करना अस व्रतका भंग करना है। जिसका कुर्सीके बगैर काम चल सकता है, खुसे कुर्सी रखनी ही न चाहिये। अपरिग्रहीको अपना जीवन हमेशा सादा बनाते रहना चाहिये।

७. खुदमेहनत

अस्तेय और अपरिग्रहके पालनके लिअे खुदमेहनतका नियम जरूरी है। फिर, सब मनुष्य जब अपनी जीविका अपनी मेहनतसे चलायें, तब ही वे समाजद्रोह और खुदके द्रोहसे बच सकते हैं। जिनका शरीर काम करता है और जो समझदार हो गये हैं, अैसे स्त्री पुरुषोंको अपना रोजका हो सकने जैसा काम खुद कर लेना चाहिये और दूसरेकी सेवा बिना कारण न लेनी चाहिये। लेकिन बच्चोंकी, दूसरे अपंगोंकी और बूढ़े स्त्री-पुरुषोंकी सेवाका

मौका आये, तो उस वक्त सेवा करना हरअेक सामाजिक जिम्मेदारी समझनेवाले मनुष्यका धर्म है ।

अिस आदर्शके आधारपर आश्रममें जब मजदूरोंके बिना काम चल ही न सकता हो तभी वे रखे जाते हैं । और उनुके साथ मालिक नौकरका सम्बन्ध नहीं रखा जाता ।

८. स्वदेशी

मनुष्य सबसे बलवान प्राणी है । अिसलिअे जब वह अपने पड़ोसीकी सेवा करता है, तब जगतकी सेवा करता है । अिस भावनाका नाम स्वदेशी है । जो अपने पासकी सेवा छोड़कर दूरकी सेवा करनेके लिअे दौड़ता है, वह स्वदेशीका भंग करता है । अिस भावनाको मजबूत बनाया जाय, तो संसार सुव्यवस्थित बन सकता है । जब अिसे तोड़ा जाता है, तो अव्यवस्था पैदा होती है । अिस नियमके अनुसार जहाँ तक हमसे बन सके हमें अपने पड़ोसकी दुकानसे व्यवहार करना चाहिये । जो चीज अपने देशमें बनती हो या आसानीसे बन सकती हो, वह हमें परदेशसे नहीं मँगानी चाहिये । स्वदेशीमें स्वार्थका स्थान नहीं है । खुदको कुटुम्बके लिअे, कुटुम्बको शहरके लिअे, शहरको देशके लिअे तथा देशको जगतके कल्याणके लिअे कुर्बान हो जाना चाहिये ।

९. अभय

सत्य, अहिंसा आदि व्रतोंका पालन निर्भयताके बिना नहीं हो सकता । आज चूँकि सब दूर भय समाया हुआ है, अिसलिअे निर्भयताका चिन्तन करना और उसकी तालीम देना बहुत जरूरी है, और अिसीलिअे अुसे व्रतोंमें जगह दी गयी है । जो सत्यपरायण रहना चाहते हैं, वे न जातपाँतसे डरें, न सरकारसे डरें, न चोरसे डरें, न गरीबीसे डरें, न मौतसे डरें

१०. अस्पृश्यता निवारण

हिन्दू धर्ममें छूतछातने जड़ पकड़ ली है। छूतछातमें धर्म नहीं बल्कि अधर्म है, यह समझकर उसे मिटानेके कामको नियमोंमें शुमार किया गया है। अछूत माने जानेवालोंके लिअे आश्रममें दूसरी जातियोंके बराबर ही स्थान है।

आश्रम जातपाँत नहीं मानता। उसका खयाल है कि जात-पाँतसे हिन्दू धर्मको नुकसान हुआ है। उसमें रहनेवाली छुआछूत और अँचनीचकी भावना अहिंसा धर्मका नुकसान पहुँचानेवाली है। आश्रम वर्णाश्रम धर्मको मानता है। लेकिन यह मालूम होता है कि वह वर्णव्यवस्था सिर्फ धन्धेके सम्बन्धमें है, यानी जो वर्णनीतिको पालता है, उसे अपने माँबापके धन्धेमेंसे रोजी पैदा करके बाकीका समय ज्ञान प्राप्त करने और उसे बढ़ानेमें खर्च करना चाहिये। स्मृतियोंमें मानी हुअी वर्णव्यवस्था जगतका भला करनेवाली है। लेकिन वर्णाश्रम धर्म मान्य होनेपर भी आश्रमका जीवन तो गीताके माने हुअे व्यापक और भावना प्रधान संन्यास धर्मके आदर्शपर रचा हुआ है। इसलिअे उसमें वर्णकी गुंजायश नहीं है।

११. सहिष्णुता

आश्रमकी यह मान्यता है कि संसारमें जितने भी चालू और मशहूर धर्म हैं, वे सब सत्यको जाहिर करते हैं। लेकिन चूँकि वे सब अपूर्ण मनुष्य द्वारा व्यक्त हुअे हैं, इसलिअे उन सबमें असत्यका भी मिश्रण हो गया है। इसका मतलब यह कि हममें जितना अपने धर्मके लिअे मान हो, उतना ही मान दूसरोंके धर्मके लिअे भी होना चाहिये। जहाँ असी सहिष्णुता हो, वहाँ न अेक दूसरेके धर्मका विरोध पैदा होता है, न दूसरे धर्मवालेको अपने धर्ममें लानेकी कोशिश की जाती है। लेकिन यह प्रार्थना की जाती है कि जो जो दोष सब धर्मोंमें हों, वे सब दूर हों। और इस भावनाको हमेशा मजबूत करना जरूरी है।

टिप्पणी

१. (पृ० ३) गांधीजी दक्षिण अफ्रीकामें अेक बार नैटाल जा रहे थे । अस वक्त अुनके मित्र पोलकने गाडीमें वक्त गुजारनेके लिअे अुन्हें अेक अंग्रेज लेखक जान रस्किनका 'अण्टु दिस लास्ट' पढ़नेको दिया । पढ़ते ही वे विचार गांधीजीको अितने रुचे कि अुन्होंने अुनके अनुमार जीवन बना लेनेका निश्चय कर लिया । अस परसे फिनिकम्पकी स्थापना हुआ और अुनके जीवनमें परिवर्तन हुआ । बादमें गांधीजीने 'अिण्डियन ओपिनियन'में सर्वाेदयके नामसे अस पुस्तकका सार प्रकाशित किया । अब यह पुस्तकके रूपमें भी प्रकाशित हो चुका है ।

२. (पृ० ४) देखिये आत्मकथा : भाग ४ : प्रकरण १९, पृ० ३४९ ।

३. (पृ० ४) हरमान कैलनबॅक जर्मन यहूदी थे और दक्षिण अफ्रीकामें मकान वगैरा बंधवानेवाले अिन्जिनियर थे । खुद अकेले होनेपर भी मकान किरायेके अलावा रु० १२०० हर मास खर्च करते थे । जब गांधीजीके साथ अिनकी मित्रता हुआ, तो अुन्हें सादगीका शौक लगा । और अुन्होंने खर्चको १२०० रु०से घटाकर १२० रु० कर दिया । वे गांधीजीको हर तरहके प्रयोगोंमें साथ देते थे । वे अुनके अेक कीमती साथी बनकर रहे थे । अेक बार जेल भी हो आये थे । गांधीजीके हिन्दुस्तानमें आनेके बाद ये हिन्दुस्तान भी आनेवाले थे । लेकिन पहला विश्वयुद्ध शुरू हो गया और चूँकि वे जर्मन थे असलिअे अुन्हें युद्धकैदी बना लिया गया । अस तरह वे हिन्दुस्तान नहीं आ सके । बादमें अभी अभी वे १९३७ में हिन्दुस्तान आये थे ।

अस वक्त हरिजनबन्धुमें महादेवभाभीने अिनका परिचय देते हुअे जो लेख लिखे थे, अुनमेंसे नीचेका प्रसंग दिया जाता है । अस परसे गांधीजी और अुनके सम्बन्धका कुछ अन्दाजा हो सकेगा :—

“ अिन साधियोंके रोजमर्राके जीवनमें जो घटनायें हुअीं, अुन्हें याद करते हुअे कॅलनबॅक कहने लगे: ‘ कितनी ही बार अिन्होंने मुझे रुलाया भी है । ’

“मैंने अुन्हें मोटर और दूरबीनवाली घटनाओंकी याद दिलाअी । अिनका जो हूबहू वर्णन अुन्होंने किया, वह गांधीजीकी आत्मकथामें हमें देखनेको नहीं मिलता । अुसमें अुनका अुल्लेख तो किया गया है, लेकिन जैसा हूबहू चित्र दिया जाना चाहिये था, वैसा नहीं दिया गया । कॅलनबॅक कहने लगे : ‘ गांधीजी जिस दिन जेलसे छूटनेवाले थे, अुस दिन अुन्हें घर लानेके लिअे मैंने अेक मोटर खरीदी । ये अुसमें बैठे तो सही, लेकिन अिन्हें जो वेदना हो रही थी, वह मैं अिनके मुँह परसे ताड़ गया । अुस वक्त तो ये मन मारे रहे, लेकिन घर पहुँचे कि अिन्होंने मुझे अपनी मूर्खताके लिअे आड़े हाथों लिया । कहने लगे: ‘ मोटरको दियासलाअी दिखाओ । ’ मैंने कहा : ‘ दियासलाअी कैसे दिखाअी जाय भला ? मैं अितना मालदार नहीं कि नयी मोटरको दियासलाअी दिखाना बरदाश्त कर लूँ । ’ बड़ी बहस हुअी । बांदमें अिन्होंने मोटरको दियासलाअी दिखानेके बदले बॅच डालनेकी बात मंजूर कर ली । मोटर सालेक भर मोटरघरमें पड़ी रही और फिर मैंने बॅच दी । लेकिन अस घटनाका परिणाम यह हुअा कि मैंने असके बाद ग्यारह वर्ष तक मोटर नहीं ली ।

‘ मैं जीमनेके वक्तका रुमाल लटकानेके लिअे चाँदीके छल्ले ले आया करता था । अैसी छोटी छोटी बातोंके लिअे भी अिन्हें पूछना मुझे न सूझता था । अिन छल्लोंको वे कचरेमें फेंक देते और

दुःखसे बोलते : ' क्या अभी भी तुम मुझे नहीं समझ सकते ! ' लेकिन अिन छोटी छोटी बातोंसे अिन्हें जो दुःख होता था, अुसे में समझ सकता था । वे मुझसे प्रेम करते थे और अिसी कारण औरोंके वजाय मेरेसे विशेष सख्तीसे पेश आते थे । यह अुनके प्रेमका जुल्म था । लेकिन मुझे यह प्रेम मिला, अिसे में अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ । ”

(हरिजनबन्धु, ३०-५-३७)

४. (पृ० ११) आत्मकथा : भाग ५, प्रकरण १०, पृ० ४६४, प्र० २१, पृ० ५०० ।

५. (पृ० १८) अुद्योग मन्दिरका भाग लिखा नहीं गया ।

६. (पृ० २८) चौदह दिनका क्रम भी पीछेसे बदल गया । गीता पदार्थ कोषकी भूमिकामें गांधीजीने अिस बारेमें अिस तरह लिखा है : “ . . . रोज अेक श्लोक, फिर दो, फिर पाँच, फिर रोज अेक अध्याय, फिर चौदह दिनोंमें पारायण और अन्तमें कुछ बरसोंसे हममेंसे कुछ सात दिनमें पारायण करने तक पहुँचे हैं । और अुन अुन दिनोंमें अुन अुन अध्यायोंकी ध्वनि सबेरे ४-३०के आसपास सुनायी पड़ती है । कुछ लोगोंने — बहुत थोड़ोंने — अटारहों अध्याय जबानी भी कर लिये हैं । दिनोंके हिसाबसे सबेरेकी प्रार्थनाका यह सिलसिला है :

शुक्र १, २; शनि ३, ४, ५; रवि ६, ७, ८; सोम ९, १०, ११, १२; मंगल १३, १४, १५; बुध १६, १७; गुरु १८ ।

“ अिन विभागोंके लिअे अितना ही कहना काफी है कि अिनके पीछे अेक विचारश्रेणी है । अिस तरह मनन करनेमें बड़ी सुविधा रहती है, यह अनुभवमें आया है ।

“शुक्रवारसे प्रार्थना क्यों शुरू हुई, यह प्रश्न पैदा होना सम्भव है। जिसका कारण अितना ही है कि काफी समय लेकर पारायण चौदह दिनोंमें होता था। यरवदा जेलमें मुझे सात दिनोंमें पारायण करनेका विचार आया और उसपर अेक शुक्रवारको अमल हुआ। जिसलिअे और तबसे पारायण-सप्ताह शुक्रवारसे शुरू होता है।”

“पारायणकी बात यहाँ दो कारणोंसे कही गयी है। अेक तो यह बतलाना कि गीताभक्ति हममेंसे कितनोंको कहाँ तक ले गयी है; और दूसरा, पढ़नेवालेको अभ्यासके लिअे अुत्साह बढ़ानेका रास्ता बतलाना।” (२४-९-’३६)

७. (पृ० ४०) यह भाग भी लिखा नहीं गया।

८. (पृ० ५८) ‘आत्मकथा’ भाग ५, प्रकरण ४०, पृ० ५६९।

